खण्ड-185, अंक-8
बुधवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1879
(14 अगस्त, 1957 ई0)

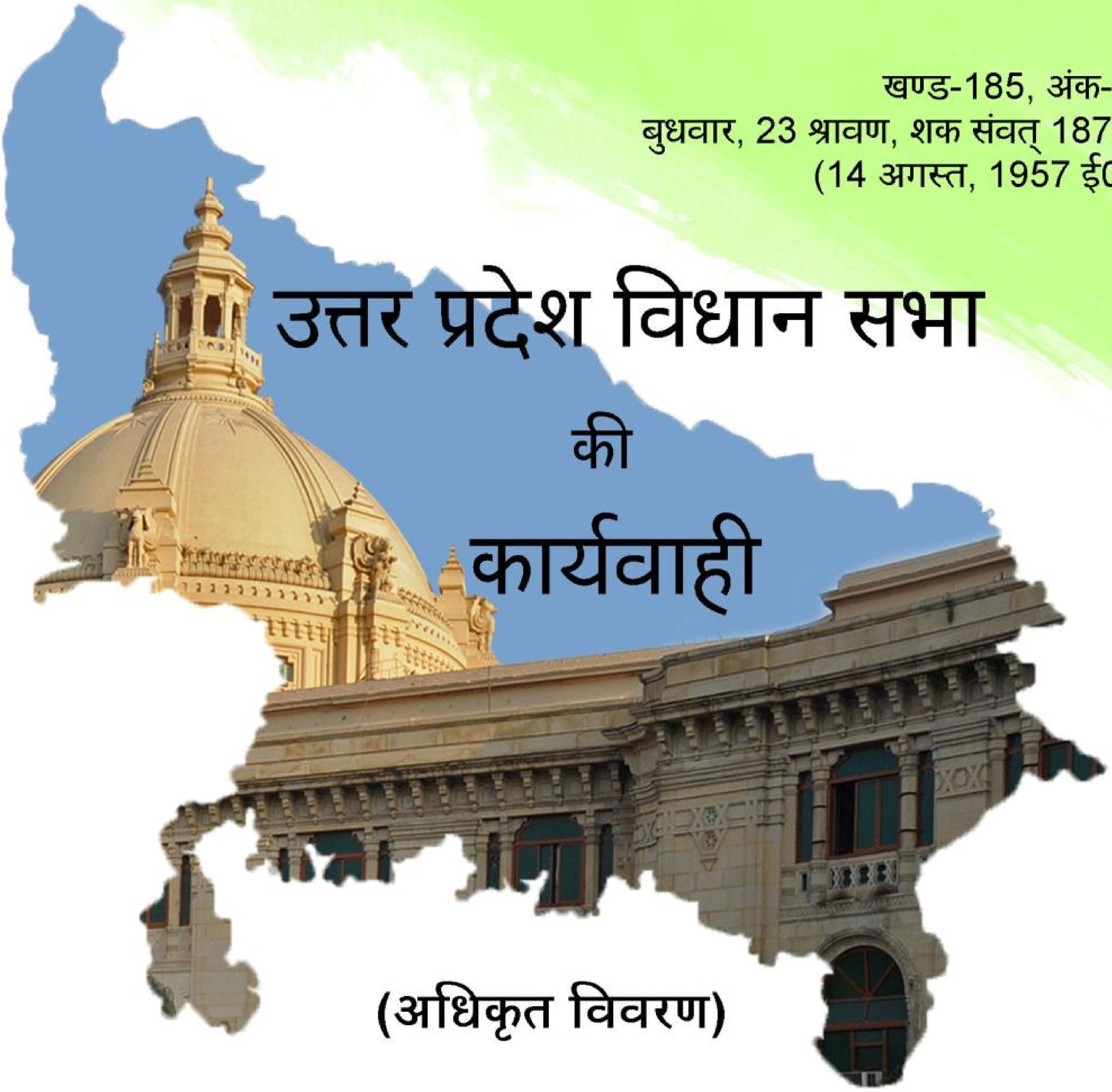

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 185 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक : १०—वन (स्वीकृत) ..	६५७—६८०
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक : २७—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	६८०—७०२
विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि	७०३
नत्थियां	७०४—७०६

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३५१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गफूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्र देव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती श्रीमती
चन्द्रकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
राम दीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायक सिंह, चौधरी
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्वामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनेहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री

हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

तीन वर्ष डिग्री कोर्स की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

**१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार ने ३ वर्ष डिग्री कोर्स की केन्द्र की योजना स्वीकार कर ली है? यदि हां, तो उसे कब से कार्यान्वित करने का निश्चय हुआ है?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं।

**२—श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार राज्य के कुछ इन्टर कालेजों को उपरोक्त योजना के अधीन डिग्री कालेज में परिवर्तित करने का निश्चय कर चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

**३—श्री लालबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या इसी निश्चय के परिणाम-स्वरूप विश्वविद्यालय से इन्टर कालेजों से प्रार्थना-पत्र मांगने के लिये भी लिखा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी योजना को अन्य जिलों में लागू करने के सम्बन्ध में पूछताछ

**४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९५७ और १९५८ में किन-किन जिले में चकबन्दी योजना चालू की जा रही है?

माल उपमन्त्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)—१९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में सरकार राज्य के किसी भी नये जिले में चकबन्दी योजना लागू करने का विचार नहीं कर रही है।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि चकबन्दी योजना क्या स्थगित हो रही है या आइन्दा साल में चालू की जायगी?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—स्थगित बिल्कुल नहीं हो रही है। आइन्दा साल नये जिलों में जरूर चालू की जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मंत्री जी बतायेंगे कि चकबन्दी में जो दूसरे जिलों के दोष इस सदन में रखे गये हैं क्या उन दोषों को दूर करके तब दूसरे जिलों में लागू करेंगे या जो दोष इस वक्त हैं वैसे ही चालू करेंगे?

श्री चरणसिंह—जो योजना चल रही है यही चालू की जायगी और इस योजना में जो भी दोष अब तक सामने आते रहे हैं उनमें संशोधन किया जाता रहा है।

ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर, जिला आजमगढ़ का आवेदन-पत्र

**५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ दिसम्बर, १९५६ को उनके पास जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ एवं रीजनल ग्रेन आफिसर गोरखपुर के यहां ग्रामोन्नति सहकारी भंडार कमल सागर पो० रामपुर जिला आजमगढ़ के सहायक मैनेजर का आवेदन-पत्र इस आशय का आया है कि ए० पी० स्कीम सन् १९५० एवं १९५१ के अन्तर्गत ५९१ रु० ३ आना उक्त भंडार का शेष है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के पास कई बार लिखा, पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई ?

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—ग्रामोन्नति सहकारी भंडार का ८ दिसम्बर सन् १९५६ ई० का पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। जिलाधीश, आजमगढ़ मामले की जांच कर रहे हैं और जांच पूरी हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र जिलाधीश आजमगढ़ को जांच के लिये कब भेजा गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह ८ दिसम्बर को प्राप्त हुआ था, उसके थोड़े दिन बाद भेज दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १३ जून, १९५१ को भी इस सोसाइटी से कोई प्रार्थना-पत्र इसी आशय का आया था और उसका परिणाम अभी तक कुछ नहीं हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसे किसी पत्र की इत्तला तो सरकार को नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ को क्या यह आदेश दे दिया गया है कि वह अमुक तिथि तक इसकी जांच समाप्त करके सरकार को रिपोर्ट दें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार चाहती थी कि इसमें जांच पहले हो जाती, लेकिन कुछ कठिनाइयां थीं और कुछ कागजात मौजूद नहीं थे या वह मिल नहीं पा रहे थे। सरकार की यह इच्छा है कि इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द जांच हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस भंडार को अब तक जो रुपया नहीं दिया गया उसका कारण क्या है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)—यह मामला काफी पुराना है, १९५०-५१ का है और जब तक तहकीकात न हो जाय और यह पता न चल जाय कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है, उस वक्त तक रुपया जाहिर है दिलाया नहीं जा सकता।

तारांकित प्रश्न

आम चुनाव के समय जिला बोर्ड आजमगढ़ के अध्यापकों का तबादला

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत आम चुनाव के अवसर पर क्या शिक्षा विभाग की ओर से जिला बोर्डों के अध्यापकों का तबादला न करने का कोई आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो जिला बोर्ड, आजमगढ़ ने उस आदेश का उल्लंघन किया है कि नहीं ?

शिक्षा उप मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)--जी नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार और विभागों में आम चुनाव के अवसर पर तबादले का हुक्म नहीं दिया जाता है उसी प्रकार जिला बोर्डों में भी इस प्रकार का आदेश क्यों नहीं किया जाता है कि आम चुनाव के वक्त अध्यापकों का तबादला न किया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--बात यह है कि जिला चुनाव अधिकारी ने तो उनको लिखा था कि कोई इस बीच में तबादला न किया जाय, लेकिन उन्होंने अपने अनुशासन की दृष्टि से यह आवश्यक समझा कि कुछ लोगों के तबादले वह कर दें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की कोई शिकायत मिली है कि जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ मास्टरों का तबादला बड़े पैमाने पर चुनाव को दृष्टि में रख कर किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

इलाहाबाद जिले के देहाती इलाके में आग बुझाने का स्थायी प्रबन्ध करने का सुझाव

*२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश देहाती क्षेत्रों में आग बुझाने के लिये कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश--उत्तर प्रदेश में देहाती क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है।

*३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले में जो आग देहाती क्षेत्रों में अप्रैल, १९५७ में लगी थी उसको बुझाने के लिये नगरपालिका क्षेत्र के फायर ब्रिगेड को भेजा गया था ? यदि हां, तो कितने स्थानों में आग लगी थी और इस फायर ब्रिगेड का किन-किन स्थानों पर प्रयोग किया गया और उसमें कितना नुकसान हुआ और उसके समय से पूर्व न पहुंचने से कितनी हानि हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, १६ स्थानों में आग लगी थी और हर स्थान पर इलाहाबाद के फायर ब्रिगेड का प्रयोग किया गया। लगभग १,६४,२५८ रु० की हानि हुई। यह बतलाना अत्यन्त कठिन है कि फायर ब्रिगेड के समय से पूर्व न पहुंचने से कितने की हानि हुई, क्योंकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद उसके कर्मचारी तुरन्त आग बुझाने का काम आरम्भ कर देते हैं और इसकी शान्ति के बाद पूरी हानि का अनुमान लगाते हैं।

*४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में आग बुझाने की शिक्षा किन-किन-नगरों में दी जाती है और कितने फायर ब्रिगेड प्रदेश में काम करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस प्रदेश में आग बुझाने की शिक्षा केवल इलाहाबाद में दी जाती है, और कुल २५ फायर ब्रिगेड प्रदेश में काम करते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि देहाती क्षेत्रों में जो आग बुझाने की अस्थायी व्यवस्था है उसको स्थायी रूप देने की कोई योजना सरकार बनायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चाहती तो है सरकार। उसमें पैसे का बड़ा खर्च होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई योजना ऐसी बन सके तो बड़ा अच्छा हो और हम उत्सुक हैं इसके लिए कि कुछ इस सम्बन्ध में कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस समय अस्थायी व्यवस्था क्या है देहाती क्षेत्रों के लिए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अस्थायी व्यवस्था का सम्बन्ध और तात्पर्य केवल इतना है कि कुछ बड़े शहरों में जहां यह सेन्टर्स हैं हमारे वह सूचना मिलने पर देहातों में भी चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ नगरपालिकाओं ने अपने यहां कर रखा है। उनसे भी सहायता मिल जाती है और कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है देहातों के लिए।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में कई लाख मन जूट पैदा होता है, और उस जिले में म्युनिसिपैलिटी का कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, वहां आये दिन आग लग जाती है, उसके बुझाने के लिए सरकार कोई समुचित प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---इसी का तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मन्त्री इलाहाबाद में एक महीने में १६ मर्तबा आग लग जाने के बाद वहां देहाती क्षेत्र में एक शाखा खोलने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह तो सुझाव है और इस सुझाव पर गवर्नमेंट विचार करेगी।

लाला बेचूलाल, निवासी ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के यहां हुई डकैती की रिपोर्ट ठीक न लिखना

*५---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम शोभापुर, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में मार्च, १९५७ में लाला बेचूलाल के यहां डकैती पड़ी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं।

*६---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या यह सही है कि उस की रिपोर्ट डकैती के स्थान पर चोरी में लिखी गयी ?

*७---सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्रश्न नहीं उठते।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---किस मामले की जांच ? इसकी जांच तो हो चुकी है।

श्री जंग बहादुर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के यहां इस डकैती के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरी सूचना तो यह है कि बेचूलाल जी के यहां चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट स्वयं उन्होंने थाने में भेजी थी।

श्री जंग बहादुर वर्मा---क्या बेचूलाल जी ने जिलाधीश और पुलिस कप्तान को डकैती के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरी सूचना यह है कि बेचूलाल जी ने २८ फरवरी को प्रातःकाल ६ बजे एक स्वतःलिखित रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने घटना का जिक्र किया और बतलाया कि रात को चोरी हो गयी और रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि नकबज़नी चोरों ने की थी। हमारे

यहां मकान खोदा जा रहा था। आवाज सुनायी पड़ी। मैं बाहर निकल कर आया। चोर भाग खड़े हुए और १ हजार की चोरी हमारे यहां हो गयी। इस प्रकार यह नकबज़नी की रिपोर्ट थी।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या बेचूलाल जी ने पुलिस कप्तान और जिलाधीश को यह रिपोर्ट भेजी थी कि जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था वह पुलिस ने नहीं लिखा और उसके खिलाफ लिखा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना नहीं है, लेकिन उनकी स्वयं लिखित रिपोर्ट पुलिस में मौजूद है जो लिख कर उन्होंने भेजी थी।

श्री अध्यक्ष--उसको वे चैलेंज कर रहे हैं। बाद में उन्होंने शिकायत, की इसके सम्बन्ध में आप बतला सकें तो बतला दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं जांच करा लूं।

रामपुर बैंक डकैती केस से सम्बन्धित कम्युनिस्ट बन्दी बग्गा सिंह की सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में मृत्यु

*८--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि रामपुर बैंक डकैती केस के कम्युनिस्ट राज बन्दी श्री बग्गासिंह की अचानक मृत्यु गत १३ अप्रैल, १९५७ को आगरा सेन्ट्रल जेल में हो गयी ?

समाज सुरक्षा राज्य मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)--कैदी बग्गासिंह की मृत्यु स्वाभाविक रूप से गत १३-४-१९५७ को सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में हुई।

*९--श्री झारखंडेराय--यदि हां, तो क्या सरकार इस मृत्यु के ऊपर पूर्ण प्रकाश सदन में डालने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि बग्गा सिंह जी को कौन सा रोग था जिससे वे मरे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--आखिर में उनको इन्फेक्टिव हैपेटाइट की शिकायत हो गयी थी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे जेल में कब बीमार पड़े थे और अस्पताल में कितने दिन के बाद भेजे गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--वे ७ नवम्बर को जेल अस्पताल में दाखिल हुए। उसी वक्त बीमार हुए होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस स्वाभाविक रूपसे मृत्यु का तात्पर्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--स्वाभाविक रूप से--बीमारी से मृत्यु नहीं हुई--फिर कैसे हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन--सवाल किया गया था अचानक मृत्यु का और जवाब दिया गया है स्वाभाविक तरीके से उनकी मौत हुई, तो बीमारी तो लाजिमी है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह जेल से बाहर अस्पताल में कब भेजे गये ?

श्री मुजफ्फर हसन--७ नवम्बर को वह जेल अस्पताल में दाखिल हुए। जब वहां तशफीस नहीं हो सकी उनके मर्ज की, तो २६ दिसम्बर को मेडिकल कालिज में भेजे गये।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना मन्त्री जी के पास आयी हैं, वह जेल विभाग की हैं या मेडिकल विभाग की ?

श्री मुजफ्फर हसन--दोनों ही की हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बग्गा सिंह की जब मृत्यु हुई है उस वक्त उनकी अवस्था क्या रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--मेरे पास इसकी इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जेल के अस्पतालों में भी मेडिकल विभाग का नियंत्रण रहता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--मुझे इसकी ठीक इत्तला नहीं है, लेकिन जेल में मेडिकल विभाग के लोग जरूर काम करते हैं, यह सही है।

*१०--११--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[२८ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

एसोशिएटेड और एफीलियेटेड कालेजों मे टू ग्रेड सिस्टम न लागू किया जाना

*१२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार two grade system को विश्वविद्यालयों के affiliated और Associated Colleges के अध्यापकों के हेतु भी लागू करने का है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी कारण बतलायेंगे कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोशिएटेड और एफिलियेटेड अध्यापकों के लिए टू ग्रेड सिस्टम क्यों लागू नहीं करना चाहते ?

श्री कैलाशप्रकाश--एसोशियेटेड कालेज और युनिवर्सिटी में एक तो स्थानांतर है और उनके ग्रेड में भी अन्तर है, इसलिए अभी करने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि टू ग्रेड सिस्टम जो कांस्टीटयुएंट कालेज हैं उनके अध्यापकों के लिए लागू किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, युनिवर्सिटी के जो कालेज हैं, उनमें लागू हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि एसोशियेटेड कालिज जो हैं। वे भी युनिवर्सिटी के ही कालेज हैं ऐक्ट के अनुसार ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप कानूनी बहस कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह तो ऐक्ट से मालूम हो जायगा। उन्होंने जवाब एसोशियेटेड कालेज के लिए दे दिया कि नहीं लागू करना चाहते हैं।

१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानों का मुआवजा

*१३--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सन् १९४२ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण जलाये गये घरों के मआवजे के मद में कितना धन दिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश--१,०८,५२० रु०। इस मद में घरों को लूटने से जो क्षति हुई उसका भी मुआवजा सम्मिलित है।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो मुआवजे का अनुमान किया गया, यह किस के द्वारा हुआ--लेखपाल द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९४७-४८ की यह बात है जब कि लोक सरकार बनी थी। उसने यह घोषणा की थी कि सन् ४२ के आन्दोलन में जिन लोगों को क्षति पहुंची है उनकी सम्पत्ति अथवा घर, जो लूटे गये और जलाये गये हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करेगी। तो जो इसके शिकार हुये थे उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दीं और फिर इसके बाद इस पर जांच हुई। उस वक्त कलेक्टर वगैरह ने पूरी रिपोर्ट वगैरह मंगवाई। जिन लोगों ने दरख्वास्त दी थी उनके सबूत हुए, उसके बाद रकमें मुआवजे की तय हुईं और मुआवजा दिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन दरख्वास्तों में कुछ दरख्वास्तों पर जिला कांग्रेस कमेटी की जांच और उनकी सिफारिश पर भी मुआवजा दिया गया?

श्री अध्यक्ष--यह १०-१२ वर्ष की बात बता रहे हैं, उसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है।

श्री झारखंडेराय--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची उनके पास है उसके अनुसार कितने व्यक्तियों को मुआवजा आजमगढ़ जिले में मिला है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरे पास जो सूची है, उसके अनुसार दस आदमियों को मुआवजा मिला और रकम सब मिलाकर एक लाख कुछ हजार थी।

*१४--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[१ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]।

जालौन जिले में डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) द्वारा किये गये कार्य

*१५--राजा वीरेन्द्रशाह--जिला जालौन में एन्टी करप्शन आफिसर ने १९५५-५६ में कितने प्रार्थना-पत्रों पर जांच की और कितनों को सही पाया और कितने मामले नहीं साबित हुये, जो मामले सही पाये गये उनमें क्या सजा दी गयी?

श्री कैलाशप्रकाश--जिला जालौन में डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) ने फरवरी १, १९५६ (विभाग की स्थापना की तिथि) से दिसम्बर ३१, १९५६ तक ८२ शिकायती पत्रों में छान बीन की। इनमें से २६ में लगाये गये आरोप आंशिक अथवा पूर्णरूप से सही पाये गये। सम्बन्धित अधिकारियों को जो सजा दी गयी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०४ पर।)

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनको कम्प्लेंट आफिसर कहा जाता है या ऐण्टी करप्शन आफिसर कहा जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह कम्प्लेंट आफिसर ही कहलाते हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनको नान-गजटेड आफिसर की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है या गजटेड आफिसर की भी शिकायतों की जांच कर सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा ख्याल है कि नान-गजटेड आफिसर्स की ही जांच करते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कम्प्लेंट्स जाते हैं कम्प्लेंट आफिसर्स के पास तो वह डिपार्टमेंटल आफिसर्स की इजाजत के बिना जांच करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---जालौन के बारे में सवाल पूछा है, उससे यह उठता नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह---जो रिपोर्ट दी गयी है उससे सरकार उनके कार्य से सन्तुष्ट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---अगर सरकार असन्तुष्ट होती तो सरकार आपको पहले ही बतला देती।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार गजटेड आफिसर्स की शिकायतों की जांच के लिये कोई योजना बनाने के लिए तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---योजना तो है ही। कहीं शिकायत होती है तो जांच के जो तरीके हैं, उनसे जांच होती है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन वाकयात में उन्होंने तहकीकात की वे डिपार्टमेंटल आफिसर्स के द्वारा आये थे या स्वयं उन्होंने लिये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इतनी तफसील तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो शिकायती-पत्र आये थे, उनकी उन्होंने जांच की और कार्यवाही की।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र आये थे वह नान-गजटेड आफिसर्स के खिलाफ थे या कुछ गजटेड आफिसर्स के भी खिलाफ थे ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न गजटेड आफिसर्स के लिए नहीं था।

पुलिस कान्स्टेबिलों एवं हेड कान्स्टेबिलों की यूनियन, अधिक कार्य के लिए भत्ता तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में पूछताछ

*१६---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों को अपनी यूनियन बनाने से वंचित कर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

*१७—श्री गौरीशंकर राय—क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कांस्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों से ८ घन्टे प्रतिदिन से अधिक सरकारी काम लिया जाता है? यदि हां, तो अधिक समय का क्या कोई भत्ता दिया जाता है?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसा हो सकता है। एक समय में आठ घंटे से अधिक कार्य करने का कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता, किन्तु यदि नागरिक अथवा सशस्त्र कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल जो आकस्मिक ड्यूटियों में, जैसे झगड़े तथा अन्य नागरिक उथल-पुथल में अधिक समय तक ड्यूटी पर रहते हैं उन्हें मुफ्त भोजन अथवा उसके स्थान पर एक रुपया चार आना प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से भोजन भत्ता दिया जाता है।

*१८—श्री गौरीशंकर राय—क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस सब-इंस्पेक्टरों के चुनाव में कितने प्रतिशत पुलिस सब-इन्स्पेक्टर कान्सटेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों में से लिये जाते हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—सब-इन्स्पेक्टर (सिविल पुलिस) के चुनाव में ४० प्रतिशत व्यक्ति कांस्टेबिलों तथा हेड कांस्टेबिलों में से लिये जाते हैं। सब-इन्स्पेक्टर (आर्म्ड पुलिस) के चुनाव के लिये यह आदेश दे दिया गया है कि अब से ५ वर्ष तक ५० प्रतिशत जगह हेड कांस्टेबिलों तथा कांस्टेबिलों के लिये सुरक्षित रखी जायें तथा ५० प्रतिशत जगहों में बाहर से भर्ती की जाय।

श्री गौरीशंकर राय—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई यूनियन है और है तो कब से?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रदेश म अब ऐसी कोई यूनियन नहीं है। पहले थी फिर वे उसको चला नहीं सके तो वह बन्द हो गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पुलिस के कर्मचारियों या सिपाहियों के एसोसियेशन को मान्यता दे रखी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि पहले एक एसोसियेशन उनका बना हुआ था। कई वर्षों से वे स्वयं उसको चला नहीं सके लिहाजा वह है नहीं। अगर यह प्रश्न उठे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि पुलिस कांस्टेबिलों ने सरकार से इस प्रकार के एसोसियेशन को चलाने की मांग की है और उस पर सरकार ने विचार करना मंजूर किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री प्रताप सिंह—जो मंत्री जी ने अभी बताया कि पहले कांस्टेबिलों की एक यूनियन थी, तो क्या उसको सरकार ने मान्यता दी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब वह थी तो किसी न किसी प्रकार सरकार की स्वीकृति से रही होगी नहीं तो चलती कैसे?

श्री गेंदा सिंह—क्या गृह मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो यूनियन उनकी टूट गयी है वह फिर बने और उसको प्रोत्साहन दिया जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह प्रश्न उपस्थित हो तो देखें कि उसके बनाने वाले कौन हैं और क्या मामला है, तब फैसला करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास इस तरह की कोई शिकायतें आयी हैं कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल की कि यूनियन बनाने के कारण उनको विक्टिमाइज किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत अभी तक मेरे पास नहीं आयी है ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जो सब-इन्स्पेक्टर्स लिये जाते हैं उनमें कुछ प्रतिशत इलेक्टेड लिये जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई ब्रेन वेव आ जाय तो ऐसा विचार सरकार कर सकती है नहीं तो पुलिस की सर्विस में भी एलेक्शन हो ऐसा कोई विचार है नहीं ।

गोरखपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*१९—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें दी जाती हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—८१ व्यक्तियों को मासिक पेंशन, ३ को आवर्त्तक अनुदान तथा २३ को एकमुश्त सहायता स्वीकृत की जा चुकी है ।

*२०—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के कुछ राजनीतिक पीड़ितों ने जिन्हें पेन्शनें दी जाती हैं, अपने महंगाई के भत्ते को बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, परन्तु प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई, क्योंकि १ अप्रैल, सन् १९५५ से ३९ रु० तक मासिक पेन्शन पाने वालों के महंगाई भत्ते उनकी पेंन्शन में शामिल कर दिये गये हैं ।

*२१—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार ने गोरखपुर जिले के चौरीचौरा काण्ड के दंडित व्यक्तियों को राजनीतिक पीड़ित नहीं माना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—माना गया है ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जिन लोगों को पेंशनें दी जाती हैं उनमें कितनों को ३९ रुपये मासिक से कम दी जाती हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार जिन लोगों को ३९ रुपये मासिक से कम पेंशन दे रही है उनकी पेंशनें बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२० रुपये कम से कम है और अधिक से अधिक ७५ रुपये हैं । यह दरें निर्धारित हैं । इसी के बीच में लोगों को पेंशनें दी जाती हैं । अगर कोई ऐसे मामले आते हैं कि जिनमें प्रार्थना की जाती है और मुनासिब समझा जाता है तो बढ़ा भी दी जाती है । इसमें ही हमने बढ़ाया भी है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी के पास सूचना है कि चौरीचौरा कांड के कितने पीड़ितों को कोई सहायता अथवा पेंशनें दी जाती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—खासतौर से पता लगाने के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि चौरीचौरा के राजनीतिक बन्दियों ने पेंशनें पाने के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिया था किन कारणों से वह दफ्तर में रिजेक्ट कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रिजेक्ट करने के तो एक दो कारण होते हैं जैसे रिपोर्ट ही पूरी न रही हो, लेकिन किस कारण से हुई उसका पता जरूर लगा लूंगा।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का सुझाव

*२२—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार समस्त राजनीतिक पीड़ितों को यह सुविधा देने का विचार रखती है कि उनके बालकों से कोई शिक्षा-शुल्क न लिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने इस मामले पर विचार तो किया था पर धनाभाव के कारण ऐसा करना संभव प्रतीत नहीं हुआ।

*२३—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले से सम्बन्धित कोई ऐसी तालिका तैयार कराई है कि कितने व्यक्तियों ने राजनीतिक आन्दोलन में जेल यातना भोगी अथवा जुर्माना की सजा पाई ?

श्री कमलपति त्रिपाठी—जी नहीं।

मुलजिमों का थाने से चालान के समय खर्च खूराक

*२४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुल्जिमों को थाने से चालान के समय सिर्फ आठ आने फी मुल्जिम पूरे दिन की खुराक के लिये दिये जाते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, मैदानी क्षेत्रों में पूरे दिन की खूराक के लिए आठ आने दिये जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों की दरें निम्नलिखित हैं :—

	रु०	आ०	पा०
१—चमौली (जिला गढ़वाल) में	१	०	०
२—लैन्सडाउन में	०	१४	०
३—अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में	०	१२	०

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैदानी क्षेत्र में जो ८ आना दिया जाता है उसको यह समझ कर कि कम है, सरकार १ रुपया खूराक का देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अवश्य विचार करेगी। जो भी मुनासिब सुझाव होते हैं सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों है ? क्या उन स्थानों पर भूख अधिक लगती है अथवा इन स्थानों में महंगाई और सस्ते का भेदभाव है ?

श्री कैलाश प्रकाश—उन स्थानों पर चूंकि महंगाई ज्यादा है, इसलिये यह रखा गया है।

*२५—श्री गनेशचन्द्र काछी—[हटा दिया गया।]

*२६-२७—श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में परिगणित जाति के व्यक्तियों का न लिया जाना

*२८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ में तथा १९५७ में ३० जून तक इटावा जिले में कितने पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती हुई? उनमें पिछड़े वर्ग और परिगणित जातियों के लोगों की संख्या क्रमशः क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश—सन् १९५६ में इटावा जिले से ५१ कांस्टेबिल भर्ती किये गये, जिनमें से १६ पिछड़े वर्ग के और १ परिगणित जाति का है। सन् १९५७ में ३० जून तक इटावा जिले में कोई कांस्टेबिल भर्ती नहीं किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिगणित जातियों के ९ या १० व्यक्तियों के बजाय केवल एक ही व्यक्ति क्यों लिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे तो रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि जो योग्यताएं आपने बना रखी हैं कान्स्टेबिलों की भर्ती के लिये, शरीर सम्बन्धी तथा शिक्षा सम्बन्धी, उनके हिसाब से आदमी नहीं मिल पाते, यही कारण है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात के लिये अपना समाधान कर लिया है कि उनके पास जो रिपोर्ट आई है वह सही है? जो प्रार्थना-पत्र आये थे उनमें इस योग्यता के ८, ९ व्यक्ति नहीं थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई जांच तो मैंने नहीं की, लेकिन सरकार का इरादा यह जरूर है कि इस बात की कोशिश की जाय कि परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग जितनी अधिक से अधिक तादाद में मिल सकें इसके लिये वह अवश्य लिये जायं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार निश्चित रूप से इस मामले की जांच कराने की कृपा करेगी कि इटावा की इन नियुक्तियों के लिये योग्य व्यक्ति थे या नहीं? या उनको न लिये जाने के और कोई कारण थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पूछ लूंगा और माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको सूचना भी भेज दूंगा इस बारे में।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सैकुलर राज्य में यह जातियों के आधार पर भर्ती क्यों की जाती है?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत पुराना सवाल है। आपने फिर उसे आज पूछा।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या परिगणित जाति के लोगों को वह इन भर्तियों में कोई एक्जेम्पशन देने जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक्जेम्पशन का सवाल तो उठता नहीं है, क्योंकि शारीरिक योग्यता, कांस्टेबिल वगैरह का काम ऐसा है कि जिसमें आवश्यक समझी जाती है और जो उसमें मिल जाय वह लिया जाय। इस बात की कोशिश की जायगी। इसमें जाति का सवाल नहीं है। किसी भी जाति का हो जिसकी शारीरिक योग्यता उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की आवश्यक है कांस्टेबिल होने के लिये तो वह नहीं लिया जायगा और जिनकी वैसी योग्यता होगी उनको ले लिया जायगा। इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जायगा कि इस जाति के लोगों को अधिक से अधिक तादाद में लिया जाय।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की पेंशन मिलने में विलम्ब

*२९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकर यह बतने की कृपा करेगी कि क्या उसने गत १५ जून तक स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों से पेन्शनों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो अभी तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, प्रार्थना-पत्र लेने की अवधि ३ बार बढ़ाई गई और अब ३० सितम्बर, १९५७ अन्तिम तिथि रखी गयी थी ।

*३०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या यह बात ठीक है कि सरकार ने राजनीतिक पीड़ित विभाग इसलिये खोला है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों की पेन्शनों तथा सहायता के लिये आने वाले प्रार्थना-पत्रों का शीघ्र ही निर्णय हो ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*३१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त विभाग को वह बन्द करने वाली है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जब कि सरकार ने गृह विभाग का काम बढ़ जाने की वजह से यह विभाग खोला है तो क्या इस सम्बन्ध में पुनः विचार करने की कृपा करेगी ताकि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के प्रार्थना-पत्रों पर शीघ्रता से निर्णय हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निर्णय तो शीघ्र होना चाहिये और हो रहा है। अगर कहीं कोई विलम्ब होता हो तो माननीय सदस्य उसकी सूचना दें। यह मैं देख लूंगा कि क्यों विलम्ब हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार का यह खयाल है कि गत दो वर्षों में जो व्यवस्था बनी गयी है उसके अनुसार ही उसमें शीघ्रता हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि कहीं किसी मामले में अगर विलम्ब हुआ हो और उसकी शिकायत मिले तो उसको देख लिया जायगा कि क्यों विलम्ब हो रहा है। दो वर्ष पूरे नहीं हुये। १३ हजार दरख्वास्तें ली गयीं और किसी एक निश्चित तिथि पर दरख्वास्तें नहीं आयीं। अवधि समाप्त हो रही है और दरख्वास्तें बराबर आती रहती हैं। इसलिये इसकी अवधि बढ़ानी पड़ी है। ३ हजार के करीब दरख्वास्तों पर फैसला हुआ है। बाकी विचाराधीन हैं। ५, ६ हजार दरख्वास्तें अस्वीकृत की गयी हैं। इन कारणों से ऐसा तो नहीं लगता कि विलम्ब हो रहा है किसी खास मामले की सूचना मिले तो उसको मैं देखूं ।

श्री केशव पांडेय—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि वहां कई दरख्वास्तें कई बार गायब हो चुकी हैं। उनके लिये बराबर नई नई दरख्वास्तें देनी पड़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे तो इसकी सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ने दी होती तो हमने उसकी खोज करा ली होती ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या गृह मंत्री जी को यह ज्ञात है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों को जेल का सर्टीफिकेट प्राप्त करने में अधिक कठिनाई हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, मालूम है। इसीलिये अब यह निर्णय किया जा चुका है कि अगर विधान सभा के दो सदस्य यह लिख दें कि यह हमारे साथ जेल में रहा है और हम जानते हैं तो उसको मन्जूर कर लिया जायगा।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि यह सब कुछ हो जाने के बाद सरकार लेखपाल और कानूनगो से उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जांच कराती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी एक केस के बारे में यह बात होगी अगर कोई और हो तो बतलाया जाय। ऐसी जनरल केसेज में, कानूनगो से कोई जांच नहीं करायी गयी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग को क्यों तोड़ा जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह कोई विभाग नहीं है और न स्थायी विभाग हो ही सकता है। यह काम खत्म होने के बाद टूटना चाहिये भी। जन्म जन्मान्तर तक राजनीतिक पीड़ित या स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक नहीं रहेंगे।

श्री गेंदासिंह—जिन्हें विधान सभा के सदस्यों के साथ जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हो उनके लिये क्या होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि फलां व्यक्ति जेल में रहा या नहीं उसे लिख सकते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्रीजी को विदित है कि पेंशन स्वीकृत हो जाने के बाद भी उन्हें रुपया मिलने में काफी देर होती है। यदि हां, तो क्या वह जल्दी रुपया दिलाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे नहीं उठता है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसकी विधि यह है कि ए० जी० के यहां से मंजूरी आती है फिर ट्रेजरी को सूचना दी जाती है ताकि वहां से वह आदमी रुपया ले ले इसमें कुछ विलम्ब होता होगा, लेकिन कोशिश जल्दी से रुपया देने की की जायगी।

ग्राम बढ़वारी मांग, जिला खीरी में फसल कटवाकर उठा ले जाने की घटना

*३२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या यह सत्य है कि ग्राम बढ़वारी मांग, परगना मोहम्मदी, जिला खीरी में १९ मार्च, सन् १९५७ को भूतपूर्व जमींदारों द्वारा फसल कटवाकर जबरदस्ती उठा ले जाने की कोई घटना हुई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जबरदस्ती फसल काटने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान आत्मज लोकई ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी।

*३३—श्री मन्नालाल—यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की गई, चूंकि श्री इन्द्र विक्रम सिंह, भूतपूर्व जमींदार ने अदालत से आदेश प्राप्त करने के पश्चात् भूमि तथा फसल पर। दखल लेकर फसल कटवाई थी, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। विपक्षीगण ने अदालत के इस आदेश के विरुद्ध एक दरख्वास्त दी है जो कि विचाराधीन है।

श्री मन्नालाल—क्या दखल लेने के लिये काश्तकारों को कोई नोटिस दिया गया था या अदालत में मुकदमा चलने की कोई सूचना उन्हें मिली थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह अदालती कार्यवाही थी, लेकिन सूचना यह है कि एक पक्ष की खारिज की गई ।

ग्रामीण स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा देने की व्यवस्था

*३४—श्री भूपकिशोर (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामों में रहने वाली स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा स्कीम के अनुसार शिक्षा दिलाने की वह व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन सम्बन्धी कथित पत्र-व्यवहार

*३५—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय सरकार से हाल ही में पत्र-व्यवहार किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

गोरखपुर जिले में धरमौली, बरगदवा व बरगदाही की डकैतियां

*३६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले की गत मास (मई, १९५७) की सशस्त्र डकैतियों में धरमौली और बरगदवा में कत्ल किये गये श्री देवनन्दन, इब्राहीम तथा हसन के परिवारों के भरण-पोषण के लिए सरकार की तरफ से भत्ते इत्यादि की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां तो कितनी रकम की व्यवस्था मासिक या वार्षिक ?

श्री कैलाश प्रकाश—इन व्यक्तियों के परिवारों को मासिक पेंशन दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

*३७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि बरगदाही ग्राम में जहां सशस्त्र डकैती हुई है वहां चार आग्नेयास्त्रों (fire-arms) के होते हुये भी उनका प्रयोग रक्षा के निमित्त या डाका रोकने के निमित्त नहीं हुआ ? यदि हां, तो ऐसे आग्नेयास्त्रों के मालिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस संबंध में जांच की जा रही है। जिसके पूरी होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतावेगी कि यह विचार कब तक समाप्त होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जब कागजात आ जावेंगे और उन पर विचार हो चुकेगा, तो समाप्त हो जायगा ।

श्री मदन पांडेय—ऐसे मामलों में मासिक पेंशन निर्धारित करने में किन-किन बातों पर विचार किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी पूरी तफसील तो मेरे पास नहीं है, सूचना मिलने पर मंगा दूंगा ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डकैतियों में अब तक कितने लोगों का चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---३७ वां प्रश्न तो यह है कि फायरआर्म्स वालों ने उनका प्रयोग नहीं किया। उसकी जांच हो रही है। जैसे ही जांच पूरी होकर आवेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मदन पांडेय---क्या इन डकैतियों में शहीद हुए लोगों के परिवारों के भरण-पोषण के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके बारे में उत्तर दिया जा चुका है, लेकिन और डकैतियों में भी जहां लोग इस प्रकार से जीवन का उत्सर्ग करते हैं उनके परिवारों की यत्रम् पुष्पम् जो कुछ हो सकता है सरकार की ओर से सेवा की जाती है।

इटावा जिले में पुलिस के दारोगों और दीवानों का अधिक समय तक तबादला न होना

*३८---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने ऐसे पुलिस के दारोगा तथा दीवान हैं जिन्हें जिला इटावा में ही पांच साल से अधिक समय हो गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---१५ सब-इंस्पेक्टर तथा २७ हैड कांस्टेबिल सिविल पुलिस (दीवान) ऐसे हैं जो ५ साल से अधिक से इटावा जिले में तैनात हैं।

*३९---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे पुलिस दारोगा और दीवान इटावा जिले में हैं, जिन्हें तीन साल से ज्यादा समय एक ही थाने में रहते हो गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---केवल एक ऐसा सब-इंस्पेक्टर है और ऐसा हैड कांस्टेबिल (दीवान) नहीं है, जिसको तीन वर्ष से ज्यादा समय एक ही थाने में रहते हो गया है।

श्री मोहनलाल वर्मा---इसका क्या नियम है कि एक सब-इंस्पेक्टर एक जिले में कितने दिन रह सकता है ?

श्री कैलाश प्रकाश---साधारणतया ६ साल तक रह सकता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या एक सब-इंस्पेक्टर एक थाने में ३ साल से अधिक इनचार्ज नहीं रह सकता है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह सामान्यतः सही है।

श्री शिवप्रसाद नागर---जहां सब-इंस्पेक्टर को ६ साल से अधिक, ८ या १० वर्ष हो गये हैं, क्या सरकार उनको स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---जब उन्होंने साधारणतया कह दिया है तब यह सवाल नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि साधारणतया ३ साल तक रहते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिनकी वजह से उनको वहां ३ साल से अधिक रक्खा जा सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शासन और जनहित की आवश्यकता पर उनको ३ साल से ज्यादा रक्खा जा सकता है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जब कोई सब-इंस्पेक्टर थाने पर या जिले में अवधि से ज्यादा रक्खा जाता है तो क्या जिले से सरकार के पास कोई रिपोर्ट आती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ध्यान इस बात की ओर गया है कि बहुत से सब-इंस्पेक्टर्स बहुत से जिलों में काफी दिनों से पड़े हुए हैं। जितनी अवधि होनी चाहिये उससे ज्यादा दिनों से पड़े हुए हैं। आई० जी० का भी ध्यान इस ओर गया है। इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जिले में ६ वर्ष से अधिक दिनों से जो सब-इंस्पेक्टर्स पड़े हुए हैं उनका तबादला करें।

*४०-४२---श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फ़ैजाबाद)---[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४५---श्री रामसुन्दर पांडेय---[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६---श्री गनेशचन्द्र काछी---[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव नगर में बारातियों पर पुलिस अत्याचार

*४७---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गत ८ जून को उन्नाव नगर में कुछ यात्रियों पर जो एक किराये की लारी में सवार थे, पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां।

*४८---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मारपीट के अवसर पर पुलिसमैनों के अतिरिक्त जिन्होंने मारपीट की, और कौन पुलिस अधिकारी मौजूद थे ?

श्री कैलाश प्रकाश---मारपीट के समय कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। एस० पी० व डी० एस० पी० मार पीट समाप्त होने पर पहुंचे।

*४९---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त मारपीट का घटनास्थल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस उन्नाव का बंगला था ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी मारपीट के कारणों को बताने की कृपा करेंगे और यह भी कि इन यात्रियों को सुपरिंटेंडेंट के बंगले पर कौन ले गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इस प्रकार का एक प्रश्न हमारे दूसरे आदरणीय सदन में भी हुआ था और उसका वहां उत्तर भी दिया जा चुका है। वास्तव में उन्नाव जिले में यह एक ऐसी घटना हुई है, जिस पर मुझे स्वयं बड़ा दुःख है और मैंने दूसरे सदन में भी अपने ये विचार प्रकट किये थे कि हमें दुःख भी है और इसकी लज्जा भी है कि इस प्रकार की घटना कोई हमारे सूबे में हो और जिसके आधार हमारे कांस्टेबिल हों।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बात यह थी कि एक बारात एक लारी में आ रही थी। दो पुलिस कांस्टेबिल रास्ते में मिले और उन्होंने लारी में बिठाने के लिये कहा। बारातवालों ने बस को किराये पर कर रक्खा था इसलिये उन्होंने इस पर एतराज किया, लेकिन लारी वाले के यह कहने पर कि उनका पुलिस वालों से रोज वास्ता पड़ता रहता है, इनको बिठा लीजिये, बारात वालों ने उनको बिठा लिया। जब वे बैठ गये तो ऐसा अंदाजा लगा कि वे शराब पिये हुए हैं। उनके साथ जो एक आदमी था उसके हाथ में एक शराब की बोतल भी थी। इस पर उन्होंने एतराज किया और कहा कि इनको उतार दो। इस पर कांस्टेबिलों ने जो नशे में थे, नाराजगी जाहिर की। बस के ड्राइवर ने कहा कि अब थोड़ी दूर रह गया है, बने रहने दीजिए। इसी बीच कांस्टेबिलों ने शराब के नशे में गालियां देनी शुरू कीं। इस पर बारातवालों ने तय किया कि इस वक्त तो इनको बैठे रहने दो। शहर में जब डी० एस० पी० का बंगला पड़ेगा, इनको पकड़ा देंगे। डी० वाई० एस० पी० के सामने कहेंगे कि इन कांस्टेबिलों ने शराब पी है और बदतमीजी की है। बहरहाल, जब डी० वाई० एस० पी० के बंगले के पास बस पहुंची तो बारात वालों ने बस को रोकवाया कि इनको कोतवाल के पास ले जाकर हाजिर करें। उनको लेकर वे बंगले के कम्पाउण्ड के भीतर पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से उस समय कोतवाल मौजूद नहीं थे, वे क्लब में थे और रात के ८ बजे का समय था, एस० पी० भी वहीं थे। बारात वाले जब कांस्टेबिल्स को लेकर वहां गये तो उन्होंने आवाज भी लगायी कि कोतवाल साहब अन्दर हों तो चले आवें, कुछ ने दरवाजे भी खटखटाये कि अगर डिप्टी साहब भीतर हों तो उनसे भेंट कर लें। दो कांस्टेबिलों को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था। उन कांस्टेबिलों ने यह देख कर कि ये तो हमको कोतवाल साहब के बंगले के अन्दर ले ही आये हैं और अब उनके सामने हाजिर भी कर देंगे तो वे जोर लगाने लगे और कोशिश करने लगे कि यहां से भाग जायं। तब तक उनका नशा भी कुछ खत्म हो चुका था। बारात वालों ने उनको जबर्दस्ती पकड़ रखा था और कह रहे थे कि तुमको कोतवाल साहब के सामने हाजिर करेंगे। उस समय डिप्टी साहब के बंगले पर दो अर्दली थे, रात के ८ बजे का वक्त था। उन अर्दलियों ने देखा कि ये १०, १५, २० आदमी हैं, जिन्होंने दो कांस्टेबिलों को पकड़ रखा है, जिनसे छुटकारा पाने की वे कोशिश कर रहे हैं और धक्कमधुक्की भी कर रहे हैं। इससे वे कुछ घबड़ाये तो एक अर्दली वहां से भागा और जाकर क्लब में पहुंचा जो नजदीक ही था और दूसरा अर्दली भाग कर पुलिस लाइन में पहुंचा जो नजदीक ही थी। उनको ऐसा कुछ खयाल हुआ कि इन लोगों न दो कांस्टेबिल्स को भी पकड़ रखा है और डिप्टी साहब को भी बुला रहे हैं तो शायद वे कोई आक्रमण वगैरह करना चाहते हैं। बहरहाल, वे अर्दली जब वहां पहुंचे तो एक ने डी० वाई० एस० पी० और एस० पी० को खबर दी कि १५, २० आदमी डिप्टी साहब के बंगले पर चले आये हैं और उन लोगों ने दो कांस्टेबिलों को भी पकड़ रखा है। उधर जो अर्दली पुलिस लाइन में गया था, उससे यह सुन कर कि डिप्टी साहब के बंगले पर दो कांस्टेबिलों को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, पुलिस लाइन से कुछ लोग डंडे लेकर आये और आकर उन लोगों ने बारात वालों को बिना समझे बूझे मारना पीटना शुरू कर दिया, डंडे चलाना शुरू कर दिया। उधर क्लब से एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० और ए० डी० एम० तीनों आदमी एक साथ मोटर में बैठ कर बंगले में आये। उनके आने में ५,७ मिनट की देर लगी। इतनी देर में वहां डंडे वगैरह की मार से ५,७,१० आदमियों को चोट लग गयी थी, कुछ बाहर भी भागे। पुलिस वालों को भी कुछ ढेले लगे, एकाध को अंगुलियों में भी चोट लगी थी। जब ये अफसरान आये और एस० पी० ने पूछा कि मारपीट क्यों हुई, इस पर बस वालों ने और बारात वालों ने उन्हें सूचना दी कि इस तरह से यह झगड़ा हुआ। उन्होंने उन कांस्टेबुलों को भी गिरफ्तार कर लिया और जिन लोगों को चोट आयी थी उनको अपनी जीप में अस्पताल भेज दिया। उन

दोनों अर्दलियों को भी आंतकपूर्ण और अनायास खबर देने के कारण सस्पेंड कर दिया। इस प्रकार चार पांच आदमी इस मामले में सस्पेंड हुये हैं। अब इसमें एक यह सवाल पैदा हुआ और वहां पर लोग यह कह रहे थे कि जब डी० वाई० एस० पी० साहब वहां आयें तो उन्होंने यह कहा कि इनको मारो। इस बात की जांच हमने करायी है, आई० जी० से, डी० आई० जी० से और कलेक्टर से भी करायी है। मैंने खुद भी इस सम्बन्ध में बातचीत की इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह दुर्घटना हुई, जैसा मैंने आपसे कहा कि वह लज्जाजनक थी, लेकिन यह कहना कि एस० पी० ने या किसी ने बस वालों को मारने पीटने के लिये कहा, इससे कोई फायदा नहीं निकलता, यह मुझे अतिरंजन सा लगा। इससे यह बात स्पष्ट है कि इसमें कम से कम एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० का कोई दोष नहीं था।

मैं स्वयं इस मामले में अपनी जितनी जानकारी कर सकता था वह मैंने की और उससे मुझे इतना आश्वासन हुआ कि यह बात तो गलत है कि एस० पी० या डी० वाई० एस० पी० ने आकर मारने पीटने की बात की, लेकिन यह बात सही है कि पुलिस वालों ने बस रोकी और गालियां दीं, और वह लोग वहां सही ही आये ऐसे आदमियों को डी० वाई० एस० पी० के जिम्मे करें, लेकिन लाइन में खबर देना, बारात पर डंडे चलाना और किसी को चोट पहुंचाना ये ऐसी घटनायें हैं कि जिन पर मैं ही नहीं, बल्कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सारे पुलिस वाले बड़े दु:ख और लज्जा का अनुभव करते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो स्वयं जांच-पड़ताल का आदेश दिया था, उसमें श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी एम० पी० और उन्नाव के प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं और वकीलों ने जो आरोप लगाया था डी० वाई० एस० पी० और एस० पी० के बारे में, उनसे भी जांच पड़ताल की गई या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जितना मैं कह चुका उस से ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही फिर दोहराता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से जो जांच पड़ताल की उस से मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि इसमें एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० का कोई हाथ नहीं था।

(श्री भगवती सिंह तथा कुछ अन्य सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष---अब प्रश्नों का समय तो समाप्त हो चुका है। समय का अतिरेक हो गया है, आपको पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला तो आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करना चाहें तो मैं उनकी इजाजत दे दूंगा। इस समय चूंकि मंत्री जी ब्यौरे से जानकारी देना चाहते थे इसलिये मैंने उनको अधिक समय दे दिया।

देवरिया में समाजवादी सत्याग्रहियों पर कथित पुलिस आक्रमण

*५०---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया में १० मई, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले सत्याग्रह में भाग लेने वाले समाजवादी सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप कितने सत्याग्रही घायल हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस द्वारा देवरिया जिले के समाजवादी सत्याग्रहियों पर कभी भी किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया गया।

*५१---कुंवर श्रीपाल सिंह---[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गांधीउच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोदपुर, जिला जौनपुर को केन्द्र से सहायता

*५२---कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल समोदपुर जिला जौनपुर को राज्य सरकार की सिफारिश पर पैंतीस हजार रुपया केन्द्र से दिया गया है, यदि हां ? तो यह सिफारिश किस आधार पर की गई और किस काम के लिये ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोदपुर को केन्द्रीय सरकार द्वारा पैंतीस हजार रुपया रिक्रीयेशन हाल कम आडिटोरियम (Recreation Hall cum Auditorium) के निर्माण के लिये मिला था। सहायता के लिये भारत सरकार ने जो शर्तें रक्खी थीं उनको जो भी संस्थाएं पूरा करने को तैयार थीं उनके आवेदन-पत्र भारत सरकार को विचारार्थ भेज दिये गये थे और उन्हीं में इस विद्यालय का भी आवेदन पत्र था।

*५३-५५—श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६—श्री रामस्वरूप वर्मा—[३० जुलाई, १९५७ को प्रश्न ५८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

जौनपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*५७—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में १ जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५७ तक कितनी डकैतियां तथा कितने कत्ल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस बीच ९ डकैतियां पड़ीं तथा २७ कत्ल हुए।

रामबरन डाकू की मृत्यु के पश्चात् घटनास्थल पर नोट और सोना मिलना

*५८—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामबरन डाकू जो परसरामपुर थाने के अन्तर्गत तथा गोंडा और बस्ती जिले में आंतक फैलाये हुये था, जब पुलिस की गोली का शिकार हुआ तब उसके पास कितने रुपये बरामद हुये ? क्या यह भी सच है कि रामबरन डाकू के मरने के ४ महीने बाद उस स्थान पर नोट का बण्डल और कुछ सोना मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रामबरन डाकू की मृत्यु के समय कोई धन बरामद नहीं हुआ था। उसकी मृत्यु के लगभग सात माह के उपरान्त घटनास्थल के मलवे से १२ फटे हुये दस-दस रुपये के करेन्सी नोट, कुछ नोटों के टुकड़े तथा एक सोने की फोंफी (नाक का आभूषण) जिसका वजन २ १/४ माशा था, मिली थी।

*५९-६०—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में कत्ल व डकैतियां

*६१—श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में पिछले वर्ष यानी १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक कितनी डकैतियां व कत्ल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में बुलन्दशहर जिले में १२ डकैतियां व ३० कत्ल हुए।

हिन्दी परामर्शदात्री समिति के पुनः संगठन पर विचार

*६२—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्दी परामर्शदात्री समिति का पुनः संगठन किस प्रकार होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला शासन के विचाराधीन है।

*६३—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रचलित देवनागरी लिपि में सुधार किस प्रकार करने का उसका विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विषय विचाराधीन है ।

*६४—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में सहायता देने के लिए समिति बनने का सुझाव

*६५—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का स्टैट्यूट बनने के पूर्व वह कोई कमेटी बनाने का विचार कर रही है जो विश्वविद्यालय सम्बन्धी कार्यों में प्रगति लाने के लिये उप-कुलपति को सहयोग दे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया।

*६६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले के पलिया थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*६७—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सूरमा थाना पलिया जिला खीरी के थारुओं ने कुछ मास पूर्व पलिया जिला खीरी के थाना इंचार्ज के विरुद्ध रिश्वत की जो दरख्वास्त पुलिस मंत्री को दी थी और जिसकी जांच Dy. S. P. (कंप्लेण्ट) खीरी कर चुके हैं उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पलिया थाने के दारोगा को मुअत्तल करके उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही शुरू करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

*६८—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि दरख्वास्त देने वालों को इंचार्ज थाना पलिया ने डराया, धमकाया और उजाड़ देने की धमकी दी, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने एक शिष्ट मंडल द्वारा गत २ मई, १९५७ को पुलिस मंत्री को दी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। ऐसी सूचना शिष्ट मंडल ने दी थी, लेकिन इस आरोप की सत्यता के विषय में सरकार के पास कोई विशेष सूचना नहीं है। संभव है ऐसा हुआ हो। दारोगा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया जिले में क्षय रोग पीड़ित पुलिस सिपाही

*६९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में देवरिया पुलिस में कितने सिपाही क्षय रोग से पीड़ित थे और उनके उपचार की कौन सी व्यवस्था की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—देवरिया जिले में १९५६-५७ में पुलिस के दो सिपाही क्षय रोग से पीड़ित हुये थे। उन दोनों सिपाहियों का उपचार पुलिस अस्पताल में किया गया और वे अब रोगमुक्त हो चुके हैं।

प्रति विद्यार्थी राजकीय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों पर व्यय

*७०--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में राजकीय व सरकारी सहायता प्राप्त (aided) स्कूलों के विद्यार्थियों पर प्रति विद्यार्थी सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

विद्यालय	राजकीय विद्यालय के प्रति विद्यार्थी पर सरकार द्वारा किया गया व्यय	साहाय्यिक विद्यालय के प्रति विद्यार्थी पर सरकार द्वारा किया गया व्यय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	१६१.५ रु० प्रति वर्ष	२७.१ रु० प्रति वर्ष
पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में	३.८ रु० प्रति वर्ष	१४.७ रु० प्रति वर्ष

प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण

*७१--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किस आधार पर होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्राइमरी कक्षाओं की पुस्तकें शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञों से लिखवाई हैं। जूनियर हाई स्कूल की पुस्तकें सरकारी गजट में राजकीय विज्ञप्ति द्वारा आमंत्रित की जाती हैं और समीक्षकों की सम्मति के आधार पर चुनी जाती हैं।

मुजफ्फरनगर कलेक्टरेट के क्लर्क श्री राजेन्द्रसिंह की शिकार खेलते समय मृत्यु

*७२--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि गत १२ मार्च, १९५७ को मुजफ्फरनगर जिले के कलेक्टरेट का क्लर्क श्री राजेंद्रसिंह सहारनपुर जिले के लाल वाल जंगल में शिकार खेलते हुए प्रातः १०-३० बजे मारा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। यह घटना १३ मार्च, १९५७ को हुई थी।

*७३--श्री अहमद बख्श--क्या गृह-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस शिकार पार्टी में कहां-कहां के व्यक्ति शामिल थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर के।

*७४--श्री अहमद बख्श--क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि इस मामले की छानबीन की क्या कार्यवाही अभी तक की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस तथा सी० आई० डी० द्वारा अभी जांच जारी है।

फैजाबाद जिले के थाना कोतवाली में हत्याओं तथा थाना जलालपुर में डकैतियों की अधिकता

*७५--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि फैजाबाद जिले के किस थाने में १ अप्रैल, १९५६ से लेकर ३१ मार्च, १९५७ तक--

(१) सब से ज्यादा हत्याएं हुईं ?

(२) सब से ज्यादा डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फैजाबाद जिले में १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक थाना कोतवाली में सबसे अधिक हत्याएं और थाना जलालपुर में सबसे अधिक डकैतियां हुईं।

गोरखपुर जिले में निचलौल तथा कोठीभार थानों के अन्तर्गत अपराध

*७६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले के निचलौल तथा कोठीभार थाने के अन्तर्गत इस वर्ष में कितनी चोरियां, डकैतियां हुईं तथा उनमें से कितनों का पता लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०५ पर)

गोरखपुर जिले में ग्राम वासियों को डाकू सरदार के धमकी भरे पत्र

*७७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तथा फरेंदा तहसीलों में तथा कथित डाकू सरदार के धमकी भरे पत्र निचलौल थाने के अन्तर्गत हरदी, पिपरा, काजी का कपियाटोला, देउरवा, ठूठीवारी और राजावारी तथा महराजगंज थाने के अन्तर्गत पनेवा पनेई और महराजगंज के कुछ लोगों को मिले हैं, जिन में एक निश्चित अवधि में चावल और रुपये एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचने पर डकैतियां डालने की धमकी दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे धमकी भरे पत्र निचलौल थाने के अन्तर्गत ग्राम कुनउरी, सती, हरदी, पिपरा काजी टोला, कपियां, ठूठीवारी, जगदौर, बेथउलिया, देवला तथा जमई पंडित एवं महराजगंज थाने के अन्तर्गत पनेवा पनेई तथा ओरांटार ग्रामों में प्राप्त हुए थे।

गोरखपुर जिले के कोठीभार थाने की पुलिस द्वारा सीमेंट पकड़ना

*७८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिले के कोठीभार थाने की पुलिस ने ६४ बोरा अवैध सीमेंट, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग का बताया जाता है, कब्जे में की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोठीभार थाने की पुलिस ने ६४ बोरा सीमेंट ५ व्यक्तियों के घर से अवैध समझकर बरामद की थी, परन्तु जांच करने पर वह अवैध प्रतीत नहीं हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग से उस सीमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं था, बल्कि जिन के घर से निकला उन्हीं का था।

वाराणसी के बेनियाबाग में पुलिस दंगल के अवसर पर दंगा

*७९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ अप्रैल, १९५७ को वाराणसी के बेनियागांव में पुलिस दंगल के अवसर पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लाठी चार्ज नहीं किया गया, पर पुलिस ने विजेता से मिलने के लिए उत्तेजित जनता की भीड़ को हाथों द्वारा रोकने का प्रयत्न किया था। इस सिलसिले में उन्हें कहीं-कहीं अपने "बैटन" का भी प्रयोग करना पड़ गया था। घटना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०६ पर)

आजमगढ़ जिले में राजकीय प्राइमरी स्कूलों को भवन निर्माणार्थ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता न मिलना

*८०—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे राजकीय प्राइमरी स्कूल हैं, जिन्हें भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत एक हजार रुपया प्रति स्कूल सहायता जिला बोर्ड द्वारा अब तक नहीं दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल ६२।

शाहजहांपुर जिले के परौर थाने में फूलसिंह हवालाती की मृत्यु

*८१—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत जून, १९५६ में जिला शाहजहांपुर के परौर थाने के अन्दर थानेदार ने एक हवालाती को जान से मार डाला था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। सरकार को ज्ञात है कि एक फूलसिंह नामक हवालाती मई, सन् १९५६ में थाना परौर, जिला शाहजहांपुर में मर गया।

*८२—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार हवालाती की हत्या के कारणों पर प्रकाश डालेगी और इस सम्बन्ध में श्री एस० डी० एम० जलालाबाद की रिपोर्ट हाउस की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हवालाती की मृत्यु की रिपोर्ट से सरकार पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं है और इस विषय में कमिश्नर रोहिलखण्ड डिवीजन को जांच सुपुर्द कर दी गयी है। आगे की कार्यवाही उनकी रिपोर्ट आने पर की जायगी। चूंकि कमिश्नर इस में आगे जांच कर रहे हैं, ऐसी दशा में एस० डी० एम० की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

टाउन हायर सेकेण्डरी स्कूल मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ में फ्लड शेल्टर न बन सकना

*८३—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन हायर सेकेण्डरी स्कूल, मुहम्मदाबाद, गोहना, जिला आजमगढ़ में फ्लड शेल्टर निर्माण करने के लिए गत वर्ष कितना रुपया स्वीकृत हुआ था और वह फ्लड शेल्टर अब तक क्यों नहीं निर्मित हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त फ्लड शेल्टर के लिए गत वर्ष १,३०० रुपया जिला निर्माण विभाग द्वारा रक्खा गया था।

फ्लड शेल्टर के निर्माण का कार्य स्कूल के द्वारा ही हो रहा है। चूंकि इसके मेहराब पूर्ण नहीं हो पाये थे, अतः फ्लड शेल्टर निर्माण नहीं हो सका था।

मुरादाबाद जिले में धारा १०९ व ११० सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत चालान

*८४—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वर्ष १९५५ व १९५६ में कुल कितने चालान धारा १०९ व ११० सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत किये गये और उन में से कितने अदालतों द्वारा प्रमाणित हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५५ में धारा १०९ के अन्तर्गत २४९ चालान किये गये, जिनमें २१० अदालतों द्वारा पाबन्द हुए तथा धारा ११० में ४९ चालान किये गये, जिनमें से ४५ पाबन्द हुए।

१९५६ में धारा १०९ में ३०८ चालान किये गये, जिनमें से १७९ पाबन्द हुए तथा धारा ११० में ५४ चालान किये गये जिन में से २९ पाबन्द हुए।

*८५—श्री महीलाल—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के चालान किये गये, उनमें से कितने ऐसे थे जिन के घरों पर आजीविका के साधन थे और उससे पहले अन्य धाराओं के अन्तर्गत दण्डित भी नहीं हुए थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वर्ष १९५५ में केवल ३ व १९५६ में ७१ ही व्यक्ति ऐसे थे।

मथुरा जिले में खैराल रूपनगर खादर क्षेत्र में जंगलात के कारण डकैतियां

*८६—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की तहसील छाता में खैराल रूपनगर जहां जमुना जी का खादर है, जंगलात द्वारा एक बड़ा क्षेत्र घिर गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*८७—श्री रामहेत सिंह—क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के आस-पास कई डकैती पिछले महीने में पड़ चुकी हैं। यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र को जंगलात से मुक्त करने का सरकार का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, एक रात्रि में ६ घरों में डकैतियां पड़ीं। इस क्षेत्र को जंगलात से मुक्त करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि यह जंगल संरक्षण योजना के अधीन लगाये गये हैं और बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

खीरी जिला बोर्ड के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*८८—श्री मन्नालाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के जिला बोर्ड के अध्यापकों को माह फरवरी से अप्रैल, सन् १९५७ का वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला बोर्ड, खीरी के अध्यापकों को फरवरी से अप्रैल सन् १९५७ का वेतन दिया जा चुका है।

*८९—श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, वी० टी० सी० अध्यापकों का वेतन ४० रु० तथा जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन ४५ रु० और ६० रु० है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

जालौन जिले में विलीन क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापक

*९०—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में विलीन क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापक किस शर्त पर लिये गये, स्थाई या अस्थायी तथा उन के कार्यकाल का समय क्या माना गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यापकों को उनके भूतपूर्व राज्य की सेवा से सेवा निवृत करा कर जिला बोर्ड, जालौन में पुनः नियुक्ति दी गयी है। अब ये अध्यापक जिला बोर्ड में अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी माने जायेंगे। इनका कार्यकाल वही होगा जो जिला बोर्ड के अन्य अध्यापकों का होता है।

शिक्षा शुल्क न लेने के सम्बन्ध में कथित आदेश

*९१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि शिक्षा संचालक ने एक सर्क्युलर द्वारा प्रदेश में यह आदेश दिया था कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोजीशन में उत्तीर्ण हों, उनसे शिक्षा शुल्क न लिया जाय ? यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता

इटावा जिले में डकैतियां

*९२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में मार्च, १९५६ से मार्च, १९५७ तक कितनी डकैतियां पड़ीं और कितने डकैत पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में २८ डकैतियां पड़ीं और इस सम्बन्ध में कुल २९१ व्यक्ति पकड़े गये थे ।

*९३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या जितने डकैत पकड़े गये उनमें सभी को सजा हुई या कुछ छोड़े गये ? यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । कुछ छोड़े भी गये । ६५ व्यक्ति तो यथेष्ट प्रमाण न मिलने के कारण पुलिस द्वारा धारा १६९ सी० आर० सी० पी० के अन्तर्गत छोड़ दिये गये । ३३ न्यायालयों द्वारा छोड़े गये । शेष में से ३९ दण्डित हुए और १५४ पर अभी मुकदमे चल रहे हैं ।

आगरा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नियुक्त विज्ञान अध्यापकों का हटाया जाना

*९४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार जांच करके यह बतायेगी कि आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के शिक्षा विभाग द्वारा १९५५ में दो विज्ञान अध्यापकों की जिस नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने डिसअप्रूव (disapprove) कर दिया था उन के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चुनाव अवैध होने के कारण उन अध्यापकों को उनके पद से ११ सितम्बर, १९५६ को हटा दिया गया था ।

*९५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वे नियुक्तियां बिना विज्ञापन की गई थीं तथा सरकारी नियमों के विरुद्ध थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

आजमगढ़ जिले में बाढ़पीड़ित क्षेत्र के छात्रों को सहायता

*९६—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के कितने छात्रों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सगड़ी तहसील में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ कितनी धनराशि किस-किस रूप में दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्राइवेट स्कूलों के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों से पहले हटा देने की शिकायत

*९८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार के पास यह शिकायतें आई हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और कालेजों के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टी प्रारम्भ होने के कारण नोटिस दिये गये कि उनकी नौकरी गत पहली मई से समाप्त हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले के अब्दुल्ला ग्राम की डकैती

१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १४ मई, १९५७ को संध्या समय सहारनपुर जिले के अब्दुल्ला ग्राम में पड़ी हुई डकैती के सिलसिले में कितने लोग मरे, कितने घायल हुए और कितनों की सम्पत्ति का अपहरण हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१४ मई को तो नहीं, किन्तु ११/१२ मई, १९५७ की रात को ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर में एक डकैती पड़ी। उसमें तीन व्यक्ति मारे गये और चार व्यक्ति डाकुओं द्वारा घायल हुए। इस डकैती में २०,६३४ रु० ४ आ० की संपत्ति, जिसमें २०,००० रु० नकद भी सम्मिलित है, लूटी गई।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के पुनस्संघटन पर विचार

२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा मंत्री के पदों को वह वैतनिक करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है। इस प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी, जिसके अध्यक्ष का पद अवैतनिक था तथा मन्त्री का पद वैतनिक था। इस समिति का कार्य-काल ३१ मई, १९५७ को समाप्त हो चुका है। नई समिति के पुनस्संघटन पर विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान से छिपे रूप में सोने का व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही

३--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पाकिस्तान से छिपे रूप में सोने का व्यापार करने वाला कोई गिरोह राज्य में काम कर रहा है। यदि हां, तो उन्हें पकड़ने के लिये उसने कौन सा उपक्रम किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे किसी गिरोह की तो सूचना नहीं, मगर जुलाई, १९५६ में जिला मुजफ्फरनगर के कुछ व्यक्ति अमृतसर चेकपोस्ट पर पकड़े गये थे और उनके पास से सोना बरामद हुआ था। मई सन् १९५७ में अलीगढ़ में एक सराफ पकड़ा गया था जिसके पास से कुछ सोना बरामद हुआ था जो Smuggled कहा जाता है। इस सम्बन्ध में कुल कार्यवाही केन्द्रीय एक्साइज विभाग द्वारा की जाती है।

४--श्री गज्जूराम--[अस्वीकार किया गया।]

ललितपुर डिवीज़न में डकैतियों से धन-जन की हानि

५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ क बजट वर्ष में ललितपुर डिवीजन में कहां-कहां कितने डाके पड़े और उनमें कितना माल व नकद रुपया गया तथा कितने आदमी डाकुओं द्वारा मारे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी हुई सूचना संलग्न है।

(देखि नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०७ पर)

थानों पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन

६--श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थानों पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर प्रदेश में थानों पर काम करने वाले मेहतरों का वेतन-क्रम इस प्रकार है :—

(१) जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर काम करते हैं रु० २७—१/२—३२ रु०।

(२) जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से बाहर काम करते हैं रु० २२—१/२—२७ रु०।

राजकीय विद्यालय देवरिया के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित आवास-स्थान की भूमि

७—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय विद्यालय देवरिया (बालक) के प्रधानाचार्य के प्रस्तावित आवास स्थान (क्वार्टर) की भूमि का हस्तान्तरण पुलिस विभाग से क्यों न हो सका ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस भूमि की पुलिस विभाग को स्वयं आवश्यकता है।

कानपुर में श्री जगदीश अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा

८—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में श्री जगदीश अवस्थी (वर्तमान संसद् सदस्य) को २३ सितम्बर, १९५६ को धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार करने के बाद उन पर अभी तक कोई मुकदमा प्रारम्भ नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री जगदीश अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा धारा १८८ के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मलिखान सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री मलिखान सिंह जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वह बिल्कुल १० बजकर ५९ मिनट पर जब मैं यहां आ रहा था मुझे दिया गया और उसकी दूसरी नकल भी जो आई वह बाद में भेजी गई, इसलिये मैं आज इसको नहीं ले सकता क्योंकि आज न तो इसको मैं पढ़ पाया और न माननीय मंत्री महोदय के पास ही भेजा गया। अगर मैंने इसकी आवश्यकता समझी तो अगले रोज जब सदन बैठेगा और माननीय सदस्य दोबारा उसका नोटिस भेज दें तो उस पर विचार हो जायगा।

श्री मलिखान सिंह (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। दो आदमियों ने भूख हड़ताल कर रखी है इसलिये आप...

श्री अध्यक्ष—वहां भूख हड़ताल हो रही है, लेकिन आप को इतने दिन बाद भी १० बज कर ५९ पर याद आई यह ताज्जुब की बात है।

श्री मलिखान सिंह—अब तो ५ दिन की छुट्टी हो रही है।

श्री अध्यक्ष—५ दिन की छुट्टी के बाद भी विचार हो सकता है और मंत्री जी तो कहीं नहीं जारहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

शिक्षा उपमन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०८–७०९ पर)

आजमगढ़ जिले में अभिकथित भुखमरी के विषय में अन्न मन्त्री का वक्तव्य

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, अभी परसों जो कामरोको प्रस्ताव मैंने पेश किया था उसमें आपने माननीय खाद्य मंत्री से कुछ बातें जानने की कृपा की थी। मैं जानना चाहूंगा कि भुखमरी के बारे में जो मैंने इत्तला दी थी उसके विषय में मंत्री जी ने क्या सूचना प्राप्त की है?

श्री अध्यक्ष—पिछले दिन माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसके बारे में जांच करके सूचना देवेंगे तो वह अनुदान पेश करने के पहले सूचना सदन को दे दें, ताकि लोगों को आसानी हो और उनके वक्तव्य पर भी वह टीका टिप्पणी कर सकें।

*न्याय मन्त्री (श्री सैयदअली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, वह सूचना मेरे पास आ तो गई है, लेकिन इस समय तो मेरे पास खाली बजट लिटरेचर ही है, वह सूचना नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो इत्तला मिली है, मालूम यह हुआ कि वह शख्स कोई चार रोज से बीमार था। उसको टचूबरकुलोसिस और लेप्रासी की गालिबन बीमारी थी। कोई चार दिन से उसकी हालत ज्यादा खराब हो गयी थी। उसका लड़का मौजूद है और भी लोग हैं खानदान में और उसके पास कुछ खेती भी है। इससे मालूम यह हुआ कि जब वह मरा तो काफी उसके घर में अनाज भी था। जो उसका क्रिया कर्म किया गया उसमें धूम से पैसा भी खर्च किया गया। कोई इसका सवाल नहीं भुखमरी है या क्या है। इस तरह से ऐसे जो भी सवाल आये हैं करीब-करीब हर एक में यही पता चला है। यह भी मालूम हुआ कि कुछ लोग लड़के के पास गये और यह भी उन्होंने ख्वाहिश की कि तुम इस बात पर दस्तखत कर दो कि तुम्हारा बाप भुखमरी से मरा है। लड़का जो है उसका नाम बसन्त है। वह पढ़ा लिखा है। उसने इससे बिल्कुल इन्कार किया और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा बाप भुखमरी से मरा है, यह वाकया के खिलाफ है। उसकी उम्र ४५ साल की थी। और ८ अगस्त को वह मरा है। यह जरूर है कि मौजे में कुछ झगड़ा चल रहा था एम्प्लायर और एम्प्लाईज में। उस सिलसिले में स्ट्राइक भी हो रही थी। उसी स्ट्राइक के सिलसिले में उसने काम पर जाना बन्द कर दिया था। उसके बाद चार दिन से उसकी हालत ज्यादा खराब हो गयी थी।

१९५७–५८ के लिए आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिए समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के अनुदानों के लिए प्रस्ताव होंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, १४, २० और २१ अगस्त के लिए जो अनुदान रखे गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ५ और १५ आज लिये जायं। अनुदान संख्या २९ को २० अगस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

को पूरे दिन। अनुदान संख्या २६ को २१ अगस्त को लिया जाय। बाकी अनुदान असाधारण व्यय, राज्य व्यापार की योजनाएं, राज्य आबकारी, स्टाम्प, रजिस्ट्री, मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, कृषि इंजीनियरिंग, इन सब को बिना बहस के पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

माननीय न्याय मंत्री नम्बर ३ और ४ को क्रम से उपस्थित कर दें। इन पर मैं राय ले लूं। फिर आइटम नम्बर १ और २ को एक साथ उपस्थित करके उसके ऊपर बहस होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, एक साथ नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह दोनों एक साथ चाहते हैं।

श्री गौरी शंकर राय—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि दो घंटे वन और बाकी सदन क एक घंटा समय और बढ़ा कर . . . . . .

श्री अध्यक्ष—समय बढ़ाने का वह प्रस्ताव तो आप बाद में लायेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—वन दो घंटे, और बाकी न्याय।

श्री अध्यक्ष—माननीय न्याय मंत्री पहले नम्बर ३ और ४ उपस्थित कर दें। इन पर मैं राय ले लूं।

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक १३—असाधारण व्यय

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—असाधारण व्यय—लेखा शीर्षक: ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३५,८५,१०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—असाधारण व्यय—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३५,८५,१०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ८५–क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—राज्य व्यापार की योजनाएं—लेखा शीर्षक ८५–क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ६,४७,९५,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—राज्य व्यापार की योजनाएं—लेखा शीर्षक : ८५–क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ६,४७,९५,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

*न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिस से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत २,१५,७४,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वन विभाग का ताल्लुक है माननीय सदस्य यह देखेंगे कि इस साल दो रकमें इसके मुताल्लिक मांगी गई हैं। एक तो वह अखराजात हैं जो प्लान के सिलसिले में हैं। इसके सिलसिले में ४८,८२,२०० रु० की मांग है। और बाकी जो मामूली अखराजात हैं उसके सिलसिले में कोई १,७७,२०,९०० रु० की मांग की गयी है।

(इस समय १२ बजकर २० मिन पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

इसी के साथ जो रेवेन्यू रिसीट्स के आइटम्स हैं अगर वे देखे जायं तो उससे यह मालूम होगा कि वन विभाग से इस सूबे की ४,४४,७६,१०० रु० की आमदनी इस साल होने की उम्मीद है। ऐसी सूरत में यह मालूम होगा कि तकरीबन २,२८,००,००० की नेट इनकम इस विभाग से सरकार को होगी।

जहां तक वनों का ताल्लुक है माननीय सदस्य शायद जानते हों कि यह हमारी जिन्दगी का बहुत बड़ा जुज़ है। हालांकि इसका ऐहसास हमको पूरे तौर से नहीं होता है और हम ऐसी जगहों में रहते हैं जहां वन बहुत दूर होते हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि कई जरूरियात जिन्दगी की हैं जिनके लिये वनों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं कि जो ऐक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि किसी मुल्क में वहां के काश्तकारों की जिन्दगी तथा और लोगों की जिन्दगी अच्छी तभी हो सकती है जब कम से कम जंगल २० फीसदी जो जमीन हो आराजी की उसके जंगल हों और जो पहाड़ी इलाका है उसका ६० फ़ीसदी जंगल होने की जरूरत है। तभी इन्सान की कुल जरूरियात पूरी हो सकती हैं और फ़िल हकीकत हमारे सूबे में इस हिसाब से देखते हुए जो जंगल हैं वह सिर्फ ५.१ परसेंट तो हमारे मैदानी इलाके में और २३.५ पहाड़ी इलाकों में हैं। इससे मालूम होगा कि कितनी ज्यादा हमारे यहां जंगलों की कमी है। जंगलों की जरूरत काहे के लिये है यह माननीय सदस्य जानते होंगे। लेकिन मैं खास तौर से बतला दूं, क्यों कि यह बड़ी भारी एक नेशनल वेल्थ है और रोजमर्रा की जिन्दगी के लिये यह किस कदर जरूरी चीज है उसका अन्दाजा आपको उन चन्द बातों से होगा जो मैं अभी आप के सामने पेश करूंगा।

सब से पहली बात तो यह है कि मौसमी हालत किसी देश की जभी ठीक रह सकती है, बारिश वक्त से जभी हो सकती है जब वहां के ऊपर काफी मिकदार में जंगल हों। अगर जंगल न हों तो मौसम पर भी उसका असर पड़ जाता है और जंगल कट जाने पर वहां का मौसम उतना अच्छा नहीं रहता जितना पहले होता है। पानी के मूवमेंट से या बड़ी बड़ी जो दरिया बहती हैं, या चश्मे आते हैं पहाड़ों से उनसे जमीन का इरोज़न होता है और उसकी वजह से जैसा आप ने देखा होगा यमुना की खादर में या और हिस्सों में आप देखेंगे कि जमीन कटती जा रही है। वहां फिर कोई चीज उग नहीं सकती है और इस तरह से जरखेज जमीन कम होती जाती है। उसको रोकने के लिये सिर्फ यही सूरत है कि वहां दरख्त लगाये जायं और जंगल वहां हों। अब इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए भी जंगल बड़े काम के होते हैं।

जो इंडस्ट्रिअल प्रोग्रेस हम करना चाहते हैं उसकी तरह-तरह की चीजें ऐसी हैं कि जिनमें हमारे जंगलों की चीजों की जरूरत होती है। मसलन एक बहुत छोटी सी चीज है—दियासलाई। इसके लिये हमको खास तरह की लकड़ी की जरूरत होती है, जो जंगल से ही मिल सकती है। अभी थोड़े वर्ष पहले तक जब अंग्रेजी हुकूमत थी, बहुत बड़ी तादाद में दियासलाई बाहर से हमारे यहां आती थी। अभी हमारे यहां यह इंडस्ट्री बढ़नी शुरू हुई है। जैसे-जैसे यह तरक्की करेगी वैसे-वैसे खास किस्म की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

तो यह तो मैंने एक मिसाल दी। बाकी और चीजों पर आप खुद भी गौर कर सकते हैं। उसके अलावा जंगलों से बहुत सी चीजें पैदा होती हैं जैसे रे जिन है, जिसके जरिये से रोजिन बनता है और उससे वार्निश और और तरह-तरह की चीजें तैयार की जाती हैं। वह जंगल में ही पैदा होता है। आपको मालूम है कि सरकारी रेलवे में जो स्लीपर्स लगते हैं उनके बनने में जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है वह सब इन्हीं जंगलों से आती है। उसी के साथ-साथ यह भी हमको याद रखना है कि हमारी हिफाजत के लिये डिफेंस के लिये भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके लिये कि जंगल की लकड़ी की जरूरत होती है। उन लकड़ियों को हमें डेवलप करना होता है।

फिर आप को मालूम है कि जलाने के लिये लकड़ी की जरूरत होती है। जलाने के लिए लकड़ी की इतनी कमी रही है कि हमारे देहातों में करीब-करीब जितना गोबर होता है वह सब लोग जला देते हैं, इसीलिए कि उनके पास काफी लकड़ी नहीं होती। असल में उस गोबर को खेतों में जाना चाहिए जिससे कि उसकी पैदावार बढ़ सके, लेकिन लकड़ी न मिलने की वजह से वह उसे जला देते हैं। फिर जानवरों को पालने के लिये और जानवरों की खूराक के लिए ऐसी जगहें होनी चाहिए जहां पाश्चर लैंड हों और वह वहां पर जाकर चर सकें। उसी के साथ-साथ गोसदन खोले जायं उनके लिये आप को मालूम है कि हमको फारेस्ट को प्रिजर्व करने की जरूरत है। यह कमी जो आ गई है--हमारे यहां ५ फीसदी है बजाय २० फीसदी के--इसको हम पूरा करें। इसके लिये बहुत से कदम सरकार ने उठाये हैं।

मिनजुमला आप को मालूम है कि थोड़े दिन हुए प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट पास हुआ है। कोई प्राइवेट फारेस्ट हो तो वहां भी बिना सरकार की इजाजत के दरख्त काटे नहीं जा सकते। जो खास तरीका होता है, जिसमें पुराने दरख्त काटे जाते हैं और नये दरख्त लगाये जाते हैं उसे बरता जाता है। जिन दरख्त की जिन्दगी पूरी हो जाती है उनको काटने के लिये निशान लगा दिया जाता है। वही सिलसिला जारी है ताकि किसी तरह फारेस्ट खत्म न हों। यह सब इन्तजाम हमारी तरफ से किये जा रहे हैं।

इस सिलसिले में मैंने एक प्लान भी बनाया है और उसके लिये भी कुछ रुपया खास तौर से रक्खा गया है। चुनांचे ३८ लाख ४२ हजार रुपया प्लान आइटम्स के लिये हमारे यहां प्रोवाइड हुआ है और जो हमारे अखराजात हैं उनके लिये १ करोड़ ७७ लाख रुपये हमारे बजट में रखे गये हैं। प्लान आइटम्स में बहुत सी नयी चीजें चला रहे हैं। ११ स्कीमें थीं, जो शुरू में प्लान के अन्दर रक्खी थीं, जिनको शुरू करना चाहिये था फारेस्ट की तरक्की के लिये और उसके प्रिजर्वेशन के लिये, लेकिन उनमें से पारसाल सिर्फ ८ जारी हो सकीं, लेकिन इस साल जो बाकी रह गई थीं उनको भी जारी करेंगे।

इन स्कीमों का भी जिक्र कर दिया जाय। पहली स्कीम यह है कि कम से कम ५० हजार फ्रूट ट्रीज, जिनकी लकड़ी भी काम आती है, लगाये जायं, जैसे अखरोट, चेस्ट नट और एलमंड। उसके बाद हमारे यहां लाख पैदा होती है मिर्जापुर में, खास तौर से दूधी के इलाके में। उसके लिये यह होता है कि कुछ मखसूस किस्म के दरख्त होते हैं, जिनको इंफेक्ट कर दिया जाता है और उससे लाख बनने लगती है। पुराने जमाने में उसकी ठेकेदारी मजदूरों को दी जाती थी, ताकि उसे वे जमा करें और उसको हम बाहर के मुल्कों को भेज दिया करते थे और बहुत सी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में वह काम में आती थी। आजाद होने पर यह सोचा गया कि यह उन्हीं काश्तकारों को दे दिया जाय जो इसको पैदा करते हैं। चुनांचे गवर्नमेंट ने ठेका नहीं दिया और उन्हीं के हवाले कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि लाख की पैदावार जितनी होनी चाहिये थी या जितनी तरक्की होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि वह इंडस्ट्री करीब-करीब खत्म हो गयी। चुनांचे फिर से हम उसे डेवलप करने की कोशश कर रहे हैं और यह खयाल है कि मिर्जापुर में ही नहीं, बुन्देलखंड, बांदा, बनारस और सोन डिवीजन, मिर्जापुर में इसको बढ़ाया जाय और तरक्की दी जाय।

इसी तरह से ऐसे दरख्तों, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं जैसे प्लाई वुड वगैरह, की मिकदार बढ़ाई जाय और ज्यादा तादाद में लगाये जायं। चुनांचे तकरीबन साढ़े बारह हजार एकड़, मेरा खयाल है कि वहां पर ऐसे दरख्तों को लगायेंगे जिनसे हमें इंडस्ट्रीज के लिये जिन लकड़ियों की जरूरत होती हैं खास तौर से, उनको हम वहां पर पैदा करें।

एक हमारे यहां बहुत उम्दा लकड़ी होती है–साल की और यह बहुत काम में आती है और बहुत मुफीद है। बदकिस्मती से जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई और अंग्रेजों की यहां हुकूमत थी तो उन्होंने बिला लिहाज इसके कि इसका नतीजा क्या होगा, बहुत बड़ी तादाद में जितनी लकड़ी की उनको जरूरत पड़ी अपनी जंगी जरूरियात के लिये उस लकड़ी को उन्होंने कटवा लिया और ले गये। नतीजा यह हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन साल का था वह कहां तो ३९–४० में ४७ लाख क्यूबिक फिट था, वह ३३ लाख क्यूबिक फिट रह गया और साल की लकड़ी बहुत कम हो गयी। और दूसरे बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर साल के जंगल थे वह खाली हो गया। तो यह सोचा गया है कि २,००० एकड़ साल को हम बोयें और इसके दरख्त वहां पर सालाना पैदा किये जायं।

उसी तौर से कुमायूं में और तराई में, काशीपुर और गंगा खादर कालोनाइजेशन स्कीम में, इन जगहों के ऊपर भी फारेस्ट लगाये जा रहे हैं और इनको डेवलप किया जा रहा है, नये जंगल यहां पर तैयार किये जायंगे। इससे भी यह हुआ कि कुछ फारेस्ट पुराने जमाने में ऐसे थे जो क्लास वन फारेस्ट थे। ये फारेस्ट वे कहलाते थे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कब्जे में दे दिये गये थे और यह उनसे कहदिया गया था कि अगर लकड़ी की जरूरत हो तो उसको आसपास के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि रफ्ता-रफ्ता वह करीब-करीब तमाम फारेस्ट खाली हो गये। काटने के लिये तो हर शख्स तैयार रहता है, लेकिन पौधों को लगाने के लिये कोई परवाह नहीं करता। तो इस तरह से बहुत सा हिस्सा कुमायूं का और काशीपुर वगैरह का तराई का जो था वह खाली हो गया। अब वहां पर फारेस्ट को हम डेवलप करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी, इसमें दो ही घंटे का समय है।

श्री सैयद अली जहीर—जल्द ही खत्म कर दूं? बहुत अच्छा।

एक दूसरी स्कीम है, प्रिजर्वेशन आफ वाइल्ड लाइफ की। इसके जरिये से बहुत से जानवर जो गायब हो रहे थे वह बाकी रह जायंगे और जो पोचिंग होता है, गलत वक्त पर जानवर मारे जाते हैं, वह खत्म होगा और टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ ही वाइल्ड लाइफ को स्टडी करने का हमारे स्टूडेंट्स वगैरहा को मौका मिलेगा।

एक स्कीम लैंड मैनेजमेंट सर्किल की हमने बनायी है, जिसके जरिये सड़कों के किनारे दरख्त लगाये जायेंगे, कैनाल बैंक्स और रेलवे लाइन के दोनों तरफ दरख्त लगेंगे, जहां जमीन छूटी रहती है और रेवीन्स वगैरह में जहां पर दरिया जमीन को काट देते हैं, वहां पर लगाये जायंगे। साथ ही पास्चर लैंड को डेवलप करना, घास को डेवलप करना, यह उसमें है।

एक यह है कि राजस्थान के किनारे जो जंगल बन रहे हैं वह भी फारेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है।

रेजिस का बहुत बड़ा कारखाना बरेली में है, उसको भी बढ़ाने की स्कीम है। उसके साथ-साथ यह भी है कि ४०० मील के करीब सड़कें जंगल में बनायी जायं जिनके जरिये से कम्युनिकेशंस जंगल में हो सकें। उसका फायदा दोहरा होता है। एक तो यह होता है कि हम ऐसे जंगल को एक्सप्लायट कर सकते हैं और दूसरे उसके अन्दर निगरानी अच्छी तरह से हो रही है, तो उसको भी देखेंगे।

[श्री सैयद अली जहीर]

इसमें पहले ही पेज पर है "डेवलपमेंट आफ फारेस्ट"। २४८ मील सड़कों के बनाने का हमारा इरादा है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान पीरियड में जंगल में ८ जिलों में इतनी सड़कें बनायी जायंगी। तो आप देखेंगे कि यह एक बहुत ही जरूरी और अहम डिपार्टमेंट है और इसमें सब से बड़ी जरूरत यह है कि हम सब लोग यह समझें कि हमारी जिन्दगी के लिये और हमारे मुल्क की तरक्की के लिये, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए कितने ज्यादा जंगलों की जरूरत है। आमतौर से लोगों में अहसास नहीं है। लोग समझते हैं कि जंगल की जमीन हासिल करना, लकड़ी ले लेना, ऐसी चीज है जो उनका हक है और उससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यह चीज बड़े पैमाने पर हो तो उससे नेशनल वेल्थ का लास हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अहमियत को समझेंगे और जो रुपया मांगा गया है उसको मंजूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस अनुदान पर प्रस्तावकर्ता को १२ मिनट और अन्य लोगों के लिये सात-सात मिनट रखे जायं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ५ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आप के द्वारा जिन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं उनमें से एक बात यह है कि हमारी सरकार कहती है कि "हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कायम करना चाहते हैं"। तो उसी तरह से हमारी सरकार को अपने जंगल विभाग की पहली नीति को बदल कर ऐसे रास्ते पर ले जाना होगा जिससे वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी के बनने में सहायक हो सके। पहले जो अंग्रेजी सरकार रही है, उसके अफसरों ने जंगलों को आरामगाह और शिकारगाह बनाया हुआ था और जंगल की लकड़ी से अपने आराम तथा ऐश के लिये फर्नीचर वगैरह बनवाते थे। सब से बड़ा लालच उनको यह था कि जब आराम की जरूरत हो तो वह जंगलों में जायं और शिकार खेलें। इसी दृष्टि से वहां की सर्विसेज का संगठन हुआ और डाकबंगले आदि भी उसी ढंग से बनाये गये हैं। इस इंतजाम और ढंग में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन अब भी नहीं हुआ है। मैं अपनी सरकार से आप के द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी सरकार को चाहिये कि इस ढांचे में ऐसा परिवर्तन करे जिससे नौकरशाही को सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की तरफ जाने का मौका मिले।

इसके बाद हम जंगल के आंकड़ों की तुलना करने के बाद आगे की बात पर आयेंगे। हमें १९४६–४७ और १९५६–५७ के आंकड़े इस पुस्तिका में मिले हैं, जिनमें बताया गया है कि पहले कितनी आमदनी थी, और कितनी अब है, कितना खर्चा पहले था और अब कितना है और पहले कितना मुनाफा था और अब कितना है। हम खर्चे के मद में देखते हैं कि १९४६–४७ में ६४,४७,९८५ रुपया दिखाया गया है जो १९५६–५७ में बढ़ कर १,८९,८२,४०० रुपया हो गया है। हमें इतना रुपया देने में कोई गुरेज नहीं था और न आज हुआ होता अगर खर्चे के हिसाब से हमारी फारेस्ट की नेशनल वैल्थ बढ़ी होती। अगर हमारी नेशनल वैल्थ में इंक्रीज हुई होती तो हमने कटौती का प्रस्ताव जो पेश किया है उस को पेश न करके बढ़ौती का प्रस्ताव पेश करते, लेकिन जब हम पुस्तिका देखते हैं तो जंगल का कुल टोटल ४६–४७ का तो दिया नहीं है, १९५२–५३ में १३,३०६ वर्गमील जंगल बताये गये हैं और १९५५–५६ में १३,०१३ वर्ग मील ही रह गये हैं। एक तरफ हम खर्चे के आंकड़े देखते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि ६४ लाख से कूद कर १ करोड़ ८९ लाख पर पहुंचे हैं, लेकिन जब फ़ारेस्ट वेल्थ को बढ़ाने की बात सोचते हैं तो हमें आंकड़े घटते हुये दिखायी पड़ते हैं। वह भी इस बात के बावजूद जब कि हमारे भूतपूर्व राज्यपाल ने एक वन-महोत्सव का आन्दोलन चलाया था और उस वक्त उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि हमारे इस प्रदेश के ऊपर एक बहुत

बड़ी आफ़त आ रही है, रेगिस्तान हमारी ओर बढ़ रहा है और उससे बचने का एक मात्र साधन हमारे पास यही है कि हम उस इलाके में जंगल लगायें। इस सरकार ने बड़े शौक से उनके वन महोत्सव के उत्सव में सारे सूबे में लाखों रुपये खर्च किये, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि कोई तरक्की इन आंकड़ों में क्यों नहीं दिखाई देती। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर जो वे हमसे और बढ़ा चढ़ा कर अनुदान मांगते हैं उस को हम किस बिना के ऊपर मंजूर करें।

इसके अलावा जो इस वक्त हमारी सरकार द्वारा जंगलों की नीति जिस तरह चलायी जा रही है उसके सम्बन्ध में मैं दो, चार बातें कहना चाहता हूं। जंगलों के लगाये जाने और काटे जाने के सम्बन्ध में एक नीति यह बरती जाती है कि एक टुकड़ा लिया जाता है जिसमें से जंगल साफ किया जाता है और फिर उसमें ऐसे लोग बसाये जाते हैं जो फिर से उसमें जंगल लगाते हैं और जब तक पेड़ नहीं उगते हैं तब तक उसमें अन्न पैदा कर के खाते हैं। लेकिन इन टोंगिया लोगों की रोजी की सिक्योरिटी न अंग्रेजों के जमाने में थी और न आज है। इसका नतीजा यह होता है कि जो सर्विसेज जंगल में सरकार की तरफ से इस योजना को कार्यान्वित करने का काम कर रही हैं उन्हें मनमानी करने का मौका मिलता है। इस कारण वन विभाग की सर्विसेज में जो करप्शन होता है उसका उदाहरण तो आप को मिल चुका है। अभी कुछ दिन पहले फरेंदा रेंज में हंडिया कोट टौंगिया के सम्बन्ध में वहां के रेंजर और दूसरे जंगल के कर्मचारियों की शिकायत प्रोफ़ेसर शिब्बनलाल सक्सेना ने की थी। उसकी इन्क्वायरी हुई थी, ऐसा हमें मालूम है। लेकिन उसके बाद उन कर्मचारियों के खिलाफ़ क्या हुआ यह हमें नहीं मालूम। हम नहीं चाहते कि किसी एक आदमी को आप सैक करें। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि इस तरह की जो शिकायतें आती हैं वह बहुत सी शिकायतें दरगुजर होने के बाद कोई एक आदमी प्रोफ़ेसर शिब्बनलाल सक्सेना जैसा हिम्मत करता है जो आप के सामने ले आता है। इसलिये इन शिकायतों के बारे में आप को अपने रवैये पर फिर से विचार करना चाहिये। जो इस सम्बन्ध की पुरानी नीति बरती जा रही है उसी का यह परिणाम है।

मैं एक दूसरे मामले की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुसमी जंगल में टौंगिया लोगों के साथ अन्याय हुआ था, जिसके विरोध में प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता और टौंगिया लोगों ने गोरखपुर के डी० एफ० ओ० के दफ्तर के सामने हफ्तों अनशन किया, लेकिन आज भी उनकी शिकायत रफ़ा नहीं हुई। पूछने पर टौंगिया लोगों से हमें यह मालूम हुआ कि उनसे नाजायज़ काम लेने के लिये जंगल विभाग के अधिकारियों ने जोर डाला था और उसका विरोध करने पर ही उन्होंने उनको जंगल में जमीनें न देने का तय किया। हम लोगों के बहुत कहने के बाद भी अधिकारी वहां से २० मील की दूरी पर उनको जमीनें देने को तैयार हुए, लेकिन पहिले वाले जंगल में नहीं। लाल बत्ती दिखाई पड़ती है मैं और कुछ न कह कर बाद में जो कहना होगा कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को बोलते वक्त असल में चेयर की तरफ़ देखना चाहिये, लेकिन माननीय मंत्रियों पर उनकी निगाहें इस तरह अटक जाती है कि मेरी उपेक्षा हो जाती है। लाल बत्ती जलने के माने हैं कि केवल दो मिनट उनके भाषण के और रह गए हैं और माननीय सदस्यों को उसके अन्दर अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये ताकि बार-बार मुझे टोकना न पड़े।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्तुत अनुदान वन विभाग का सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत हर्ष है कि वन विभाग पिछले पांच सालों में हर साल तरक्की की ही ओर जा रहा है। अगर इन पांच सालों के बजट को देखा जाय तो बहुत ज्यादा एफोरेस्टेशन का काम हमारे प्रदेश में हुआ है। मुझे वन विभाग की कमेटियों में रहने का मौका मिला है और इस कारण जंगल विभाग के कामों को मैंने स्वयं काफी देखा है। मथुरा के इलाके में और पर्वतीय

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

प्रदेश में कई जगह जाने का मुझे अवसर मिला और मैंने देखा कि चारों तरफ एफोरेस्टेशन का काफी काम हो रहा है। मगर फिर भी मुझे वन विभाग के संबंध में कुछ ऐसी बातें कहनी हैं जो नितांत अवश्यकीय हैं और जिनके करने से वन विभाग हमारे यहां का सबसे प्रमुख विभाग बन सकेगा। कैनेडा में, अगर आप देखें, तो वन विभाग का काम और सब विभागों से प्रमुख समझा जाता है। हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान वन विभाग की ओर बिलकुल नहीं गया था और इसकी वजह से वन विभाग तिरस्कृत विभाग रहा। उस पर खर्च बहुत कम किया जाता था। जंगल काटने और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की ओर ही सरकार की रुचि रही। लड़ाई का जमाना था। बहुत जंगल काटे गये और लगाये नहीं गये और इसकी वजह से यह प्रदेश वनों के मामले में बहुत नीचे गिरता ही गया। अब यह हमारा सौभाग्य है कि इस जमाने में सरकार की रुचि जंगलों के उत्थान की ओर गयी है। फिर भी मैंने देखा कि १९५५-५६ में जैसा पूर्ववक्ता ने कहा है विभाग की आमदनी ४ करोड़ ३९ लाख ५७ हजार ५ सौ रुपया है, लेकिन उसका खर्चा कुल १ करोड़ ७९ लाख कुछ सौ रुपये हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं यह नीति ठीक नहीं है। वन हमारी ऐसी सम्पत्ति है जैसे एक बैंक में सेफ रखा हुआ है ऐसा ही वह कैपिटल जंगल के रूप में हमारे सामने है। जब भी हम चाहें उन जंगलों से करोड़ों रुपयों की आमदनी की जा सकती है, लेकिन केवल आमदनी की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिये। उसको कैपिटल समझ कर उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये न कि उससे फायदा उठाने की ही ओर हमारा ध्यान हो। मैं आशा करता हूं कि वन विभाग को आमदनी का जरिया न बनाकर सरकार उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी और इतना इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी जिससे आने वाली संतानें उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा भविष्य में उठा सकें। इसीलिये मैं ऐफोरेस्टेशन की ओर बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा जोर देता हूं कि जितनी गति से एफोरेस्टेशन हो रहा है उसमें और तेजी करने की जरूरत है। खासकर कुमायूं में फल लगाने की जो योजना है उसकी मैं ताईद करता हूं। इसमें ५ लाख रुपये इस साल रखे गये हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इससे बहुत कुछ कामयाबी होगी और बहुत उन्नति इस ओर होगी।

वनपशुओं और पक्षियों की रक्षा के लिये सरकार ने इसमें योजना रखी है। २ पशु-विहार शालायें एक गढ़वाल में और दूसरी बनारस में खोलने का आयोजन किया गया है। मगर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि इसमें सरकार काफी कोशिश कर रही है फिर भी आशापूर्ण काम नहीं हो रहा है। बहुत जगहें ऐसी दिखलाई देती हैं जैसे नदियों में डाइनामाइट लगाकर काफी मछलियां मारी जाती हैं, काफी जंगलों में पोचिंग हो रही है। जहां बिग गेम और वर्ड शूटिंग जंगल थे अब यह शूटिंग कहीं नहीं दिखाई देती। तो यह गेम्स हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी ओर भी बहुत लापरवाही है। बावजूद फारेस्ट डिपार्टमेंट की कई नई स्कीमों के उसमें कोई नई प्रगति नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा पोचिंग इस समय हमारे यहां हो रही है। भ्रमण व्यवस्था में प्रगति लाने की यह आवश्यकीय चीज है।

समय अधिक न होने से मैं दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि सरकार वन उपज की बिक्री वगैरह के लिये और वन विभाग की उन्नति के लिये उपाय सोचती है तो मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि बजाय वर्तमान औक्शन के तरीके के अगर टेंडर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाय तो जो करप्शन आज वन विभाग में थोड़ा बहुत दिखलाई देता है व भी नहीं दिखलाई देगा और वनों से ज्यादा आमदनी भी सरकार को मिलेगी।

ऐसे ही जंगल की सड़कों के बारे में मुझे कहना है। सड़कों के कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा से ज्यादा फारेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिये, क्योंकि मेरा जाती तजुर्बा है कि बन विभाग के जरिये से बहुत थोड़ी कीमत में सड़कें बनती हैं। मैंने तो पर्वतीय प्रदश

में देखा, पिथौरागढ़ में थलकेदार सड़क अगर पी० डब्लू० डी० को दी जाती तो जितना पैसा लगा है उसके ५ गुने में भी वह नहीं बन पाती। तो इन बातों की ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पर्वतीय प्रदेश के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां इरोजन बहुत हो रहा है। इसके लिये एफोरेस्टेशन की स्कीम को तीव्रता से चलाने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिये जो दो तरह के पुरस्कार रखे गये हैं जिन में कि एक शील्ड है और दूसरे ग्रामीण जनता को कुछ रुपया दे कर पुरस्कार दिया जाता है, उनका इस योजना को कार्यरूप देने में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। चारों तरफ लोग इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं और वे जंगलों का विकास करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस योजना को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे यहां वनों की और अधिक उत्पत्ति हो सके।

अंत में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सरकार का आभारी हूं कि पर्वतीय प्रदेश में पिठौरागढ़ एक और डिवीजन खोल कर वहां की जनता का सरकार ने बड़ा उपकार किया है। उसमें पांच रेंजरों के रेंज नये खोले गये हैं। अगर काली नदी और गोरी नदी के दो और रेंज खोल दिये जायं तो पर्वतीय प्रदेश में जंगलों का काफी विकास हो सकता है। जो भोट इलाका है और जो तिब्बत बार्डर पर पड़ता है वहां पर लकड़ी की काफी पैदावार हो सकती है। तिब्बत में कोई लकड़ी नहीं है और पिछली बार जब मैं कैलास यात्रा को गया था तो मैंने देखा कि वहां यहां की काफी लकड़ी चोरी कर के ले जायी जाती है। अगर इस भोट इलाके में लकड़ी की पैदावार की जाय तो उसे तिब्बत को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। यह दो रेंज काली रिवर रेंज और गोरी रिवर रेंज खोल देने से हम जंगलों का काफी उत्पादन बढ़ा सकते हैं और तिब्बत के साथ हमारा लकड़ी का व्यापार हो सकता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसको पिथौरागढ़ डिवीजन में यह दो रेंज खोल देने चाहिये और जल्दी खोलने चाहिये, ताकि इस क्षेत्र में जंगलों का विकास सफलतापूर्वक किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी और यह जो मैंने प्रार्थना की है उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो जंगल के संबंध में मुझे जैसे जंगली आदमी को बोलने का आपने अवसर दिया है इसके लिये मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं तो इस वन महोत्सव को सरकार की एक सनक समझता हूं। जैसे और तमाम सनकें सरकार को उठा करती हैं और जिनके कारण यह पंचवर्षीय योजना या और दूसरे विकास के काम चल रहे हैं यह भी उसी प्रकार की उसकी एक सनक है। हमारा कहना है जिन जगहों में जमीन उपजाऊ नहीं है वहां आप जंगल लगाइये, लेकिन जिन जगहों में जमीन उपजाऊ है वहां जंगल लगा कर तो आप जनता को भूखों मार रहे हैं। इसलिये मेरा तो यही कहना है कि:—

राज्य की सनक उठी पंच-वर्षी योजना की,
मंत्री की सनक अफसरावली बढ़ाने की।
सनक चरणसिंह की चकबन्दी भूमिधरी की,
हुकुम सिंह की है वन उत्सव मनाने की।
सनक श्री गौतम की गांव में बढ़ायें फूट,
सनक त्रिपाठी की पुलिस से लुटाने की।
आज दीन देश का विनाश करने के लिये,
सनक विकास की उठी है लीडराने की।

इस भांति हमारी सरकार प्रत्येक काम में एक नाविल बना दिया करती है। असेम्बली में हम दो कागज लेकर आते हैं और जब यहां से जाते हैं तो इतनी नाविलें लेकर जाते हैं जिन नाविलों से झोला भर जाता है।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

योजना में नाविल, सफलता में नाविल,
सहायता की नाविल में बिल ही चुकाती है ।
रेल, तार, बांध पुल, नहर, सड़क हू की,
नाविलें बना के जन जागृति जलाती है ।
चकबन्दी, ट्यूबवेल, ब्लाक पंचवर्षिन की,
नाविलें बना के न्याय सत्यता मिटाती है ।
चाची तुगलक की न काबिल हुकूमत ये,
रोज कौंसिलों में नयी नाविलें बनाती हैं ।।

तो मेरा यह कहना है कि इसी प्रकार से यह वन महोत्सव भी हैं, जहां पर जमीन उपजाऊ नहीं है वहीं पर मनाया जाय, तो ठीक मगर जहां जमीन उपजाऊ है वहां लोगों को खेती के लिये छोड़ दी जाय। मेरे जिले में ४० मील का जंगल है और वह जमीन खेती योग्य है जहां शारदा नहर निकली है और बहुत ही सुन्दर जमीन है। उस जमीन से अगर आप बन विभाग को हटा लें और वहां पर देवरिया, गोरखपुर के भुखमरों को बसा दें तो ११ १/२ लाख आदमियों की यहां और आबादी बढ़ेगी उससे सरकार की आमदनी और बढ़ जायगी। जंगल से रुपया सरकार को कम नहीं मिलेगा। लगान में जंगल से भी अधिक रुपया मिल जायगा। इसलिये इस बन महोत्सव के संबंध में हमारा कहना यह है कि उपजाऊ जमीन में आप जंगल न लगाइये।

दूसरी बात यह है कि जंगलों की लकड़ी किसानों को उसी भाव पर दीजिये जिस भाव पर ठेकेदार को दी जाती है। ठेकेदारी सिस्टम बिलकुल खत्म कर दिया जाय। हमारे जिले में बहुत जंगल हैं। इस वर्ष १४० गांवों में हमारे जिले में आग लग गई है। हमने डी०सी० से दरख्वास्त की कि किसानों को लकड़ी नहीं मिलती है। उनको लकड़ी दी जाय, लेकिन वन विभाग के अफसरों ने कहा कि हम ५,५ रुपया फी किसान लेंगे तब लकड़ी देंगे। इसके आज २,३ मुकदमे भी इस समय किसानों की ओर से चल रहे हैं। उन्होंने रुपया नहीं दिया उनको लकड़ी नहीं मिली। जिन लोगों ने रुपया दिया उनको लकड़ी मिली। इन लोगों की लकड़ी को उन्होंने दूसरों के हाथ बेंच लिया। यह रिपोर्ट हमने किसानों से करवा दी है। हमारे गांवों में मुर्दा फूकने के लिये लकड़ी नहीं मिलती है। हमारे गांव में एक आदमी मरा। उसको फूंकने के लिये लकड़ी नहीं थी। वे लोग आये मैंने उनके कहा कि फूंस और कुसा के कठों से फूंक दो और इस तरह से फूस से मुर्दा फूंकने का काम लिया गया। अब कुंय के ऊपर लकड़ी रखने के लिये नहीं है। इससे लोगों को परेशानी है। हमारे जिले को जंगलों से कोई लाभ नहीं है, लकड़ी देते नहीं, पत्ता छूने नहीं देते रेंज आफिसर सब बेंचा करते हैं। जानवरों को चरने नहीं देते। तो इस बनमहोत्सव से क्या लाभ है? हमारा कहना यह है कि इस ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाय और जिस भाव पर लकड़ी ठेकेदार को देते हैं उसी भाव पर लकड़ी किसानों को दी जाय। जंगल किसान के लाभ के लिये हैं। सरकार के लाभ के लिये नहीं हैं।

हमारे यहां दुधवा में जंगल लगाया गया है। वहां पर फूल पत्तियां लगायी गयी हैं और बेलदार पेड़ लगाये गये हैं। ढेंचा, रंडा, शहतूत, श्वेत बरुवा, यह व्यर्थ के पेड़ लाये गये है। वहां पर एक गेहूं काटने की मशीन भी भेज दी गयी है। भला वहां पर मशीन की क्या आवश्यकता है? रुपया व्यर्थ में बरबाद किया जा रहा है। इसलिये हम आपसे निवेदन करेंगे कि बनमहोत्सव की नुमायश बन्द कर दें। इससे जन शोषण, नौकर परवरिश और भुखमरी बढ़ती है हमारी सरकार का कहना है--

कत्ल होय डाके पड़े, मचे द्वन्द पर द्वन्द।
जो पूछे कह दीजिये, हैं सम्पूर्णानन्द ।।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सरकार प्रशंसा की पात्र है कि उसने जंगलों को बढ़ाया और इस ओर कदम उठाया है। आपका जंगल विभाग जो कुछ भी जंगल बढ़ा सकता था उसको बढ़ाया और उनकी निगरानी हुई। इसमें कुछ हद तक हमारी सरकार को सफलता मिली। पिछले ५ साल से मेरी जो शिकायत रही है वह यह रही है कि जंगल विभाग के अधिकारी बड़े स्ट्रिक्ट हैं। उनके बरतावे से ऐसा मालूम होता है कि वे इन्सान दुनिया से दूर रहते हैं। यह उनके लिये एक समझने की बात है। वह अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से अंजाम देते हैं। शायद दूसरे विभागों से फारेस्ट विभाग अधिक ईमानदार है, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि गरीब लोग जो देहात में बसते हैं और जो अक्सर जंगलों के नजदीक रहते हैं उनकी जमीन और जायदाद और उनकी जिन्दगी का वास्ता अधिक जंगलों से पड़ता है।

मैंने बहुत बार सदन में सरकार का ध्यान और फारेस्ट डिपार्टमेंट का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी जोल से जंगलों को बढ़ाने में इतना उत्साह दिखाया कि उसने किसानों को उनकी सदियों की जमीन को अपने जंगल विभाग के अन्दर लेकर फारेस्ट डिपार्टमेंट का पिलर बनाकर किसानों को बाप दादाओं की जमीन से महरूम कर दिया और उसके बीबी बच्चों को उस जमीन से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। मैंने एक नहीं ऐसे कई इंसटेंसेज फारेस्ट अधिकारियों के सामने रक्खे। मंत्री महोदय और चीफ मिनिस्टर महोदय से भी इस संबंध में बातचीत की, लेकिन मुझे खेद है कि बावजूद इस सारी सूचना के और बावजूद इस सारे प्रयास के इन गरीबों के दुख को दूर नहीं किया गया। उनके साथ वही कड़ाई का बर्ताव किया जाता है, यह अनुचित है। अगर यह सदन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकता, और यह सरकार जिसको यह अधिकार है कि वह इस मुल्क के अन्दर ठीक तरीके से व्यवस्था करे, वह अगर इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को दूर करने में असमर्थ रहती है तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जिस हाउस में जनता के ४३० नुमाइन्दे बैठे हों, उस सदन में इस प्रकार की दर्दनाक कहानियां सुनी जायं और उनके सिर के ऊपर हमारी सरकार घुटने टेक दे, यह शोभा नहीं देता। इंसानियत को खत्म करके दिमाग और दिल पर जंगलों का ज्यादा असर रखना निहायत अनुचित है।

हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई। पाठशाला और कालेजों में हमने इंसानियत का पाठ पढ़ा, परन्तु आज इस प्रकार से इंसानियत को धक्का देना, मैं समझता हूं कतई नाजायज है। इस प्रकार की हठधर्मी और कट्टरपन में कहीं भी इंसानियत नजर नहीं आती है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रकार के केसेज में अवश्य निगरानी होनी चाहिये। जब तक यह नहीं किया जाता मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस तरह के केसेज को दूर नहीं किया जाता, उनके दुख दर्द को रफा नहीं किया जाता तब तक उत्तर प्रदेश की साढ़े छै करोड़ जनता के हम जो नुमायंदे यहां बैठे हुये हैं, वे न्याय करने के लिये नहीं बैठे हैं। अगर हम लोग उनकी भलाई का ध्यान न रख कर गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से तनख्वाह और भत्ता लेते रहेंगे तो यह किसी भी प्रकार से ईमानदारी नहीं हो सकती है। हमारे गोखले महोदय ने भी एक बार इस बात की शिकायत की थी और उन्होंने कहा था:—

"What I expected to be the chains of iron, have proved to be the ropes of sand."

अर्थात् जिन लोगों को हम यह समझते थे कि वे देश के निर्माण में लोहे की जंजीर की तरह से होंगे वे बालू के रस्से की तरह साबित हुए। इसी तरह से आज हमें यहां पर भी दिखायी देता है। इसका हमें महान खेद है। जब हम सारे देश के और इस प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

के निर्माण का नारा लगाते हैं, साढ़े छै करोड़ जनता का भार जब यह सदन अपने कंधों पर उठाये हुये है तो यही उचित है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें और जनता के कष्टों का हर समय ध्यान रखें। अगर हम सच्चाई से अपने भावों को इस सदन में नहीं रख सकते तो हम अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते। हम आम जनता के दुख और सुख को सामने रख कर ही सरकार को सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन बहुत से भाई सरकार की आंखों में पट्टी बांधना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के जितने भी कारनामे हैं, वे अच्छे, सुन्दर और उच्च हैं। अगर आपके यहां रहते हुये साढ़े छै करोड़ की जनता को कष्ट होता है तो आप उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। उस कराहती हुई जनता के प्रतिनिधि आप नहीं हैं। जंगलों के आगे बढ़ाने में ही हमारा हित है, परन्तु उसी हद तक जिस हद तक मानवता से त्याग-पत्र नहीं देते। अगर मानवता को भूल कर मानव की सेवा, इंसान की सेवा करने की कोशिश की गयी जिससे कि उत्तर प्रदेश बियावान जंगल बन जाय तो इस तरह की सेवा करने का प्रयास उचित नहीं कहा जा सकता है।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट चाहता हूं और वह इसलिये कि इस फारेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर हमको अधिक नाज और फख्र है कि उनके यहां बेईमानी को बहुत कम प्रोत्साहन दिया गया और उन्होंने सिफारिशें बहुत कम सुनी हैं। लेकिन एक अलग भावना से ही जंगल के वेल्थ को एक शेड्यूल्ड रेट पर बाहर भेज देना, बिना कोई रीजन दिये हुए ही, उचित नहीं है। यह केवल मेरी ही नहीं बल्कि साढ़े ६ करोड़ जनता की आवाज है और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये मनमानी बातें इस हुकूमत के अन्दर नहीं होनी चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं और बहुत जबरदस्त विरोध करता हूं। हमारे पब्लिक एक्सचेकर की उससे ज्यादा हानि होती है, लाखों और करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में हानि होती है। अगर हमारा व्यवहार ठीक रहा, अगर हमारी सरकार ईमानदार रही तो मैं समझता हूं कि हमारी आने वाली जो हुकूमतें होंगी वे इससे शिक्षा ग्रहण करेंगी और इस तरह से इस देश की काफी प्रगति हो सकेगी।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो कटमोशन का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं और जंगलात के विषय में यह जो माननीय मंत्री महोदय का अनुदान आया है उसका विरोध कर रहा हूं। वैसे तो जंगल हमारे प्रदेश के लिये, हमारे स्वास्थ्य के लिये और हमारी खाद्य स्थिति के लिये बहुत जरूरी है परन्तु हम यह देखते हैं कि उन्हीं जंगलों को सरकार के द्वारा बाज-बाज जगह कटवाया गया है, मुझे यह मालूम है कि रहीमाबाद के जंगल को सरकार ने अपने पी० आर० डी० के सिपाहियों से उजड़वाया। फिर मुझे यह कहना है कि जहां तक हो सके सरकार की तरफ से पेड़ों को लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये और इसके लिये सरकार अच्छे से अच्छे अनुसंधान करने वालों और जमीन की खोज करने वालों द्वारा प्रदेश का दौरा करवाये और वह इसलिये कि वे देखें कि कौन सी जमीन और किस क्षेत्र की जमीन किस पेड़ के लिये उपयोगी है। मैं यह देखता हूं कि जो ऊसर और बंजर जमीनें हैं वहां तो आप बादाम लगाने की सिफारिश करते हैं और जो अच्छी जमीनें हैं वहां बबूल बोआने की सिफारिश करते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाय कि जहां फलदार पेड़ पैदा हो सकते हों, वहां फलदार पेड़ ही लगाये जायं, और जहां बबूल पैदा हो सकते हों, वहां बबूल के ही पेड़ लगाये जायं। यह जरूरी है कि अनुसंधान करने वालों को देहातों में भेजा जाय, ताकि वे जनता को बतला सकें कि इस तरह की जमीन में इस तरह के पेड़ उगाये जायं जिससे हमारे देश की खाद्य-स्थिति सुधर सके और हमारे देश के लकड़ी उद्योग के लिये लकड़ी भी जो पैदा की जायगी वह भी उन बनों से ही निकल सके।

फिर मुझे यह कहना है कि वन विभाग में भी भ्रष्टाचार का कुछ न कुछ लेश है। पिछली बार मैंने एक स्कूल के बारे में कहा था कि वहां पर कुछ बंजर जमीन थी जहां पर पेड़ लगाये गये, लेकिन बाद में मैंने जाकर देखा तो वहां एक भी पेड़ नहीं था, एक दरख्त भी नहीं था। इस तरह से सैकड़ों रुपये बरबाद कर दिये गये, वहां चौकीदार रहा, जिले के अधिकारी रहे, लेकिन मैंने देखा कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और सैकड़ों रूपया वन विभाग की तरफ से बहाया गया, यह हालत है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह जिन गांवों में जमीनें ले ली गई हैं या जहां बंजर या ऊसर है उनमें वह जनता या ग्रामीणों द्वारा वन लगवाये, जनता ही उनको लगाये और वही उन पेड़ों की परवरिश करे। पिछले साल जो पेड़ लगाये गये वह बैसाख और जेठ की धूप में जल गये और उजड़ गये और उनमें अब दोबारा पेड़ लगाये जा रहे हैं। इस तरह से लाखों रुपया सरकार का बरबाद होता है।

जमींदारी विनाश के बाद यह हालत पैदा हुई कि जब लोगों ने यह देखा कि हमारी जमीन चकबन्दी के द्वारा पता नहीं कि किस चक में पड़ जाय, इसलिये उन्होंने तमाम फलदार पेड़ अपने यहां के काट डाले। मेरी राय में जब सरकार की तरफ से एक प्रश्न है कि वन विभाग को बढ़ाया जाय, उसको महत्व ज्यादा दिया जाय तो मानी हुई बात है कि गांवों की जनता को उसके लिये प्रोत्साहित किया जाय और उनसे ही उनको लगवाया जाय, ताकि जनता यह समझे कि यह पेड़ जो हम लगा रहे हैं वे हमारे होंगे। हमारी एक बहुत पुरानी परम्परा देहातों में चली आ रही है कि हर एक किसान चाहता है कि वह पेड़ लगाये, उन वनों में, बंजरों में या ऊसरों में जो बेकार हैं; पेड़ लगाने की हमारी पुरानी परम्परा है, लेकिन आज किसान को यह डर क्यों पैदा हुआ? उसका मुख्य कारण हमारी सरकार है, जिस सरकार को किसानों ने इतना जीवन दिया है, हर कसौटी पर जिनको सरकार ने कस कर देखा है, ईमानदारी से परख कर देखा है, पर इस सरकार से किसान को कुछ मिलता नजर नहीं आता, क्योंकि इसी समय में तमाम बाग उजड़े, खेत उजड़े खेतों के पेड़ उजड़े हैं। मैं तो सरकार से कहूंगा कि वह सबसे पहले यह आश्वासन दे कि जो पेड़ वह वन विभाग द्वारा लगवा रही है उनको वह अपने लाभ के दृष्टिकोण से न देख कर जनता के हित में भी उसको कुछ न कुछ सोचना लाजमी है और यह तभी हो सकता है जब गांव की गरीब जनता की रक्षा के लिये भी वह कोई न कोई कदम उठावे और तभी उसकी हिफाजत हो सकती है कि यह वन जनता द्वारा लगवाये जायं। वैसे रेगिस्तान को रोकने के लिये, बारिश अधिक होने के लिये, वन उद्योगों और खाद की दृष्टि से वनों का लगाना और बागों का लगाना जरूरी है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, गांव हैं जैसे मलीहाबाद हमारा एक ऐसा कसबा है, जिसने इस सूबे में ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बागात में एक ऐसी नजीर पैदा की है, ऐसे-ऐसे फल पैदा किये हैं जो कहीं नहीं हैं। वहां ऐसे-ऐसे फलों के पेड़ और दरख्त है जो हमारे सूबे के लिये ईश्वर की देन हैं। अगर इस कस्बे के जो माली हैं या जो वहां के बागदार हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले तो हमारे वनों का और बागों का उत्थान हो सकता है। इस समय जो रुपया वन विभाग में व्यय होता है उसमें से कुछ गांवों की बंजर भूमि, ऊसर और खाली जमीनों में पेड़ लगाने के लिये गांव सभाओं और गांव पंचायतों को भी कुछ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——अब आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जायं। अब बाद में श्री जगपति सिंह भाषण करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गया बख्श सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए वन विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और वन की जो तरक्की हमारे देश में हो रही है जिसे मैंने वन विभाग का अंतरंग सदस्य होने के नाते जाकर नैनीताल और रानीखेत आदि में देखा है। वन ही एक ऐसा विभाग है जहां एक हजार रुपया खर्च करने पर लाखों रुपये की आमदनी दिखाय. देती है। एक साल में १२, १२ फुट ऊंचे पौधे मैंने देखे उस प्लांटेशन में जो वहां किया गया था। वहां के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक जो काम किया उस पर हमें गर्व होता है कि हमारे देश में वन विभाग ने हर किस्म के फलों की पैदावार और लकड़ी की कई किस्में तैयार की हैं और कर रहा है, किन्तु यह बात देखने में जरूर अखरती है कि जहां पर लोग ऐतराज करते हैं कि हमारे यहां वन न लगाया जाय हमारे यहां जमीन की कमी है, वहां गवर्नमेंट ध्यान देती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक ऐसा भाग बांदा जिले में है, जो बुन्देलखंड में है उसमें लाखों एकड़ जमीन जमींदारी उन्मूलन से आ गयी है। पहले से भी वन विभाग में वहां काफी जमीन थी, लेकिन उत्तरी भाग के वन विभाग को देखते हुए इस दक्षिण की तरफ, बुंदेलखंड के वन की तरफ गवर्नमेंट तवज्जह नहीं करती। वहां ठीक रूप से खर्च न करने से लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। यदि वहां के वनों में गवर्नमेंट खर्च करे तो वहां भी हर किस्म के अच्छे अच्छे वृक्ष पैदा हो सकते हैं। वहां पर लाख हो सकती है, और दूसरे किस्म के पेड़ साल, शीशम, साल आदि सब वृक्ष लगाये जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई अब तक इसकी तरक्की के वास्ते ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर जंगलों में रास्ते तक नहीं हैं। इतना ही नहीं वहां पर सुन्दर झरने हैं और उनको बांध करके झीलें बनाने के स्थान मौजूद हैं, किन्तु गवर्नमेंट वहां कुछ ध्यान नहीं देती।

मैं अपने चालीस वर्ष के अनुभव से बुन्देलखंड के वनों का हाल श्रीमन् के सामने बता रहा हूं। पहले जब कि दो पैसे भी तंदू पत्ती से यहां नहीं उत्पन्न होते थे, उससे आज आठ लाख रुपये मुनाफा होता है। वह है बीड़ी के पत्तों द्वारा। इसका मैंने अनुभव सी० पी० में किया और यहां आकर अपने जिले में शुरू किया। जिन जंगलों को मैं पहले गवर्नमेंट से ६ रुपये में लेता था वह आज २५ हजार रुपये में बिकते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वहां पानी की कमी है। लाखों पशु पानी बिना मर जाते हैं और जो लोग बाहर से पत्ती तोड़ने का काम करने आते हैं। बीड़ी पत्ते का काम केवल दो महीने, मई और जून में चलता है। यदि वहां के पहाड़ों को बांध कर अच्छी झीलें तैयार की जायं और वहां पर बाहर से आदमी लाकर आबाद किये जायं तो जंगलों की बहुत तरक्की हो सकती है। इस वास्ते मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि वहां पर पानी की व्यवस्था अवश्य की जाय और सड़कें बनायी जायं। यदि सड़कें बनायी गयीं और पानी की व्यवस्था की गयी तो बुन्देलखंड के जंगलों की तरक्की होती चली जायगी। हमारे बुन्देलखंड के जंगलों में और खास कर बांदा डिवीजन में लोहा, मैंगनीज, चूना, कांच, गेरू आदि की तमाम खानें भरी पड़ी हैं। बांस के जंगल हैं जिनसे कागज बनाया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेन्ट बुंदेलखंड में न तो अधिक रुपया लगाती है न वहां के विकास का कुछ खयाल करती है। क्षेत्र इतना लम्बा चौड़ा है, लेकिन वहाँ बहुत कम खर्च किया जाता है। इस वास्ते मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां भी उसी प्रकार रुपया खर्च करे जिस प्रकार से उत्तरी वनों में खर्च करती है, पूर्वी वनों में करती है, उसी तरह से बुन्देलखंड के वनों में उसकी तरक्की का ध्यान रखें। वहां सड़कें तक नहीं हैं। वहां पानी का बिलकुल अभाव है। वहां पर प्लांटेशन के वास्ते वृक्ष लगाने के वास्ते बहुत जगह है, किन्तु आज तक वहां कोई कदम नहीं उठाया गया।

लाख के बारे में मेरा बहुत पुराना तजुर्बा है। मैं इसका कारोबार करने में माहिर हूं। वहाँ बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कोशम, पलसा, खैर, पाकर, झाड़, घुटहल, पीपल, बरगद आदि इसी तरह के अनेक वृक्ष हैं जिनसे लाख पैदा होती है। ये पेड़ वहां मौजूद हैं। लेकिन उस तरफ बहुत कम सरकार ध्यान देती है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहता हूं कि वहां

पर बजट का अधिकांश रुपया खर्च करके रास्ते बनाये जायं। जहां आबादी नहीं है, आबादी बसायी जाय। विन्ध्य प्रदेश से ठेकेदार वहां बाहर से मजदूर लाकर अपना काम कराते हैं। कुछ लोग ऐसे है जिनके चन्द्रा बांध के बनने से मकान बांध में आ गये हैं वे लोग बैलपुरवा स्टेशन के पास बस चुके हैं। मैं वन विभाग से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके बसने के लिये कोई व्यवस्था कर देगा। इससे वहां के जंगलों की काफी तरक्की होगी।

श्री अधिष्ठाता——आप जरा समय का ध्यान रखें।

श्री जगपति सिंह——मैं यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के लिये भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जैसी उत्तरी भाग के और जंगलों में सरकार करती है।

श्री अधिष्ठाता——क्या माननीय सदस्य लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या जबानी कह रहे हैं?

श्री जगपति सिंह——वह मेरे अन्दर लिखा हुआ है। मेरा अपना ४० वर्ष का तजुर्बा है, इसलिये मैं बोल रहा हूं।

वहां पर यदि आप सड़कों की व्यवस्था करें तो जंगल की विशेष तरक्की हो। जहां पर आदमियों की आबादी नहीं है वहां आबादी बसाने का प्रयत्न किया जाय और सड़कें बनायी जायं, जिससे बुन्देलखंड के लोगों को रोजी मिले और वन विभाग से सरकार को लाभ भी हो। वहां पर लाखों एकड़ जमीन जमींदारी उन्मूलन के बाद आयी है वह खाली पड़ी है और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जय हिन्द।

श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह (जिला खीरी)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। वन देश की एक बहुत मूल्यवान् चीज है। बाहर के बहुत से देश ऐसे हैं जहां कि बहुत सा खर्चा सरकार का वनों की ही आमदनी से चलता है। हमारे देश में भी वन की कमी नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि वन का यहां पर बहुत ही दुरुपयोग होता है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि ज्यादा वृक्ष लगाये जायं, वन महोत्सव होते हैं और दूसरी तरफ इस बुरी तरह से वृक्ष काटे जाते हैं कि कहीं-कहीं पर जंगल के जंगल साफ हो गये हैं। वन-महोत्सव अच्छी चीज है, लेकिन वह भी ठीक तरह से यहां पर नहीं होती है। मैं यह देखता हूं कि वन-महोत्सव में या उसके सिलसिले में जो वृक्ष लगाये जाते हैं वे ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि वे खराब पौधे होते हैं, उनमें जड़ नहीं होती हैं। सिर्फ दिखावे के लिये वे लाये जाते हैं और उस रोज लगा दिये जाते हैं। १९५४ में, जैसा कि रिपोर्ट में है वन विभाग ने, ६६३ एकड़ भूमि में दरख्त लगाये, जिसमें से ३१५ एकड़ भूमि के दरख्त पनप न सके और उनको फिर से लगाया गया, जिसमें कि सरकार का बहुत खर्चा हुआ। सरकार ने यह कहा कि उनमें पाला लग गया, लेकिन क्या सरकार को पहले से इसका आभास नहीं था? पाला से उनको बचाने का कोई उपाय सरकार ने पहले क्यों नहीं किया।

दूसरी चीज इसी सिलसिले में मुझे यह कहनी है कि इसकी जिम्मेदारी जो है जंगल की वह फारेस्ट गार्ड और फारेस्टर्स के ऊपर होती है। वही लोग जंगल में रहते हैं और जंगल की देख भाल ज्यादातर वही लोग करते हैं। जो बड़े-बड़े अफसर हैं वह ज्यादातर शहरों में रहते हैं और कभी-कभी जंगल गये तो गये नहीं तो वह भी नहीं। फारेस्ट गार्डस् जो होते हैं, मैं यह देखता हूं कि वह ज्यादातर सिफारिश से आते हैं। उनको किसी किस्म की वाकफियत जंगल से नहीं होती। उनको पता नहीं कि दरख्त कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किस तरह से जमीन तैयार करनी चाहिए। लिहाजा जो प्लांटेशंस होते हैं वे ज्यादातर उसके बाद में सब नष्ट हो जाते हैं। सरकार ने इसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर हल्द्वानी में जरूर खोला है, लेकिन वह

[श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह]

एक सेंटर इसके लिये काफी नहीं है। काफी सेंटर्स इसके होने चाहिए। इसी सिलसिले में मुझे यह भी कहना है कि जब कि इतना बड़ा भार इनके ऊपर होता है, यह देखते हुए इन लोगों की तनख्वाहें बहुत कम हैं। मेरा सुझाव है कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय।

दूसरी चीज यह है कि जिस वक्त जंगलों के ठेके होते हैं उस वक्त मार्किंग में बहुत गड़बड़ी होती है। ठेकेदार जंगल के अफसरों से और कर्मचारियों से मिलकर के बहुत अच्छे-अच्छे दरख्त काट लेते हैं और उसकी जो आमदनी होती है वह आपस में वे लोग बांट लेते हैं। इस तरह से जंगल के बहुत से अच्छे-अच्छे दरख्त कट जाते हैं और जंगल खराब हो जाता है। मार्किंग की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी चीज यह है कि जंगल में बहुत सी स्पेसीज जानवरों की ऐसी हैं जो कि करीब-करीब खत्म हो गई हैं। उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। कहा जाता है कि फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह रखे जायंगे। अभी तक तो खैर कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब जंगल के अफसरान खुद ही इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे और खुद बुरी तरह से शिकार करेंगे तो फ्लाइंग स्क्वाड क्या कर सकते हैं? कालोनाइजेशन स्कीम वगैरह कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं और कुछ रिफ्यूजीज को ऐसे फार्म्स दिये गए हैं जो कि बिलकुल जंगल के पास हैं और वह सब लाइसेंस दार हैं, सबके पास बन्दूकें हैं, वह लोग रात दिन शिकार वहां खेलते हैं। इसको भी रोकना अति आवश्यक है, और इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है नहीं तो बहुत सी स्पेसीज हमारे देश में जानवरों की खत्म हो जायंगी।

दूसरी चीज यह कहनी है कि वृक्षों में बहुत से रोग लग जाते हैं। पहाड़ी इलाके में चीड़ के दरख्त कुछ तो ऐंठ जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं। फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून इन रोगों को देखने और दूर करने के लिये ही है, लेकिन मैं देखता हूं कि बराबर जंगल के जंगल रोग ग्रस्त होते जाते हैं और वे खत्म होते जाते हैं लेकिन फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। मेरा सुझाव है कि उस ओर सरकार का ध्यान जाना अति आवश्यक है।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वन विभाग के अनुदान पर बोलने का मौका दिया है। इस अनुदान का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि वन हमारे राष्ट्र की अचल सम्पत्ति हैं और इसकी ज्यादा अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि यह भी राष्ट्रीय सम्पत्ति को फायदा पहुंचाता है। माननीय मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरा यह कहना है कि जहां हम राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ा रहे हैं और जहां हम और बातों पर ध्यान दे रहे हैं वहां हमें राष्ट्र के कमजोर अंग, उन गरीब अंग की भी रक्षा करनी है जो भूमिहीन हैं, जिसमें ज्यादातर हरिजन लोग हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है और जिनके पास रोटी कमा खाने के कोई साधन नहीं हैं। यह देश कृषि प्रधान है। इसलिये ज्यादातर लोग खेती से ही अपना निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन खेती करने के साधन सब को उपलब्ध नहीं है मैं अधिकांश पहाड़ों की बाबत जानकारी रखता हूं कि वहां गरीब लोग भूमि से बेदखल हो रहे हैं, उनको खेती के लिये साधन मिलना तो दूर रहा बेदखलियां भी नहीं रोकी जा रही हैं।

इस कष्ट निवारण हेतु आज नहीं, ८ वर्ष पेश्तर से ५० हजार एकड़ भूमि की वहां से मांग पेश की गई और की जा रही है। जो लोग वहां पहले के बाशिन्दे हैं उनका भूमि पर पहले से ही कब्जा माना जाता है मुड़सिज पर भी उन्हीं का हक है। इसके अतिरिक्त विशेष भूमि जंगलात के अधिकार में है इससे बहुत सी बची खुची जगह जो हैं उसे फारेस्ट पंचायत ने घेर रक्खा है और घेरी जा रही है यह उचित ही है। लेकिन जो भूमिहीन हैं उनके लिये

फिर क्या चारा है ? इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर भूमि इन भूमिहीनों को कहीं से मिल सकती है तो वन विभाग से ही मिल सकती है। वन विभाग ने जो भूमि घेर रक्खी है उसमें बहुत सी भूमि ऐसी है जिससे वन विभाग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह ठीक है कि जो कम उपजाऊ ऊबड़-खाबड़ जमीन हो, उस पर जंगल लगा दिया जाय जिससे कि जंगल की तरक्की हो, लेकिन जहां उपजाऊ भूमि है वह उन भूमिहीन लोगों को, जिनका खेती के अलावा कोई चारा नहीं है, दे दी जाय, क्योंकि उन लोगों को पहाड़ में अगर कहीं से जमीन मिल सकती है तो जंगलात विभाग से ही मिल सकती है। हाल में सन ५५ के बाद भी जो भूमि जंगलात विभाग ने घेरी है और वहां अभी तक प्लान्टेशन वगैरह भी नहीं हो रहा है, खाली पड़ी है। मुमकिन है कि प्लान्टेशन किया जाय, लेकिन प्लान्टेशन के बजाय उसको आबाद करने में ज्यादा फायदा है। ऐसी उपयुक्त भूमि में जंगल को लगाने के बजाय आबाद करने में ज्यादा फायदा है। अगर उसमें खेती कर दी जाय तो हजारों नहीं, लाखों का गुजारा हो जायगा और राष्ट्रीय सम्पत्ति भी इस तरह से बढ़ सकती है। मेरा यह सुझाव आज से नहीं, १० वर्ष पेश्तर से मैं देता आया हूं, लेकिन अभी तक यह बात कार्यान्वित नहीं हुई।

कल आप ने देखा होगा हरिजन डिमांड पर बोलते हुए तमाम सदस्यों ने हरिजनों की दिक्कतें बतलायीं उसके लिए मैं आभारी हूं। वास्तव में भूमि के सम्बन्ध में उनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उसके निवारण के लिए कोई कार्य किया जाय उपरोक्त बतलाई भूमि उनको दे दी जाय। मुझे सरकार से आग्रह पूर्वक और नम्रतापूर्वक कहना है कि यह कार्य सफल तभी हो सकता है जब उनके लिये भूमि का प्रबन्ध किया जाय। कुमायूं डिवीजन में ६० लाख एकड़ भूमि वन विभाग में लिखी हुई है अगर इसमें से २५–५० हजार एकड़ उपर्युक्त भूमि निकाल दी जाय और आबाद कर दी जाय तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ सकता है। यह तो हमें करना ही पड़ेगा। जहां जंगलों के अन्दर सड़कें बन रही हैं जो कि ५०–५०, सौ-सौ फिट चौड़ी और सैकड़ों मील लम्बी हैं, उनमें कितनी जमीन लग जाती है, लेकिन आवश्यकतानुसार उस काम को करना ही पड़ता है, रोका नहीं जा सकता। यह कहा जाता है कि जंगलों के उजड़ने से वर्षा का आना बन्द हो जायगा, अभी तो वर्षा और बाढ़ों की बहुतायत हो रही है। सरकार इस पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है और बाढ़ आ रही है, तो १०-२०-५० हजार एकड़ भूमि निकाल देने से कोई उसमें खराबी नहीं हो सकती है। इसके अलावा बिजली की लाइन व जंगलों की लाइनें व सड़कें बन रही हैं और आवश्यकता के अनुसार और बनेंगी, उसके लिए भी जमीन की जरूरत पड़ेगी। सारी बातें हो रही हैं, सिर्फ हरिजनों और भूमिहीनों के लिए यह कह देना कि कुछ नहीं हो सकता, इसके माने तो यह होंगे कि इनके प्रति कोई प्रेम नहीं है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनको अवश्य भूमि दी जाय।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आज वन विभाग में सारे का सारा रुपया बेकार फूंका जा रहा है। हमारे जिले में जंगल और ऊसर जमीन बहुत है। उनको यह सीख किसानों से लेनी चाहिये कि पुराने जमाने में जंगल किस तरह से तैयार किये जाते थे। आज हमने देखा है कि बाराबंकी से फैजाबाद वाली सड़क पर तार लगवा करके और उसमें फाटक बनवा करके, ईंटों की बुरजियां बनवा कर जंगलों की रक्षा की जा रही है और सारे का सारा पैसा इसमें बेकार फूंका जा रहा है। गांव के लोग इस तरह से करते हैं कि चारो ओर कांटे रूंध देते हैं और उसकी रक्षा हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

दूसरे हमने देखा है कि रसौली के पास एक बाग तैयार किया गया है, जिसमें कि फाटक बनाया गया है, उसके चारों तरफ बुर्जियां बनायी गयी हैं। किसी समय वहां मंत्री जी का स्वागत हुआ था, कई हजार रुपया उसमें खर्च हुआ, लेकिन अब जाकर वहां देखा जाय कि एक भी दरख्त नहीं है। इस प्रकार से पैसा फूंका जा रहा है।

दूसरी तरफ आप देखें कि एक सड़क जो बाराबंकी से बहरामघाट को जाती है वहां एक बाग है दलसराय के पास, जिसमें बहुत सा रुपया फूंका गया है, लेकिन एक भी दरख्त नजर नहीं आता। आज सरकार बहुत सी बातें वन की रक्षा वगैरह की कह रही है। ये बन क्यों खत्म हुए। जमींदारी उन्मूलन में तीन वर्ष लगे और जमींदारों को सचेत किया और सारे के सारे जंगल जमींदारों ने काट लिये और बेच डाले और किसानों को जमीन उठवा दी। उन किसानों ने जी जान से उस जमीन को उपजाऊ बनाया और आज जंगल विभाग और पटवारियों ने उसको किसानों के नाम दर्ज नहीं किया और जंगल विभाग किसानों से बुरी तरह से जमीन छीन रहा है।

दूसरी बात याद रखें कि मंत्री महोदय ने कहा था कि हम गोबर और खाद का इंतजाम करेंगे। गोबर ज्यादातर ईधन में ही जल जाता है उसको रोकने के लिये कहा था। आज जंगल तैयार किये जा रहे हैं, जिससे खाद उत्पन्न हो। मैं किसानों की दशा बतलाता हूं। चंदवा से सफदरगंज का जंगल पड़ता है, उसमें लोगों की क्या दशा है? वहां के लोग जंगल के पत्ते तोड़ कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब उनको पत्ते नहीं मिल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से घूस देकर वह पत्ते पाते हैं। दूसरी बात यह है कि अहीर, कंजर और भिखमंगे वगैरह जानवर पाल कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनके जानवर बिक गये। जब जानवर ही नहीं रहे तो फिर योजना कैसे चल रही है।

दूसरे सरकार को चाहिये कि वह जमींदारों से सीख ले कि उन्होंने किस तरह जंगल की रक्षा की। वे लोग जंगलों में गुड़इत रखते थे और जब बेचते थे तो उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया करते थे। इस तरह से जंगलों की भी रक्षा होती थी, जानवर भी पलते थे और गरीबों के जीवन का निर्वाह भी होता था। आज इसी तरह से सरकार गरीब किसानों को कुछ हिस्सा दे दे तो सारे के सारे जंगल तैयार हो जायं। जब बिक्री हो तो उसमें से कुछ हिस्सा किसानों को दे दिया जाय। इससे हमारे प्रदेश से गरीबी और भुखमरी दूर हो सकती है और सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। पंचायतें किस लिये कायम की गई हैं, इनके जिम्मे जंगलों का काम रखा जाय। नौकरशाही के लोग तो मोटर में चलते हैं, अपना टी० ए० बनाते हैं और काम के नाम फावड़ा चलाना तक नहीं जानते हैं, तब वह जंगल क्या तैयार कर सकेंगे?

दूसरी बात यह है कि बाराबंकी में देखिये कि ऊसर बढ़ रहा है। ऊसर में कितना जंगल तैयार हुआ? सरकार को चाहिये कि ऊसर में जंगल तैयार करे, जिससे हमारे यहां ऊसर न बढ़ें और भूमि उपजाऊ बनें और उत्पादन वाली जमीन हो। सरकार को चाहिये कि जंगलों को किसानों और गांव पंचायतों के जिम्मे रखा जाय, जिससे गरीब लोग भी अपने जीवन का निर्वाह कर सकें और आपके जंगल भी तैयार हो सकें।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मदन पांडेय ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री महोदय ने वन के संबंध में जितनी बातें कहीं हैं, उससे भी अधिक कहा जाय तो बेजा नहीं होगा। वन ऐसी राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिससे हमें करोड़ों रुपये अपने प्रदेश के डेवलपमेंट के लिये मिल सकते हैं। मुझे शंका होती है कि क्या वास्तव में सरकार वनों की रक्षा करने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मंत्रिमंडल के और सरकार के ऐसे आदेश

गये कि परती जमीन तोड़ो और वन को काटो और उसमें अनाज पैदा करो, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में न जाने कितने जंगल समाप्त हो गये और, श्रीमन्, मैं एक लखनऊ की बात बतलाऊं कि रहीमाबाद का जंगल समाप्त हुआ तो लकड़बग्घे लखनऊ शहर में आ गये । आज तमाम प्रकार के जंगलों का सत्तानाश करने के बाद यह कहा जा रहा है कि वनों की रक्षा करो, वन महोत्सव मनाओ । एक पुस्तिका छपी है, श्रीमन, जिसमें लिखा है कि जंगली पशुओं की देखभाल के लिये एक फ्लाइंग स्क्वाड रखा गया है, जो शिकारी जायंगे उनको वह पकड़ेगा । चन्द्रप्रभा के पास एक वन लगा तो मैंने पढ़ा कि उसमें बड़े-बड़े बालों वाले सिंह लाकर पाले गये हैं और कुछ पशु भी पाले गये हैं । इसके अलावा वहां मचान भी बना दिये गये हैं । तो पशु जब तैयार हो जायंगे उनको तो सिंह खायेंगे, लेकिन मचानों पर से शिकारी कैमरे से शूटिंग करेंगे या गोली से करेंगे यह मैं नहीं जानता । यह बड़ी अच्छी बात है कि जंगली पशुओं को आप बढ़ायें, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो चिल्लाया जा रहा है कि अन्न की कमी है, पर जिस इलाके में मैं रह रहा हूं उसके चारों तरफ जंगल हैं और वहां इतने जानवर हैं--इसके बारे में कई बार इस असेम्बली में सवाल भी हो चुके हैं--कि वे हजारों टन गल्ला बरबाद कर देते हैं । यहां तक कि अगर कोई बाग लगाये तो उसको भी खत्म कर देते हैं । कोई उपाय नहीं है, जिससे वहां के किसान अपने खेतों का बचाव कर सकें । हमने फैन्सिग के लिये कहा कि चारों तरफ फैन्सिग कर दी जाय, फिर आप खूब जानवर बढ़ाइये और जो कुछ उनकी सुन्दरता या उपयोग हो वह सब अपने लिये रिजर्व रख छोड़िये । वन बढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिनग जानवर बढ़ाने से क्या फायदा है, यह मेरी समझ मे नहीं आता । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा ।

यह सही है कि इस प्रदेश में जमींदारी खत्म हो गयी, लेकिन अब भी वह अगर कहीं बाकी है तो जंगलों के किनारे रहने वाले लोगों के लिये । आज भी वन विभाग के लोगों को उन्हें १ रुपये का १ सेर घी और १ रुपये का ५ सेर गेहूं देना पड़ता है, तब जाकर वे अपने पशु जंगल में ले जा सकते हैं । जमींदारी के दिनों में आसानी से वे अपने पशुओं को जंगल में ले जाते थे और ब्याह शादी में लकड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन अब यह दिक्कत है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो सुविधायें उनको पहले थीं कम से कम उनको दिलाने की वह कृपा करें ।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें संदेह नहीं कि जंगल हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और इनकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है । जंगल के फायदों के सम्बन्ध में और मानव समाज पर उनका क्या प्रभाव है इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल दिया है और अब उस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमन्, मैं उस जिले से आया हूं, जिसका लगभग एक बटा छः भाग जंगलों से घिरा हुआ है । यह छिपी बात नहीं है कि दूसरी लड़ाई के समय वहां के जंगलों की बहुत बरबादी की गई, लेकिन आज भी उनको पुनर्जीवित करने का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है । इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान जंगल के निकटवर्ती आबादियों की ओर दिलाऊंगा वहां अधिकतर अहीर लोग आबाद हैं जिनके गायें भैंसे हैं । उनको जंगल से माफी का खर और लकड़ियां मिलती है, लेकिन वास्तविक बात को देखा जाय तो यह जाहिर होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल तौर पर अफसरान से मिल कर फायदा उठाते हैं और वह सारा का सारा लाभ स्वयं उठा लेते हैं और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता । इसके लिये मंत्री महोदय यदि इन्क्वायरी कमेटी बैठा लें और वह मौके पर जंगल के किनारे आबाद लोगों से जांच करें तो मालूम होगा कि उनको जलाने की लकड़ी, और मकान बनाने के लिये फूस इत्यादि मिलने में कितनी बड़ी दिक्कत है, बल्कि कुछ न कुछ उनके ऊपर तशद्दुद जंगल विभाग की ओर से होता है । इसको रोकने की आवश्यकता है । यही नहीं, आज भी बेलाही और पताही

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

वहां पर जारी है । अभी तक कोई ध्यान सरकार का उस ओर नहीं गया है । सही है कि वहां पंचायतें बनी हुई हैं । मेरा सुझाव है कि यदि पंचायतों से मिल कर वहां जानवरों का शुमार करा लिया जाय और उनको चराने की व्यवस्था की जाय तो उससे बहुत कुछ सहूलियत जंगलों के निकटवर्ती गांवों में बसने वालों को हो सकती है ।

मैं सरकार का ध्यान जंगल की सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे बहराइच जिले में कुछ जंगल ऐसे हैं जिनके इस पार और उस पार दोनों ओर आबादी हैं । लेकिन जो सड़कें उन दोनों आबादियों को मिलाती हैं जो अच्छी सड़कें हैं, उन पर हेवी वेहीकिल्स ले जाने की आज्ञा नहीं है । नतीजा यह है कि गरीब किसानों की लढ़िया या बैलगाड़ी नहीं जा सकती, केवल मोटरें या हलकी सवारियां चल सकती हैं । उनकी गाड़ियों को ले जाने के लिये दूसरे रास्ते हैं, जो आजकल बरसात में बन्द पड़े हुये हैं और मेरा खयाल है कि साल में ६ महीने बन्द रहते हैं । सड़कें बनाने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अनुदान मिला, तब इसकी चर्चा हुई और तब मेरा ख्याल ऐसी सड़कों पर गया । उन सड़कों को कम से कम सीमेंट ट्रैक्स बना दें तो साल के साल उन दोनों आबादियों में आना-जाना बना रहे और जो जंगल की पैदावार है उनको बाहर ले जाने में भी सहूलियत रहे ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह अपनी योजना बनाई है कि जो सड़कें हैं उनके दोनों ओर दरख्त लगाये जायं ताकि वे दरियाओं के कटान को रोकने में समर्थ हो सकें । तो मैं बहराइच जिले की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि वहां पहाड़ी कूलें तथा नाले इतने बहते हैं, जिससे हजारों बीघे जमीन बालू होती चली जाती है । साथ ही साथ सड़कें ऐसी है जो बरसात में कट जाती हैं और फिर उनके बनने की नौबत नहीं आती । अगर इन सड़कों के किनारे बसे लोगों के हित के लिये वन लगाने की योजना बनायें और विशेषकर वह सड़कें जो जंगल को मिलाती हैं तो उन लोगों को जंगलों की पैदावार ले जाने में सुविधा मिल जाय और सड़कों का जो कटाव होता है वह भी बच जाय । इसके अतिरिक्त यह जो योजना जंगलों के जानवरों की रक्षा करने के लिये, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने निकाली इसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा । इनकी बड़ी उपयोगिता है और इनको बचाना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता--(श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम लेने के पश्चात्) एक सुझाव है कि समय ७ मिनट से ५ मिनट कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं तो चाहता हूं कि ७ के बजाय आप १० मिनट कर दीजिये तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता---समय कम है इसलिये ७ मिनट ही रहने दें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मदन पांडेय जी का जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे प्रदेश का गौरवपूर्ण इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे जन जीवन के अधिकांश भाग का संबंध यहां प्रदेश के वनों से रहता है और वनों की प्रगति का इतिहास हमारे सामाजिक. सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में एक ताना बाना सा बन कर रहा है। इस दृष्टिकोण से जब हम वर्तमान सरकार की स्टेटस की मेंटैलिटी इस वन विभाग के संबंध में देखते हैं तो अवश्य दुख होता है। जंगलात विभाग का जो वर्तमान दृष्टिकोण जंगलों के संबंध में है वह यह कि वन महोत्सव का नाम लेते रहो, जंगलात को रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट समझते रहो, जहां सरकारी काम पड़ता हो वहां जंगलों का डिफारेस्टेशन करते रहो और जहां जनता का काम पड़ता हो वहां डिफारेस्टेशन का विरोध करो और जनता के जो जंगलात में अधिकार हैं उनका हनन करते रहो। यह संक्षेप में पंचसूत्री कार्यक्रम वर्तमान सरकार का मुझे लगता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

आप देखेंगे कि तमाम कमेटीज का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ, लेकिन कुमायूं फारेस्ट कमेटी जिसे १९२२–२३ में बनाया गया था, उसका कहीं भी इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। क्या हुआ, क्या उसका भविष्य है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की एक बात थी। वहां ६६ प्रतिशत जमीन का भाग जंगलात में है। यह मैं आपको एक जिले की बात कह रहा हूं। इसी प्रकार आप प्रांत को लीजिये। साढे ५८ लाख एकड़ जंगलात का एरिया माना जाता है, लेकिन वास्तव में इतने जंगल हैं नहीं। मैं यह सुझाव दूंगा कि जितनी भी जंगलात की आमदनी सरकार के पास है उसको तीन साल तक रेवेन्यू में शामिल न किया जाय, बल्कि एक फारेस्ट डेवलपमेंट फंड खोला जाय और यह रुपया उसमें जमा कर दिया जाय। एफारेस्टेशन केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाय कि जहां पर जंगल कम हैं, ऐसे इलाकों में नहीं कि जहां जंगल ज्यादा हैं। आप ने एफारेस्टेशन की स्कीम नैनीताल जिले में बनाई, जहां ६६ परसेंट जंगल हैं। आप एफारेस्टेशन स्कीम वहां बनाइये जहां कि फ्लड आते हैं। आज फ्लड कंट्रोल बोर्ड अलग है और लैण्ड मैनेजमेंट बोर्ड अलग है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय फ्लड कंट्रोल बोर्ड और राज्य के फ्लड कंट्रोल बोर्ड से फारेस्ट डिपार्टमेंट ने एफारेस्टेशन के लिये कितना रुपया लिया। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों इसके लिये खर्च करना चाहती हैं लेकिन आज तक एक रुपया भी वन विभाग ने इसके लिये न तो मांगा और न उसको मिला ही। इस सरकार ने इसके लिये तीन स्कीमें बनाई हैं, गंगा राप्ती एफारेस्टेशन स्कीम, गंगा खादर एफारेस्टेशन स्कीम और कोलोनाइजेशन एफारेस्टेशन स्कीम, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण से इसको चलाना गलत होगा। हमें लैण्ड मनेजमेंट बोर्ड की परिधि को और बढ़ाना चाहिये और फ्लड कंट्रोल बोर्ड को इसके साथ शामिल कर देना चाहिये। यह दोनों बोर्ड अलग-अलग नहीं रहने चाहिये।

जहां तक विभाग की और बातों का संबंध है यह विभाग जंगलों में जो किसानों के अधिकार हैं उनको छीनता रहा है। हमारे यहां जितने जंगल के अधिकार मैनुअल में लिखे हुये हैं वे अधिकार किसानों को नहीं मिलते हैं। हर साल झगड़ा होता है। आप बताइये कि अगर किसान को लकड़ी नहीं मिलेगी तो वह हल कैसे जोत सकता है ?

इसी तरह से डिपार्टमेंट के इम्पलायीज का सवाल है। पिछले साल नेगी जी ने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कि उनके बारे में विचार किया जायगा और उनको भी वे सुविधा जरूर मिलनी चाहिये, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्री जी ने जिस भत्ते को स्वीकार कर लिया है और बजट स्पीच में जिस चीज का जिक्र कर दिया गया, लेकिन एक साल के बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

इसके साथ-साथ आप दूसरी बात एफारेस्टेशन को कहते हैं और उसके लिये आंकड़े भी दिये गये हैं कि हमने इतने एकड़ जमीन में जंगल लगा दिया, लेकिन सरकार ने डिफारेस्टेशन के बारे में नहीं बतलाया कि कितनी जमीन में हुआ। इसके हमको कोई आंकड़े नहीं मिले कि कितनी जमीन में डिफारेस्टेशन हुआ। सरकार से अगर भूमिहीन जमीन मांगते हैं तो उनको एक इंच भी जमीन सरकार देने के लिये तैयार नहीं है, लेकिन सरकार अपनी व्यर्थ योजनाओं के लिये फौरन जंगल को काट देती है, चाहे वहां पर स्कीम लागू हो या न हो। इस प्रकार से सरकार प्रतिक्रियावादी नीति इस वन विभाग के संबंध में बरत रही है। यह वन विभाग का तिरस्कार है। आप वन महोत्सव मनाते रहिये, लेकिन बिना धन के किसी प्रकार से उसमें उन्नति नहीं हो सकती है। आपने २३० मील मोटर रोड बनाने की योजना बनायी है, जो ३० लाख की लागत से बनेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असंभव है। आप इस धन को खर्च कर दें, लेकिन यह रुपया व्यर्थ हो जायगा।

इसी प्रकार से मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने मृग मरीचिका से इस्तीफा दे दिया है जो कि हाथी से जुतवाने की सरकार की स्कीम थी उसको छोड़ दिया है। इस साल उसका कहीं जिकर नहीं है। रूपकुंड रहस्य का भी इस साल कोई जिकर नहीं

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

किया गया है, लेकिन कम से कम कुमायूं फारेस्ट कमेटी, फारेस्ट पंचायत ऐक्ट और लैण्ड मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में जो मेरे सुझाव थे, मैं समझता हूं, सरकार उनको अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेगी।

जहां तक विभाग के पुनःसंगठन की योजना है मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत से स्थानों को एक स्थान पर लाया जायगा, जैसे कि फारेस्ट रेंजर को एक स्थान पर रखा जायगा। जो रिआर्गेनाइजेशन का फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि सरकार अपने इस फैसले पर कायम रहेगी।

श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वस्तुतः वन विभाग के विषय में न कहकर इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं कि वाइल्ड एनीमल प्रिजर्वेशन स्कीम को लागू करने की अवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी। जिन जंगलों में वार फेयर की ट्रेनिंग के लिये सरकार ने काम लिया वहां पर जंगली जानवरों का पूर्ण संहार किया गया। मंत्री महोदय ने जंगलों के दरख्तों के विषय में कहा, मगर इस विषय में कुछ नहीं कहा। अगर वह इसके बारे में भी कह देते कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसको क्यों दरख्त काटने पड़े जिससे जंगली जानवरों का संहार हुआ तो उससे यह प्रतीत हो जाता कि जंगल की प्रीजर्वेशन की स्कीम में सरकार ५ गेम वार्डर और एक चीफ वार्डर उनके ऊपर रख रही है। ये लोग गेम प्रीजर्वेशन के विचार को पूरा नहीं कर सकेंगे। वे केवल जंगल की सड़कों पर ही भ्रमण कर सकेंगे। गेम का destruction फारेस्ट के बीच में स्थित गांवों व सरहद के गांवों व फार्मों से होता है जहां गेम वार्डन्स नहीं पहुंच सकते। मैं समझता हूं कि मेरे शिकारी भाई इससे इत्तिफाक करेंगे कि राईफल से गेम मारना उसे हानि पहुंचाना है। और वह भी गर्राब (Bock shots) न कि केवल राइफलों से ही। अधिकतर जानवरों में Back shots (गर्राब) निकलते हैं; यह जानवरों के साथ निर्दयता तथा उनका पूर्णतया हनन है। आसाम में है कि,

"No shot gun cartridges loaded with larger than no. 4 shot, and no S. S. G. or slug cartridges may be carried in a reserved forest. Lethal, contractile and rotary bullets may be used."

मैं नहीं समझ सकता कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने में क्या कठिनाई है। गर्राब नं० ४ व १ से बड़े छर्रे सरकार बन्द कर दे। इससे जानवरों का प्रीजर्वेशन स्वतः व स्थायी होगा। सरकार को मैं निमंत्रण देता हूं कि वह आंकड़े मंगाकर देख ले कि स्वतंत्रता के बाद कितने राइफलों और शाट गन्स के लाइसेंस ईश्यू हुए हैं। उससे साफ प्रकट होगा कि जंगल के जानवरों की कमी और कारतूसी बन्दूकों की वृद्धि, इन दोनों का बहुत घनिष्ट संबंध है। गर्राब के स्टाक को फ्रीज करके उसका मैनुफैक्चर और इम्पोर्ट दोनों बन्द कर देना चाहिये।

श्री मदन पांडेय—अधिष्ठाता महोदय, चूंकि समय कम है, मैं अपने सुझाव केवल प्वाइंटों में रखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं दोनों ओर के वक्ताओं को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिन कारणों से मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था दोनों ही ओर के लोगों ने उनमें इजाफा किया है। भले ही उनमें से कुछ ने मंत्री जी को बधाई एकाध बार दे दी हो।

जिस प्रकार से चकबन्दी की योजना मैदानी क्षेत्रों के लिये बनाई जा रही है वैसे ही जंगलों में भी चकबन्दी होनी चाहिये। अंग्रेजों ने चुटपुट बस्तियां जंगलों में बसा रखी थीं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जंगल के स्टाफ की सुरक्षा होती थी और चूंकि गांव के

लोग चारे की सुविधा के कारण जानवर पालते थे, उनसे कुछ दूध घी भी उन्हें सस्ता मिल जाया करता था। ऐसे अगल बगल की जमीनों को किसी एक किनारे कर दिया जाय तो इससे लाभ ही होगा।

प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे उन्होंने प्राइवेट वनों की रक्षा की है, लेकिन मेरा तजुरबा इसके विपरीत है। मैंने देखा है कि लाखों महुये और आम के फलदार वृक्ष इतनी तेजी से काटे गये हैं कि अगर उसका सर्वे कराया जाय तो जितने हमने कटे बताये हैं उससे कहीं ज्यादा कटे मिलेंगे। इसलिए जरूरत हो तो इस ऐक्ट में कुछ संशोधन किया जाय और अगर बिना संशोधन किये ही इसका इनफोर्समेंन्ट सख्ती से किया जा सके तो वह किया जाना चाहिये।

हमारे जंगलों में जड़ी बूटियां हैं और इनकी रिसर्च कराकर एलाइड इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है। इसके लिये रिसर्च की संस्थाएं होनी आवश्यक हैं। हम देखते हैं कि देहरादून, सहारनपुर और हल्द्वानी में कुछ इस तरह का साधन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन गोंडा, बहराइच, गोरखपुर या झांसी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है, जैसा अभी हाल में एक माननीय सदस्य ने मेडिकल पर बोलते हुये कहा कि सर्पगंधा जड़ी हमारे यहां होती है और वही विदेशों से नये रूप में बनकर आकर मस्तिष्क के रोगियों को दी जाती है। इन जड़ीबूटियों का अनुसंधान होने से हमारा रुपया बाहर जाने से रुक जायगा।

चराई के लिये हमें यह सुझाव देना है कि अगर अच्छे किस्म की घास प्लाटवाइज लगवाई जाय तो पशुधन को बहुत लाभ होगा। सरकार की स्कीमें डिफेक्टिव हैं और ठीक फायदा नहीं पहुंच पाता है। जंगल के किनारे के लोगों को जो सुविधायें अभी तक हासिल थीं वे भी अब नहीं मिल रही हैं। हमारी ओर एक डोमाखंड का जंगल है जो नारायणी नदी के किनारे है। यह नदी युगों से बहुत पवित्र मानी जाती है और वहां २०, २५ मील से मुरदे फूंकने के लिये लाये जाते हैं। इतनी दूर लकड़ी नहीं ले जायी जा सकती और जंगल से लकड़ी लेने पर जंगल विभाग के लोग मारपीट करते हैं। लाश ले जाने वालों के साथ यह व्यवहार कितने शर्म की बात है ! भले ही उन सरकारी अफसरों ने अपनी कानूनी स्थिति मजबूत करली हो, लेकिन फिर भी उनको दंड दिया जाना चाहिये कि इस प्रकार की हरकत फिर न हो। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचती है।

जंगलों से कुछ चीजें ऐसी काटी जा रही हैं जिनकी जड़ ही खत्म हो रही है, जैसे सेमल का पेड़ है, जिसकी रुई तकिये भरने की काम आती है और उसकी लकड़ी दियासलाई बनाने के काम आती है। बेंत की इंडस्ट्री जंगलों के किनारे पनप रही है, लेकिन जहां से बेंत काटी जा रही है वहां फिर बेंत लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है।

इन सुझावों के साथ मैं फिर से १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये इस सदन से निवेदन करता हूं कि वह इसे स्वीकार करे।

*श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के बहुत आभारी हूं कि बहुत सी ऐसी तजवीजें पेश हुई हैं, जिनपर विभाग गौर करेगा और जो मंजूर करने के काबिल होंगी उनको हम मंजूर भी करेंगे। इस सिलसिले में बाज-बाज एतराजात भी किये गये, जिनके मुताल्लिक मुझे थोड़ी बातें सदन के सामने पेश करनी हैं। कहा यह गया कि पहले जिन जमीनों में जंगल था वहां अब नहीं है यानी जंगल पहले से कम हो गया है। इसके मुताल्लिक कुछ आंकड़े भी पेश किये गये, जिनके जरिये से यह बताया गया। सूरत यह है कि जिस वक्त जमींदारी खत्म हुई थी, उस वक्त जितने भी प्राइवेट फारेस्ट्स थे वह सब जंगलों में शामिल कर लिये गये थे। इस तरह से जो आराजी दिखायी गयी थी वह बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद काफी एजीटेशन हुआ। कहा गया कि ऐसे बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

से जंगल हैं, जिनके पट्टे कर दिये गये थे और जिनमें पहले ही बहुत से लोगों के हकूक पैदा हो गये थे। उसकी वजह से सरकार ने बहुत से ऐसे फारेस्ट्स जो प्राइवेट जमींदारों के थे, छोड़ दिये। शायद इसी से उनको यह अन्दाजा रहा होगा कि आंकड़ों में जो जमीन पहले थी वह अब नहीं रही, लेकिन वाक्या यह है कि जंगल बराबर नयी जमीनों पर लगाये जाते रहे हैं और बराबर बढ़ रहे हैं।

बाज एतराजात ऐसे किये गये कि फारेस्ट्स की जितनी फरटाइल जमीन है, उसमें खेती करा दी जाय और खाली ऊसर जमीनों पर जंगल लगा दिये जायं। यह चीज बहुत से माननीय सदस्यों ने कही, लेकिन वे इस बात का ख्याल भूल गये कि जंगल भी उसी जमीन में लगाये जा सकते हैं जहां पर खेती हो सकती है। ज्यादातर जंगल फरटाइल जमीन पर ही लगाये जाते हैं, लेकिन अगर हम जंगलों को काटते चले जायं और उस पर खेती करते चले जायं तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब कि खेती का साधन ही न रहेगा और वर्षा होना ही रुक जायगा और जिस तरह से राजस्थान में है, न जंगल ही होगा और न खेती ही होगी। उसका नतीजा यह होगा कि चारों ओर बालू ही बालू होगी। इसलिये इस तरह की जो तजवीज है वह ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था जंगलों से हमें बहुत से फायदे ऐसे हैं जो हमें मालूम ही नहीं होते हैं। तो बजाय कम करने के जंगलों को हमें बढ़ाना चाहिये।

हमारे सूबे में ५१ जिले हैं जिनमें से सिर्फ १७ जिलों में जंगल हैं और ३४ जिलों में जंगल नहीं हैं। यह तो हालत हमारे सूबे की है और उस पर यह तजवीज पेश करना कि जहां पर जंगल हैं वहां पर खेती के लिये जमीन छोड़ दी जाय और ऊसर जमीन में जंगल लगाये जायं, यह तजवीज काबिले अमल नहीं है। यह मैंने पहले भी कहा था कि जो रेवाइन्स है या ऊसर जमीन है वहां पर भी जो दरख्त हो सकते हैं, वे लगाये जा रहे हैं। आप लोगों को अगर दिलचस्पी हो तो लखनऊ के पास ही एक कुकराइल जगह है। वहां का बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा गोमती ने काट दिया था। हालत यह थी कि वहां न कोई काश्त ही होती थी और न कोई दरख्त ही वहां होता था। ७–८ वर्षों से फारेस्ट डिवीजन में उसको शामिल कर लिया गया है और बहुत मेहनत के साथ वहां पर दरख्त लगाये जा रहे हैं। अगर उस जमीन को आप दो तीन बरस बाद देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से बेकार जमीन को इस्तेमाल किया गया है और उससे हमको कितना फायदा हुआ है।

कुछ शिकायतें इस किस्म की की गयीं कि जंगलों के जो हकूक आसपास के लोगों को मिला करते थे, वह सब बन्द कर दिये गये हैं। इस सिलसिले में एक साल नहीं बराबर ५–६ सालों से नोटीफिकेशन्स जारी किये गये हैं और अपने आफीसरों को यह हुक्म दिया गया है कि जो हुकूक करीब वालों को पहले थे वह हुकूक उनको दिये जायं। मगर दिक्कत इसमें यह पड़ती है कि जब वे अपने हकूक को मांगते हैं कि हमें लकड़ी लेने का हक है या हमें जानवरों को चराने का हक है, जो पहले से हासिल है, उस वक्त यह सवाल उठता है कि वाकई जो हकूक ये मांग रहे हैं, वह हैं भी या नहीं। जहां तक सरकारी जंगलात का ताल्लुक है, उसका तो हमारे पास सेटिलमेंट रेकार्डस है और उसके हिसाब से हम उनको बराबर इजाजत दे देते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत न पड़े, लेकिन जो प्राइवेट फारेस्ट हैं उनके मुताल्लिक पता नहीं चलता कि क्या हक था और क्या नहीं था। जिस किसी ने साबित कर दिया कि उनका हक है तो उनके हकूक को हम तसलीम कर लेते हैं कि उनको यहां से लकड़ी लेने का हक है या चराई का हक है और वह सब उनको मिल जाता है, लेकिन जहां पर वे साबित नहीं कर पाते, तब जाकर दिक्कत पड़ती है। वैसे जाहिर है कि सरकार आम इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि अगर यह कर दिया जाय कि जितना जिसका जी चाह लकड़ी काट कर जंगलों से ले जाय और अपने जानवरों की चराई वहां करे, तब तो उसका नतीजा यह होगा कि जितने हमारे जंगल हैं वे सब खत्म होते चले जायेंगे।

मैं अर्ज कर दूं कि जो प्राइवेट फारेस्ट्स हैं उनके भी सेटिलमेंट रेकार्डस बन रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चन्द वर्षों के अन्दर वे तैयार हो जायेंगे और उसकी सही तहकीकात हो जायगी कि किन लोगों के हकूक को तसलीम किया जाय। किसी के हकूक को लेने की या बदलने की हमारी नीति नहीं है। कुछ जंगलों के शिकार वगैरह के मुताल्लिक भी बात कही गयी। यह बात सही है कि बाज-बाज किस्म के जंगल ऐसे हैं जहां कुछ जानवरों की रेअर नस्ल ही है और अन्देशा है कि अगर इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो वे आगे चल कर बाकी नहीं रहेंगे। इसके लिये एक नया डिपार्टमेंट कायम हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। कई सैंक्चुअरीज बनायी जा रही हैं जहां उनकी नस्ल को प्रिजर्व किया जायगा और इस तरह की भी कोशिश की जायगी कि रिजर्व फारेस्ट में कोई शिकार न करे।

एक सदस्य——उनको जू में रख दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर——यही तो गलतफहमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि जू में रखने से ही नस्ल कायम रह जायगी। यह तो वैसे ही है जैसे आपके बाग में चन्द दरख्त खड़े हों और आप कहें कि सारे जंगल के पेड़ काट दिये जायं तो भी हमारे बाग में तो वे रहेंगे ही और वही काफी होगा। ये सब गलतफहमी की ही बातें हैं। अगर जंगल में वे रहेंगे तभी बढ़ सकेंगे वरना वे खत्म हो जायेंगे। आज कल यहीं के नहीं, बल्कि बाहर के, अमेरिका वगैरह के सैकड़ों आदमियों की काफी ख्वाहिश है कि वे हमारे जंगलों में घूमें फिरें और यहां की वाइल्ड लाइफ को देखें। जैसा मैंने जिक्र किया कि एक सेंक्चुअरी बनारस के चन्द्रप्रभा में बन रही है, एक मालन में बन रही है, जहां शेरों की नस्ल जो बिल्कुल खत्म हो गयी है केवल गिरि जंगल में ही वे पाये जाते हैं वहां से ६ जोड़े शेर लाकर रखे जायेंगे, ताकि उनकी और नस्लें तैयार हो सके।

श्री बलदेव सिंह——दूसरी नस्लों को बरबाद कर देंगे।

श्री सैयद अली जहीर——बहरहाल, दूसरी नस्लों के बरबाद होने का कोई अन्देशा नहीं है, हम लोग भी तो पहले जंगल में ही रहते थे, लेकिन बावजूद उसके हमारी नस्लें अभी तक कायम हैं, इसके लिये केवल अक्ल होनी चाहिये। अक्ल होने पर नस्लों के बरबाद होने का कोई डर नहीं है।

श्रीमन्, मुझे हैरत हुई कि हमारे दोस्त तिवारी जी को इसका कोई अन्दाजा नहीं हो सका कि २४८ मील सड़कें किस तरह से वहां बन सकेंगी। हालांकि वे पहाड़ के ही रहने वाले हैं और यकीनन वे आस-पास के जंगलात के गांवों से वाकिफ होंगे और वहां के रास्तों से भी वाकिफ होंगे। जहां तक जंगलों में सड़कों के बनाने की बात है जंगलों के रास्ते, जो बनाये जाते हैं उन पर मोटरें यद्यपि चलती है, लेकिन मोटरों से चलने के माने यह नहीं है कि वे भी सीमेंट रोड्स हों या टार्ड रोड्स हों, जैसा कि शहरों के अन्दर होती हैं। वह जंगल की सड़कें तो इसलिये बनाई जाती हैं कि वहां पर मोटर चल सकें और वह वहां काफी सस्ती बन जाती है और उनको एक खास तरीके से रखा जाता है तभी वह रह पाती है, बरसात के मौसम में वह बन्द हो जाती हैं, क्योंकि वह बारिश के जमाने में इस काबिल नहीं रहतीं कि उन पर आमद-रफ्त हो सके, लेकिन सूखे मौसमों में वह काफी मुफीद होती हैं।

दूसरे उनकी यह गलतफहमी है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड से एफारेस्टेशन का काम कराया जाय या वह एक ही चीज हैं।

श्री अधिष्ठाता——माननीय मंत्री जी, समय कम है, दूसरे अनुदान का भी आप खयाल रखें।

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक फ्लड कंट्रोल बोर्ड का संबंध है, उसकी गरज दूसरी है; वह तो बाढ़ों को कंट्रोल करता है और जहां तक कि एफारेस्टेशन का सवाल है उसमें तो जमीन का कटाव रोकने के लिये जंगल लगाये जाते हैं, तो वह दोनों विभाग अलग-अलग हैं और उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड की बात जो वह कहते हैं उसके काम को तो प्लानिंग विभाग डील करता है, फारेस्ट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपके पास पिछले साल की वन विभाग की रिपोर्ट भेज दूं। वह आप पढ़ लें।

श्री सैयद अली जहीर—जरूर भेज दीजिये अब उसको प्लानिंग विभाग डील करता है, पहले जो कुछ भी होता हो। स्वायल कंजरवेशन बोर्ड का जरूर एफारेस्टेशन से ताल्लुक है और वह दोनों साथ मिल कर काम करते हैं। फिर भी, जो कुछ भी तजवीज माननीय सदस्यों की तरफ से पेश की गई हैं और जितने सुझाव दिये गये हैं, जैसा कि मैंने कहा हम उन पर गौर करेंगे और उनको मानने की कोशिश करेंगे। हमारा आपका सब का मकसद एक है। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं कि इस ग्रान्ट को मंजूर किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत २,१५,७४,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अधिष्ठाता महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,३९,१९,९०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

जहां तक न्याय विभाग का ताल्लुक है, इसमें कोई खास तब्दीली गुजिश्ता साल से इस साल में नहीं हुई है और शायद माननीय सदस्यों को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि हमने बहुत कोशिश की कि दूसरा जो प्लान है उसमें कम से कम कुछ थोड़ा सा रुपया हमको इस विभाग के लिए भी मिले, लेकिन आप यह प्लान एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख डाले न्याय के लिए उसमें एक पैसा नहीं पायेंगे। हमने कुछ ज्यादा नहीं, डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की थी और हमने यह कहा था कि कम से कम जो अदालतें हमारे यहां की हैं वह अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने जैसी भी अच्छी बुरी इमारतें हुईं उनमें अदालतें कायम कर दीं। कहीं-कहीं पर तो अच्छी इमारतें हैं, लेकिन ज्यादातर निहायत पुरानी, सड़ी गली सन १८५७ की और १८५७ से पहले की इमारतें हैं, जिनमें अदालतें किसी न किसी तरह से अब तक बसर कर रही हैं, लेकिन बावजूद हमारी कोशिश के हमको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई रुपया उसमें नहीं मिल सका। तो फिर हमने अपने ही बजट से जो स्टेट की आमदनी है उससे कुछ थोड़े से नये आइटम्स के लिए कुछ रुपया अलग किया है और कुछ थोड़ा रुपया बढ़ाया है ताकि जो तकलीफें है ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की वह किसी हद तक रफ़ा हो सकें। आप देखेंगे कि इसके सिलसिले में हमने १ करोड़ ६६ लाख ७१ हजार २ सौ रुपया इस साल मांगा है जिसमें पुराने साल से कोई १२ लाख ४७ हजार २ सौ रुपया की बढ़ोत्तरी है। यह बढ़ोत्तरी करने के और कोई विशेष कारण नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे हाई कोर्ट में जैसा कि आपने भी देखा होगा कि एरियर्स बहुत हो गये हैं और जजेज की कुल तादाद २४ है। लेकिन हमने समझा कि २४ जजेज से काम नहीं चलेगा एरियर्स को साफ करने के लिए। चुनांचे दो जजेज के लिए हमने बजट में प्राविजन किया जिनमें से एक जज मुकर्रर हो गया है और दूसरा जज, उम्मीद है कि अनकरीब मुकर्रर हो जायगा और बजाय २४ के २६ जज हो जायंगे।

उसके बाद जो आमतौर से सालाना इन्क्रीमेंट होता है, डियरनेस एलाउंस होता है उसके सिलसिले में कुछ बढ़ा है। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में आपने सुना होगा कि जिन लोगों की तनख्वाहें सौ रुपये से कम हैं उनको पांच रुपये की बढ़ोती दी जायगी। तकरीबन चार लाख रुपया उसकी वजह से बढ़ गया है।

इसमें आपको यह भी अन्दाजा होगा कि २ लाख ५६ हजार २ सौ रुपये के नये आइटम्स हैं। इनमें से २ लाख २४ हजार रेकरिंग और ३२ हजार नानरेकरिंग हैं। रेकरिंग आइटम में ४७ हजार रुपया हमने इसलिये रखा है कि गवाहों को जो खूराक दी जाती थी वह बहुत कम थी और उसकी वजह से गवाह, खासतौर से फौजदारी के मुकदमें में आने से इनकार कर देते थे। उसमें इजाफे की जरूरत समझी गयी और उसमें इजाफा कर दिया गया। इसी तरह से अदालत में जो अमीन मुकर्रर होते हैं उनके लिये कोई एलाउन्स का इन्तजाम नहीं था। समझा जाता था कि या तो वह अपने पास से खर्च करेंगे या मुवक्किल ले जायगा तो वह देगा। बहुत सी शिकायतें आती थीं कि इस वजह से भी करप्शन होता है। चुनांचे उनके वास्ते ट्रैवेलिंग एलाउन्स का इंतजाम किया गया है। तेरह हजार रुपया इम्प्लाइज इंश्योरेंस कोर्ट जो इलाहाबाद और बनारस में कायम होंगी उनके लिए हैं। २३ हजार ५ सौ रुपया इसलिये रखा गया है कि इटावा में नयी जजशिप कायम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी जब स्वतंत्रता हुई थी उस वक्त बहुत से ऐसे जिले थे जिनमें डिस्ट्रिक्ट जज नहीं थे। तो अब जहां तक हो रहा है अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट जजेज कायम हो रहे हैं। इस साल इटावा में कायम हो रहा है। तो २३ हजार ५०० रु० का इसमें प्रोवीजन किया गया है। इसके अलावा कुछ और रकमें हैं जो इमारतों के लिये हमने रखी हैं; वह आज आपके सामने नहीं हैं। मालूम नहीं उसकी इत्तिला भी हुई थी कि नहीं, जिस वक्त आपने ग्रान्ट नम्बर ५० और ४७ मन्जूर की होगी। बहरहाल, उसी में वह रकम भी मंजूर हो गई है जिससे कुछ इमारतें बनना हैं। आल्टरेशन्स वगैरह होने हैं। बहरहाल मैं उसका तसकिरा किये देता हूं। उसी तरह से ३ लाख रुपया सिविल कोर्टस् की इमारतों में ऐडीशन्स और आलटरेशन्स के लिये रखा गया है। जैसा मैंने कहा, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से तो कोई सहायता मिली नहीं, अपने पास से जितना हो सकता था हमने उस काम के लिये रखा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एरियर्स हैं, उसके बारे में सवालात भी अक्सर होते हैं, जो कुछ उसके मुताल्लिक हमने किया है वह अभी थोड़े ही दिन हुए एक सवाल के जबाव में अर्ज कर चुका हूं। एक तो यह है कि वर्किन्ग डेज की तादाद बढ़ा रहे हैं। यानी अब २०० दिन साल में हाईकोर्ट के जजेज काम किया करेंगे। दूसरे, हाईकोर्ट के जजेज की तादाद बढ़ा रहे हैं। तीसरे, यह कि जो अपील १० हजार तक की मालियत की थी, वह अब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां मुकदमें की पहली अपील जाया करेगी। उसके बाद यह था कि सिंगिल जज का जुरिस्डिक्शन २ हजार से ऊपर नहीं था। अब यह है कि सिंगिल जज ५ हजार तक के मुकदमों का फैसला कर सकेंगे। इसी तरह से जो पेपर बुक छपा करती थी, पहले यह था कि

[श्री सैयद अली जहीर]

जो भी बैंच केस हुआ वह छपता था। लेकिन अब यह है कि १० हजार से ऊपर का केस होगा तो वह छपेगा वर्ना वैसे ही टाइप हो करके हाईकोर्ट जायगा और उस पर फैसला वहां हुआ करेगा।

स्माल काज कोर्ट के जो मुकदमें थे, उनकी निगरानी अभी तक हाईकोर्ट में होती थी। अब हाईकोर्ट के बजाय यह काम डिस्ट्रिक्ट जजेज को दे दिया गया है। इससे हमें उम्मीद है कि आगे चल करके कुछ और भी कमी होगी। इसके अलावा जो कुछ हम कर चुके हैं वह आपको मालूम है कि एक तरमीम कानून आया था जिसमें ऐवीडेंस ऐक्ट, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, स्माल काजकोर्ट ऐक्ट, ल्यूनैसी ऐक्ट, वगैरह-वगैरह तरमीम किये गये थे ताकि प्रोसीजर सहल हो जाय और मुकदमों के फैसले जल्द हो सकें।

हमने कुछ तादाद डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन्स जज और सिविल ऐण्ड सेशन्स जज की बढ़ा दी है। पहले ३० डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन्स जजेज थे और १५ परमानेंट पोस्ट थीं। सिविल ऐंड सेशन्स जजेज १९५१ से बढ़े हैं और अब ८४ हो गये हैं। मगर इस साल मुन्सिफ्स में ४४ की तादाद और बढ़ा दी गई है। इनकी कमी की वजह से बाज-बाज जिलों में फैसले जल्दी नहीं मिलते थे और हाईकोर्ट ने मांग की थी कि उनका केडर बढ़ाया जाय। चुनांचे २२२ से बढ़ा कर मुन्सिफ्स का केडर २६६ कर दिया गया है।

एक और पेरीनियल क्वेश्चन आया करता है। सेपरेशन आफ ऐग्जीक्यूटिव, और जुडिशियरी आप जानते हैं एक अर्से से यह सवाल उठा करता है। बहरहाल, मुझे इसके सिलसिले में यह अर्ज करना है कि इस साल कोई खास तरक्की नहीं हुई है। १८ जिले ऐसे हैं जिनमें ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जुडिशियल) ऐप्वाइन्टेड हैं और वहां पर जुडिशल आफिसर्स मुकर्रर हैं। वह उसके मातहत काम करते हैं। इस तरह से कम से कम १८ जिलों में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन इस समय है। वैसे जुडिशियल आफिसर्स तो बहुत से और जिलों में हैं, करीब-करीब प्रदेश के सभी जिलों में वह काम करते हैं लेकिन वहां वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत होते हैं। इन १८ जिलों में वे एक ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जुडिशल) रहता है उसकी निगरानी में काम करते हैं और इस तरह से यहां पर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कायम है। इसी के साथ-साथ मैं पर्वतीय जिलों का भी जिक्र कर दूं। वहां पर पहले जो सिविल वर्क था वह एस० डी० ओ० करते थे लेकिन एक कमेटी—कुमायूं सिविल जस्टिस इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। उसकी तजवीजों के हिसाब से इसको अब बदल दिया गया है और अब नैनीताल में दो मुंसिफ, अल्मोड़े में तीन और गढ़वाल में दो, कुल सात मुंसिफ मुकर्रर कर दिये गए हैं। वह इन मुकदमों का फैसला करेंगे और कोई खास बात मुझे इस सिलसिले में नहीं कहनी है। बहरहाल, जो कुछ सुझाव आप लोग इसमें पेश करेंगे उनके ऊपर हम बराबर गौर करते रहे हैं और आइन्दा भी हम गौर करेंगे।

हम समझते हैं कि जिस तरह से कि सस्ता ऐडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का और जल्दी मुकदमों का फैसला होना चाहिए, अभी तक अपने सूबे में हम उस मकसद तक नहीं पहुंच पाये हैं। लेकिन मैं यही यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो उसके कारण हैं वह इतने मुख्तलिफ हैं और ऐसी दिक्कतें हमारे सामने हैं कि यह समस्या बहुत जल्दी हल नहीं हो सकती। बहरहाल, जो-जो जरूरी अकदाम उसके लिए होने चाहिए वह हम कर रहे हैं और जहां तक हो सकता है, हमारा खयाल है कि जो हमने कदम इस वक्त उठाये हैं उसके असरात बहुत जल्दी नजर आयेंगे। हमारे यहां मुकदमों का जो एक्मुलेशन हो गया है वह खत्म हो के रहेगा, उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा।

उसी के साथ-साथ जो एग्जीक्यूटिव और जुडिश्यरी के सेपरेशन की बात है, मेरा खुद अपनी तरफ से यह खयाल है कि असल में वह एक उसूली चीज है और ऐसी चीज नहीं है कि

उससे हम यह समझें कि बगैर उसके हमारे यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। असल में जो उसका मंशा है वह यह है कि जस्टिस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, इन्साफ होना चाहिए और उसमें यह कहा जाता है कि जब तक कि एग्जीक्यूटिव और जूडिशियरी का सेपरेशन नहीं होगा उस वक्त तक असली न्याय जैसा कि होना चाहिए वह नहीं हो सकता। बहरहाल, अब आजादी के जमाने में सेट अप बिल्कुल दूसरा है। कोई शख्स यह नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई अन्याय हो या ज्यादती हो। लेकिन उसी के साथ यह भी देखने की जरूरत है कि आज हमारे मुल्क में क्राइम सिचुएशन जो है वह कम हो। बाज-बाज सूबों में इसमें शक नहीं कि अपराध कम हो गये हैं और उन्होंने अपने यहां जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन में कुछ कामयाबी हासिल की। लेकिन हमारे सूबे की हालत अभी अपराध की इतनी इत्मीनानबख्श नहीं है कि हम इतने बड़े कदम उठा सकें और हम बिल्कुल इसको सेपरेट कर दें और अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो हमको यह अन्देशा है कि जो एक्जीक्यूटिव के हाथ में पावर्स आज हैं उनके जरिये से जो वह क्राइम को रोक सकते हैं, वह उन पावर्स के कम हो जाने पर शायद क्राइम्स बजाय घटने के और बढ़ जायं और हमको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि यह डाइरेक्टिव कांस्टीट्यूशन का है। हमको इधर कदम उठाना है और इसको सेपरेट करना है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि चूंकि डाइरेक्टिव है लिहाजा हम जल्दी से जल्दी इधर कदम उठा लें जब तक कि हमारे सूबे की हालत दुरुस्त न हो। हर मामले में यह देखना पड़ता है कि पहले क्या चीज करनी है। पहले हमको अपनी आर्थिक हालत को दुरुस्त करना है। पहले अपने यहां के अपराधों को कम करना है, अपने यहां की सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना है और फिर उस डाइरेक्टिव को भी पूरा करना है। तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम समझते नहीं हैं या हम एलाइव नहीं हैं कि यह डाइरेक्टिव हमें पूरा करना है। लेकिन सवाल वक्त का है कि हमको उसे फौरन करना है या अभी दो-चार साल ठहर सकते हैं और उसके बाद अगर करेंगे तो वह देश व सूबे के हित में होगा और जनता को उस पर ज्यादा इत्मीनान होगा। बहरहाल, उसके मुख्तलिफ ऐस्पेक्ट्स हैं, जिन पर हमें गौर करना है और जहां तक सरकार का ताल्लुक है मैं इसको समझ रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी को भी समझता हूं और सूबे की हालत को भी हम देख रहे हैं और उन सब बातों को देखते हुए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि इस वक्त जरूरी नहीं कि हम उधर कदम उठायें, क्योंकि इसकी वजह से न तो कोई नुक्सान हो रहा है और न कोई जरूरी काम पूरा होने से रुक रहा है। उससे ज्यादा जरूरी काम हैं जिनको हम पूरा कर रहे हैं और चन्द सालों में जब यकीनन ऐसी सूरत हो जायगी तो मजबूती से कदम हम उस तरफ उठा सकेंगे और कांस्टीट्यूशन का जो डायरेक्टिव है उस पर पूरे सूबे में अमलदरामद हो सकेगा। इन चन्द अल्फाज के साथ मेरी प्रार्थना है कि जो मैंने मांग पेश की है वह स्वीकार की जाय।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७ में जो १,३९,१९,९०० रु० की मांग की गई है उसमें १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और इसकी मंशा यह है कि इस मांग पर बहस की जाय और कुछ सुझाव दिये जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े महत्व का विषय है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन खुशी भी है कि विभाग का वास्ता श्री सैयद अली जहीर साहब से है और जिनका न्याय से बहुत ज्यादा गहरा सम्बन्ध रहा है। उनकी तकरीर से यह बात वाजेह हो रही थी कि वे भी मौजूदा निजाम से मुतमईन नहीं हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वे फौरन उसके करने में मजबूर हैं।

मुझे साथ-साथ यह भी अफसोस है कि न्याय का मसला जिस पर आज हम लोग बहस करने के लिये आये हैं, सदन की यह हालत है कि हाजिरी माननीय सदस्यों की बहुत ही मुख्तसर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

है। फिर मिनिस्टर साहब को अपने बातें कहने में एक घंटे से ज्यादा लग जायगा। इसलिये मैं बहुत थोड़ा वक्त लूंगा जिससे और लोगों को भी अपने खयालात का इजहार करने का मौका मिल सके।

जहां तक हमारे सूबे का ताल्लुक है, इसे एक मंगलकारी राज्य कहा जाता है, 'वेलफेयर स्टेट' बतलाया जाता है और कहा जाता है कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। बजट की दोनों अंग्रेजी और हिन्दी की तकरीरें हमारे सामने मौजूद हैं लेकिन उसमें १५ नम्बर की ग्रान्ट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। मुमकिन है मैं नजरन्दाज कर गया हूं। एक फारसी शेर में कहा गया है :—

"जिन्दा अस्त नाम फरुखे नौशेरवां ब अदल,
गर्चे बसे गुजश्त कि नौशेरवां नमांद।"

नौशेरवां का नाम इसलिये जिन्दा है कि उसने इंसाफ किया, राजा विक्रमादित्य का नाम इसलिये जिन्दा है कि उसने इंसाफ किया। उसके राज्य में ऐसा माहोल पैदा हो गया था कि चरवाहा जाकर बैठ जाता था और इंसाफ कर सकता था। राम का नाम इसलिये मशहूर है कि उन्होंने इंसाफ किया। जहांगीर बड़ा ऐश परस्त आदमी था, शराब में मस्त रहता था लेकिन घंटी बजा दी जाय तो उससे मुलाकात हो जाती थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज आपका जो कार्य का तरीका है वह इंसाफ से बहुत दूर है। 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'। जहां इंसाफ में देरी होती है वहां इंसाफ नहीं हो सकता।

अभी मिनिस्टर साहब ने फर्माया कि बार-बार यह बात सुनने में उनको बड़ी तकलीफ होती है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार के नाम से उनको तकलीफ होती है तो मैं यह भी कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार का कोई जिक्र न आये ताकि उनको तकलीफ न हो लेकिन जहां तक इंसाफ का वास्ता है तो इंसाफ की बड़ी तकलील है, बड़ी कमी है। आज मैं अपनी मालूमात की बिना पर यह अर्ज कर सकता हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये महज गवर्नमेन्ट के लिए हैं और कुछ हमारे विरोधी दल के नेता हैं, जो बादशाह हैं आंकड़ों के, तिवारी जी के लिये हैं। मैं कुछ आंकड़े रखता हूं कि ३९,२७९ मुकदमे आपने बताये कि हाईकोर्ट में पेण्डिंग हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एक किया गया था कि उसमें कितनी पेटीशंस हैं, कितने क्रिमिनल और कितने सिविल केसेज हैं, उसका जवाब नहीं मिल सका। न मालूम किस वजह से देना उचित नहीं समझा। इसके सिवा अगर तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखा जाय तो मैं देखता हूं कि हजारों, लाखों केसेज ऐसे निकलेंगे जिनका कि कोई अभी तक फैसला नहीं हो सका है। तो जहां १५ साल के पहले के मुकदमें मौजूद हैं या १८ साल तक के मौजूद हैं तो कहां आपके इन्साफ की बात आती है ?

आप देखते हैं कि इस दौर में दुनिया की तरक्की हो रही है और दुनिया में जल्दी जल्दी, सुरअत के साथ तबदीलियां हो रही हैं, इस जमाने में १५ और १८ साल के मुकदमें बगैर फैसले पड़े हैं और उसके साथ हम दावा करते हैं। मैं तो आपके सामने आपकी बात ही अर्ज करूंगा। कांग्रेस कमेटी के ओपेन सेशन में, इजलास में जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपेरेशन की बात रखी गयी थी और आपकी मुकर्रर की हुई, स्वयं आपको वांच कमेटी थी। उसकी यूनैनिमस रिपार्ट यह है कि सेपेरेशन जरूर होना चाहिये। जिन लोगों का वास्ता है वह रिपार्ट देखते हैं और मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस वक्त तक जुडीशियरी का एक्जीक्यूटिव से सेपेरेशन नहीं होगा उसका इंडिपेंडेंट फंक्शन होना ना मुमकिन है, गैरमुमकिन है। जो जुडीश्यल मैजिस्ट्रेट रखे गये हैं, आज उनकी जिन्दगियां मुअल्लिक हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथों में। जुडीशियरी के केसेज में फैब्रीकेटेड एवीडेंस होते हैं। जमानतों में दिक्कतें पड़ती हैं, तमाम दिक्कतें हैं। अगर जल्दी से गौर करें और बहुत ताम्मुल के साथ भी सोचें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हम कानूनी ईविल्स को दूर करना चाहते हैं और हम खराबियों को दूर करना चाहते हैं तो हम, जितनी जल्दी हो सके, एग्जिक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग कर दें।

इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जाने कितने, सैकड़ों, आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उनसे वही काम लेना चाहते हैं या जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से लेते हैं और जुडीश्यल मैजिस्ट्रेट से लेते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह भी कोई मुकर्रर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि दो चार आदमी ऐसे मुश्किल से मिलेंगे जो आनरेरी वर्क कर सकें और ये आपको सैकड़ों की तादाद में आनरेरी मैजिस्ट्रेट मिले हुये हैं जिनसे आप इनसाफ चाहते हैं, जिनको कि आपने फर्स्ट क्लास पावर्स दे रखी हैं। तो मैं तो यह अर्ज करता हूं कि या तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट बिलकुल हटा दीजिये और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो उन्हें कुछ आनरेरियम देना बड़ा जरूरी है।

आज मैं आपके आंकड़े देख रहा था कि थोड़ी आंकड़े की बात भी देख ली जाय। मैंने यह देखा कि इस वक्त तक जो आपके गवर्नमेंट प्लीडर्स थे उनकी भी अजीब हालत है। जितने सिविल ला हैं उनमें भी कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन ३१,८०० रुपया का इजाफा किया गया है गवर्नमेंट प्लीडर्स की पे में। इन गवर्नमेंट प्लीडर्स का जो तकर्रर होता है वह भी एक तुर्फे सितम है। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं लेकिन उनको पेश करना मुनासिब नहीं समझता हूं लेकिन इतना कह देना चाहता हूं कि जो उचित व्यक्ति है और जिसका एप्वाइंटमेंट होना चाहिये, नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये एक कमेटी होनी चाहिये उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो और बार ऐसोसियेशन का प्रेसीडेंट भी होना चाहिये ताकि सही तरीके से गवर्नमेंट प्लीडर्स की नियुक्ति हो सके।

इसके अतिरिक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ३५,००० रुपये की रकम सिर्फ 'इम्प्रूवमेंट आफ दी कोर्ट कम्पाउन्ड' के लिये रखी गयी है, ४६,६०० रुपये किताबों की खरीदारी के लिये हैं और ३०,००० रुपये की रकम फर्नीचर के लिये रखी गई हैं जो पिछले साल नहीं थी। इसके अतिरिक्त आपके यहां जजों की तनख्वाह १,१०० रुपये से लेकर २,२५० रुपये तक जाती है। जब हम अपने देश की गरीबी की तरफ देखते हैं और परेशानी को देखते हैं और मंत्रियों ने भी अपनी तनख्वाहों में कटौती की है तो हम चाहते हैं कि इनकी तनख्वाहों में भी कमी होनी चाहिये और १,५०० रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। चीफ जस्टिस को ४,००० रुपये तनख्वाह देते हैं उसमें भी कमी करने की जरूरत है। इसी तरह से और भी चीजों में कमी करें तो बहुत सा रुपया बच जायगा। आज हमारे सामने यह चीज है और इस पर गौर करने की जरूरत है। जहां तक जस्टिस का ताल्लुक है इंसाफ नहीं है वैसे सब कुछ है। इसकी तरफ तवज्जह नहीं की जाती है। एक बात और मिनिस्टर साहब की तकरीर से झलकी कि सेंटर की परवाह नहीं है। हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में इंसाफ हो, किसी को परेशानी न हो, न्याय जल्दी मिले, मजलूम को इंसाफ मिले और हम चाहते हैं कि न्याय सस्ता हो। आप इंगलैण्ड में चले जाइये; वहां वकील और बैरिस्टर रुपया नहीं लेते थे और यह बड़ा अच्छा प्रोफेशन समझा जाता था।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--सुबह भी यह प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय कहा था कि बाद को पेश कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरा सुझाव यह था कि अभी बहस चलती रहे और जब पांच बजने में कुछ समय रह जाय और उस समय सदन चाहे कि कुछ और बहस हो तो हम लोग इसको स्वीकार कर लेंगे लेकिन अगर सदन इसकी जरूरत अनुभव न करे तो पांच बजे बहस

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

बन्द कर दी जाय। सब लोग काफी थके हुये हैं और कुछ सदस्यों ने बताया कि आज आखिरी दिन है उनको जाना है। इस तरह की बात लोगों ने कही है। कल १५ अगस्त है इसलिये मैंने सुझाव रखा है कि अन्त में जैसा हम समझें कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो अनुदान मांगा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, किन्तु मैं कुछ सुझाव पेश करूंगा। चूंकि इस न्याय विभाग से मेरा संबंध ३४ वर्ष का है इसलिये जो-जो चीजें मैंने महसूस की हैं और जिन-जिन को मैं जरूरी समझता हूं वे इस सदन के सन्मुख रखूंगा और श्रीमन् के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे उन पर ध्यान दें।

वैसे हम लोग जंगल से निकल कर न्याय की ओर आये हैं। सारा समय जंगल में ही बीत गया और न्याय के लिये केवल एक घंटा ही रह गया है। यह भी स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट न्याय के लिये है जैसा कि न्याय मंत्री ने खुद भी कहा है कि सरकार उनके मांगने पर भी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन हम लोगों का कर्त्तव्य यह है कि हम उन चीजों को सरकार के सामने रखें जोकि बहुत जरूरी हैं। मेरा अपना विचार यह है कि हम एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं जिसमें हर चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है, पुरानी बुनियादें खोदी जा रही है, नयी इमारतें बनायी जा रही हैं और न्याय को फिर से बनाया जा रहा है। श्रीमन्, सरकारें तो बदलती ही रहेंगी। ब्रिटिश सरकार चली गयी, इस वक्त यह सरकार है, जब तक इसकी आयु होगी, रहेगी, उसके बाद दूसरी सरकार आयेगी और उसकी भी जब तक आयु होगी रहेगी लेकिन न्याय की प्रणाली सदैव एक सी रहेगी और उस न्याय प्रणाली को संभालना हमारा काम है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सैटिस्फाईड जुडिशरी ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक ऐसे कल्याणकारी राज्य के लिये जो प्रजातंत्र के आधार पर बनाया जा रहा हो बहुत जरूरी हैं और इस जरूरत को यह सरकार महसूस नहीं कर रही है। इसका परिणाम मेरे खयाल से बहुत अच्छा नहीं होगा। जब ब्रिटिश सरकार यहां पर थी तब जो दिक्कतें हम महसूस करते थे उन दिक्कतों को आज भी दूर करने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट से मेरा संबंध है उसके लिये पं० जवाहरलाल नेहरू ने जिस वक्त जेल से बाहर सन् १९४२ के बाद निकले थे, बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि सबार्डिनेट जुडिशयरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो रही है और वह सराहनीय है। ये उनके शब्द थे जिन पर हम लोगों को बड़ी प्रफुल्लता हुई थी कि संसार के बड़े आदमियों में से एक ने हमारी तारीफ की। अब उस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिये जिन चीजों की जरूरत है उनमें से बहुत सी चीजें हम इस वक्त नहीं देख रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे ५ मिनट और ज्यादा दिये जायं ताकि मैं कुछ अधिक कह सकूं।

श्री अधिष्ठाता--ठीक है, बोलिये।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह--सबसे पहली चीज, मैं यह देख रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशयरी से सेपरेट नहीं किया जा रहा है। क्या वह चीज जो ब्रिटिशर्स के जमाने में बड़ी जरूरी समझी जाती थी उसकी जरूरत अब कम हो गयी है, क्या वह न्याय जो ब्रिटिशर्स के जमाने में होता था उससे आजकल के न्याय में कोई तब्दीली हो गयी है? मैं तो यह समझता हूं कि न्याय सदा एक सा रहेगा। अगर उस वक्त एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपरेशन जरूरी था तो आज उसकी जरूरत कैसे कम हो गयी, मेरी समझ में नहीं आता है।

यह ठीक है कि हम खुद ही राजा और खुद ही प्रजा आज हैं, लेकिन क्या आज जनता यह महसूस नहीं कर रही है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के शामिल रहने से जो चीज तब होती थी अब भी वही हो रही है। जब पुलिस विभाग के अनुदान पर बोलने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं यह सदन को दिखलाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक्जीक्यूटिव और पुलिस दोनों ने मिलकर न्याय के ऊपर थोड़ा सा आने की कोशिश की है। यह चीज हमारी इस समाजवादी सरकार के लिये जिन लाइन्स पर वह चलना चाहती है फायदेमन्द साबित नहीं होगी। हर आदमी को कोर्ट के अन्दर पहुंचने पर यह विश्वास होना चाहिये कि उसके साथ न्याय होगा। आज एक आदमी हथकड़ी डाले हुये मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में घुसता है तो उसको इस बात का ध्यान रहता ही है कि उसको सजा होनी है चाहे वह छूट ही जाय। लेकिन जब वह जजेज के कोर्ट में घुसता है उसको ध्यान रहता है कि उसके साथ न्याय होगा। इसीलिये यह ठीक है कि जुडिशियरी का एक्जीक्यूटिव के साथ रहने का जमाना गया।

इसी तरह से एक चीज और बतलाना चाहता हूं कि इस एक्जीक्यूटिव के ढांचे में न्याय का जो तराजू है वह बिगड़ जाता है इसीलिये हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने कांस्टीट्यूशन में एक डाइरेक्टिव दिया कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव सेपरेट हो। वह केवल डाइरेक्टिव ही नहीं है बल्कि विचार के लिये एक गम्भीर समस्या है।

चूंकि समय दो ही मिनट रह गया है इसलिये एक दो जरूरी बातें कहना चाहता हूं। पहली यह है कि जस्टिस में डिले बहुत हो रही है। उसके वास्ते हाईकोर्ट के जजेज को बढ़ाने की जरूरत है, मुंसिफों के बढ़ाने की जरूरत है। कुछ बढ़ाये भी जा रहे हैं लेकिन जहां तक हो सके ज्यादा तादाद में उनको बढ़ाया जाय ताकि काम जल्दी हो सके।

दूसरी बात यह है कि जजेज और मुंसिफ्स को हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है। उनके लिए मकानों की बड़ी दिक्कत है। मुझे बदायूं का जाती तजुर्बा है। कोई किसी की कोठी में रह रहा है कोई धर्मशाले में रह रहा है। इस ओर भी ध्यान सरकार का जाना चाहिये।

तीसरे हमारे यहां सिविल जजेज को बड़े अख्तियारात हैं, अनलिमिटेज ज्यूरिस्डिक्शन उनका है। लेकिन उनको ४ सौ तनख्वाह मिलती है। इस वास्ते उनमें बड़ा डिस्प्रंटिलमेंट है कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

एक असंतोष हमारी जुडीशियल सर्विसेज में और है। बाहर जो रिक्रूटमेंट हायर जुडीशियल सर्विसेज में हुये हैं उनके कारण जो इन लोगों के ऐस्पिरेशंस थे वह दब चुके हैं। यह सही है कि उनमें से बहुत से आदमी अच्छे आये हैं लेकिन ऐसे भी हैं जो पहले कम्पेटीशंस में बैठे थे और नाकामयाब हुए लेकिन उसके बाद वे जजेज हो कर आये हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने से यह होगा कि जितनी क्वालिफिकेशन के सर्विसेज के आदमी उसमें बैठ सकते हैं उतनी ही क्वालिफिकेशन के बाहर के आदमी भी उसमें बैठें और उनको मौका मिले ताकि वह प्रतियोगिता में सफल हो सकें।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सम्मुख जो अनुदान संख्या १५ प्रस्तुत है उसमें माननीय शिवराजबहादुर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह दुख की बात है कि जिस न्याय की प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा करनी चाहिये और जिस देश में न्यायाधीश को परमेश्वर के बराबर समझा जाता था, जो पंच परमेश्वर के पद से विभूषित किया जाता था, आज उसी देश की जनता न्याय के प्रति सशंक है, न्याय को संदेह की दृष्टि से देखती है। प्रतिदिन इस बात की चर्चाएं सुनने में आती हैं कि वास्तव में न्याय नहीं होता वह खरीदा जाता

[श्री जगन्नाथ लहरी]

है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हो सकता है कि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें हों, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज पग-पग पर न्यायाधीशों के प्रति इस प्रकार की चर्चायें सुनने में आती हैं और उनको सुनकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में न्याय शीघ्र और सस्ता हो। यदि किसी का मामला आज शुरू होता है तो उसको न्याय पाने के लिये वर्षों लग जाते हैं और उसको उसके लिये हजारों रुपया भी व्यय करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पूर्व पंचायतों के अनुदान पर बहस के समय स्वशासन मंत्री ने बतलाया था कि न्याय पंचायतों ने १९ लाख केसेज का फैसला किया और हमारे न्यायालयों ने लगभग ६ लाख केसेज का फैसला किया। आप देखें कि पंचायतों में जनता को न्याय सस्ता भी मिला और शीघ्र भी और उन पर हमारा कुछ विशेष व्यय भी नहीं होता है, लेकिन जिन अदालतों पर हम १,६६,७१,२०० रुपया व्यय करते हैं उनमें न्याय कितना कीमती है। मेरी मांग है कि माननीय न्याय मंत्री इस बात का प्रयत्न करें कि जनता को न्याय शीघ्र और सस्ता मिल सके।

बहुत से केसेज ऐसे हैं कि जिन में शीघ्र न्याय मिल सकता है। उदाहरण के लिये मैं बतलाता हूं कि एक व्यक्ति लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सवार हो रहा है गाड़ी पर और उसकी जेब कट जाती है। जेबकतरा स्टेशन पर ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर केस चलता है तो उसके लिये जिसकी जेब कटती है उसको कितनी ही बार दौड़ना पड़ता है और अपना कितना ही रुपया उसको बरबाद करना पड़ता है। वह जेबकतरे को सजा दिलाने के लिये महीनों परेशान होगा है। यदि हम एपीडेमिक को फेस करने के लिये जिस तरह की कार्यवाही करते हैं उसी प्रकार की कार्यवाही इसके लिये भी की जाय, जगह-जगह पर चलती फिरती अदालतें कायम की जायं और जहां भी कोई एन्टी शोसल एलीमेंट मिले, इस तरह के केसेज हों उनका वहीं पर चालान करके, मैजिस्ट्रेट तुरन्त उनका फैसला भी वहीं पर कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा। हम छोटे मोटे केसेज के लिये चलती फिरती अदालतें शहरों और कस्बों में कायम कर सकते हैं।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिस समय कोई चोरी आदि की घटना होती है उस समय उस समाज विरोधी तत्व को पकड़वाने में समाज के लोग मदद करते हैं, उनमें उसके पकड़ने के लिये बड़ा जोश रहता है, लेकिन जब उसका मामला न्यायालय में जाता है तो न्याय पाने की प्रणाली इतनी दूषित है और परेशानी की है कि वही व्यक्ति वहां जाने में घबड़ाते हैं। यदि इस प्रकार की प्रणाली यहां आरम्भ कर दी जाय कि जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको जैसे ही पकड़ा जांय वहीं ले कर उनका उसी जगह उसी दिन न्याय कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने सुझाव मांगे थे तो मेरा सुझाव यह है कि न्याय सस्ता और शीघ्र किया जाय। समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिये पुलिस के साथ न्यायाधीश भी पहुंचें ताकि शीघ्र ही न्याय हो सके।

अंग्रेजी पद्धति पर जो इस देश का न्याय प्रशासन चल रहा है वह बहुत खर्चीला सिद्ध हुआ है। अब भी उसी पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अंग्रेजी पद्धति से हम अपराधों की वृद्धि को रोक नहीं सके हैं। मैं आप के सामने एक उदाहरण फीरोजाबाद कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर का सुनाता हूं। इसका केस एक आगरा के सिविल जज न्यायालय में चला। सिविल जज के यहां उस स्टोर के खिलाफ एक व्यक्ति ने जो डाइरेक्टर नहीं चुना जा सका एक केस फाइल किया और चन्द दिनों में ही कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर के पक्ष में कोर्ट का निर्णय हो गया। लेकिन फिर बाद को उस आदमी ने कहा कि देखें आप लोग कैसे जीतते हैं और उसने त्रिवेणी का पानी पिलाने की बात कही। उसने स्टोर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस फाइल किया। २ जून, सन् ५२ को इलाहाबाद से एक

आर्डर आ गया और फिर पता नहीं कि उसका क्या हुआ। आज तक कोई भी तारीख नहीं पड़ी है। उस स्टोर को सरकार को सुपरसीड करना पड़ा और सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर अब उसको चला रहा है।

मैं आप के सामने कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर विभाग की मांग दोहरायी जा रही है। अगर इसकी तरफ वास्तव में थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाय तो यह फौरन् रोका जा सकता है। आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम जगह-जगह जनता की अदालत कायम करें। जिसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत मिले उसको पकड़कर जनता की अदालत के सामने खड़ा किया जाय। जिस तरह से चीन में खड़ा किया जाता है उसी तरह से जिस अधिकारी की शिकायत मिले उसको जनता अदालत के सामने लाकर खड़ा किया जाय और वहां खड़ा होने पर उसको शर्म मालूम होगी और शर्म से उसका सिर झुक जायेगा।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं कुछ कहूं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने समय के बाद मुझे बोलने का समय दिया। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि आज जिस न्याय की मांग है उसमें जो तकलीफें हैं उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर उसकी तरफ ध्यान न दिया गया तो हमारी न्याय व्यवस्था जिसके ऊपर सारे देश को बड़ा गौरव है, वह खत्म होती चली जायगी।

पहली बात यह है कि सब से बड़ा अभाव आज सिविल कोर्ट के अन्दर मकानों का है। आज हम देखते हैं कि आफिसर्स जिनको मकान नहीं मिलता है वह ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर वकीलों का संसर्ग बहुत रहता है। इससे उनके ऊपर दूषित प्रभाव पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि वकीलों के प्रभाव में रह कर किस प्रकार का न्याय किया जा सकता है। यह ऐसा अभाव है कि जो खटकता है और जिससे न्याय व्यवस्था के अन्दर क्षति हो रही है।

दूसरी बात यह है कि जो केसेज पुराने, अदालतों के अन्दर हैं उनसे भी काफी गड़बड़ी होती है। वह भी भ्रष्टाचार के जरिये हैं। सन् ४२, ४६ और ४८ के मुकदमें आज अदालतों में हम देखते हैं। जो पुराने क्लाइन्ट कोर्ट में जाते हैं वह यह चाहते हैं कि उनके केस को उसी दिन ले लिया जाय। वह उसके लिये अनेक दूषित उपायों का भी प्रयोग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं और कुछ सफल नहीं होते। जो सफल नहीं हुये वे जनता में आकर एक घृणा पैदा करते हैं और उसका दूषित प्रचार करते हैं। इस प्रकार कुछ पुराने केसेज के कारण जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको दूर करने के लिये मेरा माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है कि वे जुडीशियल आफिसर्स, मुंसिफ और सिविल जजों की जो तादाद है, उसको बढ़ायें। कुछ समय के लिये चाहे उनको ये अधिकारी टेम्पोरेरी रखने पड़ें अथवा कहीं से मांग लिये जायं। लेकिन कृपया किसी प्रकार से आप इन पुराने केसेज को खत्म करें। जब ये केसेज खत्म हो जायं तो उन आफिसर्स को कहीं खपा दिया जाय या और कुछ जो मुनासिब हो किया जाय। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फिलहाल कुछ आफिसरान को इस पुराने काम को खत्म करने के लिये रख लिया जाय। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी।

माननीय मंत्री जी ने दूसरी बात यह बतलाई कि उन्होंने जुडीशियरी को अलहदा करने की कोशिश की है और उसी के आधार पर ए० डी० एम० (जुडिशियल) को अप्वाइंटमेंट किया गया है। लेकिन यह ए० डी० एम० (जे०) भी डी० एम० का ही सबोर्डीनेट है वह हर बात में डी० एम० के आर्डर की पाबंदी करता है और हर एक मामले में प्राय: उसी के आश्रित उसको रहना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने कहा उनको मुकर्रिर करके उन्होंने जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो ए० डी० एम० (जे०) हैं वे टेम्पोरेरी

[श्री छत्रपति अम्बेश]

रखे गये हैं, उन्हें रोज इस बात का ध्यान रहता है कि न जाने किस दिन उनके ऊपर तलवार चल जाय, किसी समय भी उनको निकाल दिया जा सकता है। हर साल उनका रिन्यूअल होता है। हर समय उनको यही चिन्ता रहती है कि किस तरह से वे अपनी पोस्ट को कायम रक्खें। कहीं ऐसा न हो कि साल भर के बाद उनके ऊपर तलवार चल जाय। इसके साथ दूसरी बात यह भी है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट वही होते हैं जिनको कहीं और जगह नहीं मिलती है और सब जगह से वे निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि सौभाग्य से, 'येनकेन प्रकारेण' तो किसी प्रकार हम मैजिस्ट्रेट बन गये हैं, कल को कहीं फाका न करना पड़े। इससे एक दूसरी मनोवृत्ति पैदा होती है। आर्थिक समस्या उसके सामने आती है और वह सोचता है कल न जाने क्या हो और इसलिये वह अशोभनीय तरीकों का प्रयोग करता है जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। इस तरह से अपने काम को बनाने के लिये वह सब तरह के उपाय बरतता है। इसका वह शिकार हो जाता है। यह बात ठीक है कि जे० एम० में से कुछ लोगों को परमानेन्ट किया जा रहा है लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सूक्ष्म है, उससे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो जे० एम० भी कोई न्याय नहीं कर सकेंगे।

जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब कोई क्लाइन्ट अदालत में जाता है तो वह इस भावना को लेकर नहीं जाता है कि वहां उसको न्याय मिलेगा बल्कि वह एक बुरा असर लेकर जाता है। उसको विश्वास होता है कि जे० एम० के यहां से उसका कनविक्शन हो जायगा। जो मनुष्य न्याय के लिये जा रहा है और उसकी यह भावना हो तो फिर आप ही सोचिये कि यह हालत कहां तक ठीक है। न्याय अदालत में जाने से पहले तो मनुष्य की यह भावना होनी चाहिये कि उसको वहां न्याय मिलेगा। (पुराने समय में लोगों का यह खयाल था कि उनके दुःख दर्द को दूर करने वाला अगर कोई मुहकमा है तो यही है। लेकिन आज इसके विपरीत नजर आ रहा है। जहां हमारी तकलीफ दूर होनी चाहिये थी वहां वह और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है।

इसी प्रकार से हाईकोर्ट में २०–२५ साल पुराने केसेज लटके पड़े हैं। लोग हाईकोर्ट से स्टे आर्डर ले आते हैं और बड़ी-बड़ी मिल्स बंद पड़ी रहती हैं। इसी के कारण जोन्स मिल्स आजतक बंद पड़ी हुई है और देर में फैसला होने के कारण आज भी वह बंद ही है। १०–२० हजार मजदूर बिलकुल बेकार हो गये हैं। वह इसलिये कि हाईकोर्ट का फैसला लगातार ५ साल तक नहीं हुआ और वहां से स्टे आर्डर आ गया। इससे प्रदेश को बड़ी भारी हानि हुई।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय न्याय मंत्री जी के भाषण को सुना और मैं सोच रहा था कि इस सम्बन्ध में हर साल जो कम से कम उनके वादे हुआ करते थे, वे अबकी मर्तबा उनको पूरा करेंगे लेकिन अब उनकी आज की तकरीर से साबित हो गया कि वे इस वक्त जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करने के पक्ष में नहीं हैं। चाहे वह कठिनाई का बहाना हो, चाहे टाइम का कोई बहाना हो लेकिन वे इस पक्ष में नहीं हैं कि ये फिलहाल अलग-अलग हों। तो श्रीमन्, इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश में न्याय का पुरसाहाल न हो, न्याय लोगों को न मिले, तो मेरी समझ में कौन सी खास बात बड़ी रह जाती है जिस पर जनता टिके। इस वजह से श्रीमन्, मैं आपका और इस सदन का ध्यान इस मुख्य बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को एक साथ कर देने से प्रदेश की बड़ी क्षति हो रही है और आज इंसाफ का दिवाला मिट रहा है और आज जनता की आजादी खतरे में पड़ गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके लिये यह बहुत जरूरी है कि माननीय मंत्री जी इसी सदन में यह घोषित करें कि वे अब बहुत शीघ्र या इसी वर्ष इसको अलग-अलग कर देंगे। मैं आपके सामने और आपके द्वारा सदन के सामने उन बातों को जो कि मेरा आरोप इस एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सम्मिलित होने से है, उसको रख देना चाहता हूं। जैसे नियम है कि बटलोई के एक चावल को देख लेने से ही अन्दाज लग जाता है कि भात पका है या नहीं, उसी तरह से मैं एक दो उदाहरण देकर ही संक्षेप में बतला देने की कोशिश करूंगा और मेरा विश्वास है कि सदन भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जितने दिनों तक ये दोनों साथ-साथ चलते हैं उतने दिनों तक यह हमारे देश के लिये एक कलंक है और इसलिये उनको अलग-अलग होना चाहिये।

श्रीमन्, ये जो मैजिस्ट्रेट हैं, इस प्रदेश के, अगर इनको मैजिस्ट्रेट न कह कर पुलिस कहा जाय तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। उनको मैजिस्ट्रेट कहना उस शब्द के साथ अन्याय है और मैं समझता हूं कि पुलिस शब्द इनके लिये ज्यादा उपयुक्त होगा। श्रीमन्, पुलिस का काम तो किसी जुर्म करने वाले को पकड़ कर भेज देना ही है और वह इंसाफ की आशा रखता है। लेकिन अगर पुलिस गलती करती है तो वह तो गलती करती है लेकिन जो मैजिस्ट्रेट हैं वे बिना भूल किये हुये लगातार गलती करते हैं। श्रीमन्, मैं उसका उदाहरण देता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का आन्दोलन इस प्रदेश में चला और ४ हजार से ज्यादा आदमी जेलों में गये और उनकी एक निश्चित बात है, एक निश्चित मांग है जिसको लेकर राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में सत्याग्रह किया गया और वह कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं था जिससे मुल्क का कोई नुक्सान हो। जिस चीज को सरकार ने करने का खुद फैसला किया उसी चीज के लिये इतनी बड़ी सजा दी जाय जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी माननीय सदन के इसी जगह पर बैठने वाले माननीय सदस्य को १५ महीने का कारावास का दंड दिया गया है, इस जुर्म में कि वे मूर्ति हटाने के लिये गये थे। बाद में सरकार ने खुद मूर्तियों को हटाया है। श्रीमन्, इसी तरह से प्रतापगढ़ के एक सोशलिस्ट सत्याग्रही को ३१ महीने की सजा दी गयी है। यह सिर्फ पुलिस के साथ मिलकर मैजिस्ट्रेटों की दमन नीति थी, वह चाहते थे कि दमन हो और दमन की ऐसी नीति अपनाई गई कि जिससे जुरमाना और सजा दोनों ही हों। (लाल बत्ती जलने पर) अभी से लाल बत्ती जल गई अभी तो मैं बहुत कम बोला हूं। कितना समय मेरे लिये है?

श्री उपाध्यक्ष--समय किसी का इंतजार नहीं करता, आप के लिये ७ मिनट हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह समय बहुत कम है, २ मिनट तो आप हमें और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--समय तो आप को बस यही मिलेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं अभी ३ बातें सदन के सामने और रखना चाहता हूं। इस जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव को अलग करने का एक और भी कारण है और वह यह है कि यह जो मैजिस्ट्रेट हैं उन को कानून का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं है, वह बिलकुल रा-हैंड्स हैं लिहाजा उन के जरिये से कानून का कत्ल किया जाता है और न्याय खुद ही खत्म हो जाता है। मैं मंत्री जी को उदाहरण दूंगा कि बनारस में सत्याग्रहियों के खिलाफ चार्जशीट दी गई और जब छपी हुयी चार्ज शीट दी गई तो मैजिस्ट्रेट ने उसका कोई कागनीजेन्स नहीं लिया। इस तरह से गलत छपी चार्जशीट मान ली जाती हैं। दूसरे ऐसे भी केसेज हैं कि १०९ के केसेज में भी इसी तरह से छपे हुये कागजात जो पहले से रहते हैं उन पर ही कार्यवाही हो जाती है और सब खानापुरी हो जाती है, नतीजा यह होता है कि छपे छपाये फैसले तक दे दिये जाते हैं और उनको स्वीकार कर लिया जाता है न उनमें स्वयं जजमेंट लिखने की काबलियत है और न ओरिजनल फैसला ही वह अपने से दे सकते हैं। इसलिये भी मैं कहता हूं कि हमारी जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग होने चाहिये। तीसरी बात यह है कि अपील में सोशलिस्ट पार्टी के जितने केस थे वह सब खारिज कर दिये गये, मैजिस्ट्रेट्स

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

ने उन पर कोई विचार ही नहीं किया। यह मैजिस्ट्रेट लोग किसी को परेशान करना चाहते है तो महीनों केस पड़े रहते हैं। एक सोशलिस्ट पार्टी के एम० पी० हैं उनका १८८ का केस है। वह ११ मास से पड़ा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक घंटा समय बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, इस विषय में सदन ने एक बार फैसला ले लिया है, उस पर अब कोई राय नहीं ली जा सकती।

*श्री लक्ष्मी नारायण बंसल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या १५ पेश की है मैं उस के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरी मंशा कुछ सुझाव देने की है जो खासकर तो आगरे के लिये हैं और कुछ जनरल तौर पर होंगे। किसी देश की जुडिशियरी वहां की रीढ़ की हड्डी होती है। डेमोक्रेसी में यह लाजमी है कि सेल्फ इनडिपेंडेंट जुडिशियरी हो। यहां पर यह कहना अनुचित न होगा कि बहुत से प्रगतिशील देश हैं जैसे इंग्लैण्ड है, (वहां पर कोर्टफीस नहीं ली जाती, लेकिन हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि) हम उसे माफ कर सकें, लेकिन इस के माने यह भी नहीं होते कि हम कोर्टफीस के रुपये को दूसरी सरकारी मदों में खर्च करें। एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस से जो आय इस विभाग को है वह २,२१,१२,३०० रुपये की है और १ करोड़ ६६ लाख के करीब खर्च इस में दिखाया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो ५४ लाख ४१ हजार १ सौ रुपया बचता है जो दूसरी मदों में खर्च होता है।

यह भी सब को मालूम है कि हमारी अदालतों के कमरों की कैसी हालत है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि कमरे बहुत पुराने और तंग हैं। मैं, श्रीमन् का ध्यान आगरे के न्यायालय की तरफ दिलाऊंगा कि वहां बरामदों के फर्श इतने खराब हो गये हैं कि उन में गड्ढे पड़ गये हैं और बरसात में जरा सा पानी बरसता है तो उन में पानी भर जाता है। वहां एक जगह से दूसरी जगह तक गुजरने का गुंजाइश भी नहीं रहती है। आगरे की जजशिप से ढाई हजार रुपये की नेट इनकम होती है। लेकिन वहां की अदालतों की यह हालत है कि पांच ब्लाक्स बने हुये हैं। बरसात में एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। पुरानी छत, पुरानी बिल्डिंग, पुराना फर्नीचर। मैं यहां जुडीशल रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां उसने इमारतों के बारे में जिक्र किया है। रिपोर्ट इस प्रकार है—

"The position as regards the Court building is no better. Most of our Court houses and the facilities provided therein are far from satisfactory. They do not certainly lend dignity to our organisation of justice and the whole atmosphere of Courts, for which the lack of facilities is partly responsible, is demoralising and undignified."

इसलिये श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है आपके द्वारा मंत्री महोदय से कि वह ऐसी कोई पांचसाला या सात साला स्कीम बनायें जिससे कोर्ट हाउसेज का सुधार हो सके। आगरा जजशिप में बीस, पच्चीस कोर्ट हाउसेज हैं। मालूम हुआ है कि उस जमीन को आगरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दिया जा रहा है जो मुनाफे के साथ उसको बेचेगा। जस्टिस डिपार्टमेन्ट को उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अर्ज करूंगा कि अगर उसको आप नीलाम कर दें और उस रुपये से कोर्ट हाउसेज बनाना चाहें तो तमाम कोर्ट हाउसेज और जुडिशियल आफिसर्स के क्वार्टर्स बन सकते हैं, बजाय इसके कि हम इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दें और वह प्राफिटिगरिंग करके जमीन को बेचे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज जो है वह यह है कि यहां पर हमारी जुडिशियरी का जो रेक्रूटमेंट होता है वह संतोषजनक नहीं है। उनकी तनख्वाहें काफी अच्छी नहीं हैं जिससे अच्छे आदमियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। पहले अगर कोई जाना चाहता है तो एग्जीक्यूटिव में जाना चाहता है। अगर वह वहां नहीं लिया जाता है तभी जुडिशियरी में जाना पसन्द करता है। इसके मानी यह हैं कि इंटेलिजेन्शिया, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, वह एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं। जुडिशियरी में जाना पसन्द नहीं करते। मैं चाहता हूं कि जुडिशियरी में अट्रैक्टिव कंडीशंस रखें, जिससे अच्छे-अच्छे आदमी उसमें आ सकें।

इसके अलावा नये एल० एल० बी० पास लोगों को मुंसिफ बना दिया जाता है। उनको मुकदमों का कोई तजुर्बा नहीं होता। मैं समझता हूं कि उनके लिये तीन साल की वकालत का अनुभव जरूरी है, मुंसिफ नियुक्त होने के लिये।

मेरी दूसरी तजवीज यह है कि मुंसिफों को ऐज ए रूल कनफर्म नहीं करना चाहिये। कनफर्म करने से पेश्तर, या उनकी पावर्स बढ़ाने से पहले उनके केसेज में ऐट रैंडम दस केसेज को हाई कोर्ट का जज देखे कि जिसको सिविल जज के अख्तियारात दिये जा रहे हैं वह इस काबिल है भी कि एवीडेंस को एप्रीशियेट कर सके। इसमें कोई हर्ज नहीं है इफीशेंसी बार ज्यादा दिनों तक पड़ा रहे लेकिन तरक्की तभी मिले, पावर तभी बढ़े जब कि उसका वर्क देख लिया जाय। वक्त के ऊपर तरक्की नहीं मिलनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मुंसिफ का डेजिगनेशन खत्म कर देना चाहिये। मेरी राय में सिविल जज की तीन कैटेगरीज कर देनी चाहिये, एक, दो, तीन। नम्बर एक को अनलिमिटेड अख्तियारात। नम्बर दो को २५ हजार तक के अख्तियारात और नम्बर तीन को दस हजार तक के अख्तियारात हों।

एक तजवीज मेरी यह है कि स्माल काजेज कोर्ट्स को दो हजार तक की पावर्स दे देनी चाहिये और मुंसिफ को पांच हजार की। यह पावर्स ज्यादा नहीं हैं। काम इस कदर ज्यादा हो गया है कि पांच सौ की जो वैल्यू थी वह एक हजार तो वैसे ही हो गयी है।

चौथी बात यह है कि मुंसिफ जैसे ही सिविल जज होता है असिस्टेंट सेशंस जज की उसको पावर्स दे दी जाती हैं जब कि उनको क्रिमिनल केसेज का कोई तजुर्बा नहीं होता। इसलिये उनको पहले एक साल या छः महीने की ट्रेनिंग क्रिमिनल कोर्ट्स की दी जाय, जहां वह सेशन जज के मातहत काम करेंगे।

एक सुझाव मेरा ला डिपार्टमेन्ट के आफिसर्स के लिये है। आजकल जो ड्राफ्टिंग हो रही है बड़ी इनएफीशेंट ड्राफ्टिंग हो रही है। इसमें स्पेश्लाइज्ड परसंस होने चाहिये। यहां सदन से बिल पास कर दिये जाते हैं और वह अल्ट्रावायरिस डिक्लेयर हो जाते हैं। लेजिस्लेचर का मंशा होता है कुछ और मतलब कुछ और निकलते हैं। मिसाल के तौर पर जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी ने यह सिपारिश की थी कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को तोड़ दिया जाय। लेकिन अमेंडमेंट में अबालिश लफ्ज निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह माननीय सदन जो एक निर्णय कर चुका है समय न बढ़ाने का उस पर हम लोग पुनः विचार करें। क्योंकि दो दलों का पार्लियामेंटरी रिप्रजेन्टेशन नहीं हो पा रहा है इसलिये आधा घंटा समय फिर बढ़ा दिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि सदन अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगा या नहीं। अगर एक भी माननीय सदस्य सहमत नहीं होगा तो मैं इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं

[श्री उपाध्यक्ष]

करूंगा। समय बढ़ाने का प्रस्ताव बाद में आयेगा। तो मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि सदन अपने निर्णय को फिर से दोहराना चाहता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से तय हो गया कि पुनः विचार हो।)

श्री उपाध्यक्ष--अब दूसरा प्रस्ताव समय का आ सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि कम से कम आधा घंटा समय आज के वाद-विवाद के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--तो प्रश्न यह है कि आज सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव पर किसी को ऐतराज नहीं है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--नहीं साहब ऐतराज है। १ घंटे का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आप देर में खड़े हुये मेरे प्रस्ताव पर राय लेने के बाद।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--श्रद्धेय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस कटौती के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मंत्री जी ने बताया कि सुलभ और सस्ता न्याय देने में हम असमर्थ हैं। लेकिन जो न्याय हमको मिल रहा है १९४६ से ५७ तक, अगर देखा जाय तो वह न्याय धीरे-धीरे, बढ़ता चला गया है, यानी होना तो यह चाहिये था कि सन् १९४६ में जो पैसा ९ आना दरख्वास्त नकल पर, डिग्री और तजवीज पर देना पड़ता था उससे कम लिया जाता, लेकिन उसमें ७ आने का इजाफा एक दरख्वास्त देने पर हो गया, यानी अब १ रुपया लिया जाता है। यह न्याय का हाल है। हम तो चाहेंगे कि जो १९४६ में था वही आज नकल, डिग्री, तजवीज और कोर्ट फीस और सम्मन पर गवाहों की तलबी कराने में लगने लगे। आज हम सोचते हैं न्याय सस्ता होना चाहिये।

अब जो यह जुडिशियल आफिसर्स का अप्वाइण्टमेंट होता है यह कनट्रैक्ट बेसिस पर होता है। यह बिलकुल गलत बात है। ऐसा कौन सा नौकर होगा कि जिससे यह कहा जाय कि तुम काम खत्म कर दोगे तो तुमको छुट्टी मिल जायगी, तो वह काम अपना खत्म कर दे। आज यही हालत जुडिशियल आफिसर्स की है। उनके यहां काम बढ़ता चला जा रहा है। मुकदमे वाले कचहरी में आते हैं। सोचने की बात है किसी को ५० मील जाना है तो एक तो उसका मुकदमा न हो और दूसरे उसकी तारीख पड़ जाय और फिर वह अपने साथ ५-५, ६-६ गवाह लाता है तो उसको उनके लौटने का भी खर्चा देना पड़ेगा जबकि आने का तो देना ही पड़ा, और काम कुछ नहीं हुआ। कितनी तकलीफ और दिक्कत उसको होगी। करीब ६ रु० फी आदमी उसका खर्चा बैठता है और अपने घर का काम छोड़ कर वह अलग आता है। इस तरह से करीब ७ रु० फी आदमी उसके जिम्मे पड़ जाता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स इस बात को अपने दिमाग में रखते हैं कि अगर काम खत्म कर दिया तो उनकी सर्विस खत्म हो जायगी। तो आप सोचें कि न्याय कैसे जल्दी और सस्ता मिल सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जुडिशियल आफिसर्स को जो कनट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है इसको खत्म कर दें और उनको प्रोबेशन पर रखा जाय ताकि उनमें एक इतमीनान हो और वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। इस प्रकार से न्याय सस्ता होने में सुविधा होगी। जो आदमी ५० मील से आता है और उसके मुकदमे में ५०-५०,६०-६० पेशियां पड़ गयीं और उसका खर्च ५-५ रु० फी गवाह भी पड़ा तो उसको काफी खर्च करना पड़ जाता है। उससे कई गुना खर्चा उसका अधिक बैठता है, जो मुकदमेबाज होते हैं और जो मालदार हैं, धनी हैं। वह निर्धनों को तारीखें लगवा-लगवा कर ही परेशान कर डालते हैं और न्याय का

गला घोट देते हैं। ऐसी सूरत में हम यह चाहते हैं कि मुकदमों में अवधि निश्चित कर दी जाय जैसे कि सन् ४६ में व उससे पूर्व था कि ३ महीने में माल के मुकदमे तय हो जायेंगे और तीन हफ्ते के अन्दर फौजदारी का मुकदमा तय हो जायगा। तो इस तरह से अवधि निर्धारित हो जानी चाहिये वरना जो पुराने मुकदमेबाज और धनिक लोग हैं वह गरीबों को न्याय नहीं मिलने देते।

इसके पश्चात् एक आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का डिपार्टमेन्ट खुला हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत में जैसे तम्बू तना करता था और उसमें बल्लियां लगी रहती थीं कि तम्बू तना रहे, वही हाल आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का है। इनसे एलेक्शन में काम लिया जाता है कि कांग्रेस की हुकूमत कायम रहे और वह खुलकर उसके लिये कोशिश करते हैं। जैसा कि बताया गया जौनपुर में एक दर्जा चार फेल ही अनरेरी मैजिस्ट्रेट बने हुये हैं, जबकि वहां काफी और लोग योग्य मिल सकते थे। दूसरे जिलों में भी ऐसे आनरेरी मैजिस्ट्रेट काफी हैं। उनके यहां बीसियों तारीखें पड़ जाती हैं। फिर उनका कोर्ट या तो हेडक्वार्टर पर होना चाहिये या तहसील के क्वार्टर पर होना चाहिये लेकिन वह अपने घरों पर मुकदमे करते हैं। मेरा सुझाव है कि इस आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के मुकदमे को ही तोड़ देना चाहिये, इसे खत्म कर देना चाहिये। इनसे मुवक्किलों को और जिनको न्याय मिलना चाहिये उनको न्याय नहीं मिलता है।

इसी तरह से हेडक्वार्टर्स पर एक खत्ता का मुहकमा है जहां अहलकार कोई कागज आता है उसे खत्ती में डाल देते हैं और जब तक उसको कुछ दे न दीजिये तब तक वह कुछ नहीं बतायेगा। जब आप उसको कुछ दे देंगे तो खत्ती में से कागज भी निकल आयेगा और सारा काम हो जायगा। तो मैं आपके सामने यह बता देना चाहता हूं कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय। जमानत के भी कुछ मुकदमे जाते हैं जिसमें कि जमानत होती है। वह तस्दीक के लिये तहसीलदार के पास जाता है। उसमें सैकड़ों रुपया एक-एक आदमी का खर्च हो जाता है। उसके लिये यह होना चाहिये कि वह अपना इन्तखाब पेश करके ही तस्दीक करा लें या उसको गांव पंचायत में भेज देना चाहिये।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि न्याय कैसे सस्ता और सुलभ हो सकता है। जितने भी जुडिशियल आफिसर्स हैं उनको आप तहसीलों के हेडक्वार्टर्स पर भेज दें। इससे उनका आने जाने का मार्ग व्यय कुछ बच जायगा। अब १०९, १०७ और ११० के मुकदमे ही एस०डी०एम० के यहां रह गये हैं। ऐसी सूरत में उनको दो-दो एक-एक का भी बना दिया जाय तो भी कोई हर्ज नहीं है और वह तहसील के हेडक्वार्टर्स पर ही काम करें। हां, फौजदारी के मुकदमे में जरूर एस०डी०एम० अपने हेडक्वार्टर पर ही काम कर सकता है क्योंकि उसमें ऐसे भी मुलजिम होते हैं जो कि जेलों में बन्द रहते हैं। इस तरह से न्याय सुलभ हो सकता है, आज जो निर्धन है, गरीब है उसको न्याय नहीं मिलता जबकि आप आज समाजवादी समाज और समानता की बात करते हैं। यह समानता तभी आयेगी जब अमीर और गरीब दोनों को एक ही समान अधिकार प्राप्त हों। लेकिन जब गरीब को न्याय नहीं मिलेगा तो एक अशांति पैदा हो जायगी और उस अशांति के अन्दर आप तरक्की का कोई काम नहीं कर सकते।

आज डकैत छूट रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसके घर वाले जा कर गवाहों से और सबसे कहते हैं कि मेरा लड़का निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं है। गवाह टूट जाते हैं। पुलिस कोई परवाह नहीं करती है। ऐसी सूरत में गवाहों के बयान तुरंत होने चाहिये जिससे कि आगे कोई गड़बड़ी न हो।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ७ मिनट के अन्दर न्याय विभाग पर बोलना और जो हमारे विरोधी वृन्द हैं उनकी बातों का जबाब देना इस सब के लिए बहुत कम वक्त है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से अच्छे स्पीकर बोलने वाले हैं। लिहाजा मैं समय बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। एक उर्दू शेर है --

"सदियों से फलसफे की चुनां वो चुनीं रही,
लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही।"

[श्री सीताराम शुक्ल]

हर साल हम इकट्ठा होते हैं, बहस होती है, मुखालिफत होती है, नतीजा करीब-करीब जहां का तहां रहता है। मेरी प्रार्थना यह है कि सुझाव ठीक-ठीक आने चाहिए और आप लोगों से प्रार्थना है कि बुराई कैसे दूर की जाय इस पर जरा रोशनी डाली जाय। सारा हाउस चाहता है कि हमारे यहां इन्साफ हो, न्याय हो।

इस वर्ष का बजट पास करते वक्त हमारे मिनिस्टर साहबान ने खुशी से अपने वेतन में से १०० रु० माहवार घटा दिये। बड़ी तारीफ हुई। कुछ दोस्तों ने कहा कि और घटाना चाहिए। बाज लोगों ने कहा कि अभी भी कुछ कमी है, मगर इस कमी करने से यह जरूर है कि गरीबों से कुछ हमदर्दी मालूम होती है। मैं अर्ज किये देता हूं यह भी खबर आयी है कि मन्त्रीवृन्द के साथ सिपाही कम रहेंगे, टीम-टाम कम रहेगी, किफायतशारी की जायगी, दिखावटी काम कम रहेगा। मेरी यह अर्ज है अदब के साथ कि जो तनख्वाहें घटीं अगर और घटा दी जायं, मिनिस्टरान अवैतनिक हो जायं, तो भी मुखालिफत बन्द नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—जरा न्याय के अनुदान से अपने भाषण का सम्बन्ध जोड़ दीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा आप जल्दी न करते तो मैं उस पर आ ही रहा था कि इससे जनता खुश नहीं होगी। वह तो तभी प्रसन्न होगी जबकि सब के साथ न्याय होगा, इंसाफ का पलड़ा बराबर रहेगा एक आनरेबिल मिनिस्टर साहब यहां के बहुत सादे कपड़े पहिनते थे, सादगी से रहते थे, लेकिन पब्लिक ने उन्हें माफ नहीं किया। तात्पर्य कि किफायतशारी से काम नहीं चलेगा। एक शायर ने कहा है कि—

"सुन तो सही जहां में है तेरा फिसाना क्या,
कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या।"

तात्पर्य कि किफायतशारी से काम नहीं चलेगा बल्कि सब के साथ सच्चा न्याय करने से काम चलेगा। यह तब होगा जब इस काम को करने के लिए मेहनत से कोशिश की जायगी। केवल शिकायतें करना काफी नहीं है। सुझाव देना भी आवश्यक है। मेरा भी इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि जिस तरह से सड़क बनाने के लिये श्रमदान लिया जा सकता है, अच्छे-अच्छे भले आदमियों से कहा जाता है कि उठाओ फावड़ा उसी तरह से न्याय के मामले में भी श्रमदान लिया जा सकता है। बहुत से आनरेरी जज मिल सकते हैं। तनख्वाह आप को एक पैसा भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं ऐसे जजों को दे सकता हूं जिनकी इज्जत मशहूर है, जिनका पांडित्य मशहूर है, रिटायर्ड जज हैं उनसे आप काम लें और एक पैसा वे आप से नहीं चाहते।

एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट की किसी दोस्त ने शिकायत की। तो हुजूरवाला, वह कौन सा तबका है जिस की न किसी तरफ से कोई न कोई शिकायत न हो। कृपा करके अपनी पार्टी की तरफ आप देखें। आपकी पार्टी तो अच्छी है, आपको उससे कोई शिकायत नहीं, किन्तु कुछ आदमियों के खिलाफ ऐक्शन क्यों लिया जाता है, और उनको क्यों निकाल दिया जाता है गरजे कि एक के खराब होने से पूरी पार्टी खराब नहीं हो जाती। इसी तरह किसी मैजिस्ट्रेट की शिकायत होने से सब के सब मैजिस्ट्रेट खराब नहीं हो गये। अगर किसी की शिकायत है तो ऐसे भी अनेक हैं जो कि निहायत ईमानदार हैं। आप उन्हें उत्साहित करें इससे आपको बहुत से आनरेरी मैजिस्ट्रेट मिल जायंगे और इस तरह से आपके मुकदमे जल्दी से जल्दी फैसला हो जायंगे। तभी जनता का असंतोष दूर होगा न कि माननीय मंत्रियों और अफसरों का वेतन घटाने से।

तनख्वाह घटाने की बात कहते हुए कहा जाता है कि कराची कांग्रेस में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ५०० रुपये मासिक वेतन का फैसला किया गया था। उसमें मैं भी हाजिर था। उस वक्त एक रुपये सेर घी बिकता था, ८ सेर के चावल और १६ सेर के गेहूं बिकते थे। उस हिसाब से आज ४ हजार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। कहा जा सकता

है कि फिर चपरासियों की तनख्वाहें भी उसी अनुपात से क्यों न बढ़ायी जायं। इसके उत्तर में निवेदन है जरूर बढ़ायी जाय। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो मजबूरी है। हम बढ़ाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पास न हो तो जो बौद्धिक काम करता है, की पोजीशन पर है, हम उस के लिए पहले व्यवस्था करेंगे, और हम उन आदमियों के वेतन को बढ़ाते जायंगे। मैं आप को एक खबर सुनाऊं, एक जिले की बात है। इत्तफाक से वहां पर एक गरीब परिवार में बड़ी परेशानी थी, दो दिन से खाना नहीं मिला। तीसरे दिन घर का मालिक एक जगह से एक पाव चावल लाया और बाहर ही चुपके से बना कर खा लिया और घर वालों से कहा कि मैं जा रहा हूं और कल तक चावल का इन्तजाम करके लाऊंगा। सौभाग्य से उसी शाम को वह १६ सेर चावल लेकर आ गया। और अपने परिवार वालों को खिलाकर उनकी जान बचा ली उस ने दूसरों को बचाने के लिए पहले खुद खा लिया ताकि वह उनके लिए भी खाना ला सके। और इस तरह से सब की जान को बचा लिया। तो हम भी सब को देना चाहते हैं, लेकिन पहले जो ब्रेन वर्क करते हैं, उनकी तरफ ध्यान पहले जायगा, दूसरी तरफ बाद में जायगा। लाल रोशनी हो गयी, व्याख्यान को जल्दी समाप्त करना है। कानून अगर संविधान बाधक हो तो उसको चेंज किया जा सकता है, इसी सिलसिले में मैं अर्ज करता हूं कि और मुल्कों में व्यक्तिगत चरित्र और प्राइवेट कैरक्टर तथा सार्वजनिक चरित्र और होता है किन्तु इस मुल्कों में व्यक्तिगत चरित्र से ही आदमी परखा जाता है। कहीं-कहीं शिकायत आती है कि जज साहब शराब पिये बिना इजलास पर जाते नहीं। तो इस की जांच होनी चाहिए, यह हो नहीं सकता कि कैरेक्टरलेस आदमी सही इन्साफ कर सके। ऐसे सौ में एक दो हो सकते हैं कि झूमते हुए चलेंगे और जजमेंट भी सही होंगे और आपके ऊपर आप दोस्तों का असर नहीं होगा तो यह हो ही नहीं सकता तो उनके कैरेक्टर के ऊपर निगाह होनी चाहिए, कानून इसके लिए चेंज होना चाहिए। उनसे कहा जाय कि फलां तारीख को फलां जगह, फलां टाइम पर यह शिकायत हुई, यह बन्द होनी चाहिए, तभी न्याय हो सकेगा जैसा कि पहले होता था—

"गर्चे हजार लालों गुहर मा देही चे सूद।
दिल रा शिकस्तई न कि गौहर शिकस्तई॥

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा न्याय मन्त्री के साथ बड़ी हमदर्दी है कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि न्याय की सुव्यवस्था करने के लिए उन्हें अधिक रकम मिले, लेकिन वह असफल रहे।

जो इस समय न्याय का ढांचा हमारे मुल्क में है, उस को माननीय मन्त्री जी ने भी दो वर्ष पहले ऐसे ही अवसर पर इसी माननीय सदन में स्वीकार किया था "कि हम उस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाये हैं"। उसके लिए उन्होंने कुछ मजबूरियां दिखायी थीं। मुझे दुःख है कि आज भी, जब कि हमारे माननीय मन्त्री, माननीय उप मन्त्री, जो इस विभाग के योग्य व्यक्ति हैं, जिन को इस विभाग की अधिक जानकारी भी है, फिर भी उनसे कोई आमूल परिवर्तन हमें इस दिशा में नहीं मिला। इस समय यह विभाग भी, जैसे सरकारी अन्य विभाग हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। इसका ज्वलंत प्रमाण अगर किसी को देखना हो तो कचहरियों में जायें। मैजिस्ट्रेट बैठा रहता है, उसके सामने पेशी ली जाती है। मैजिस्ट्रेट को मालूम है, जानता है, लेकिन पता नहीं क्या उसकी मजबूरी है ? सरकार को भी मालूम है और आज तक सरकार कोई इसके लिए जरिया नहीं निकाल सकी कि जनता देखती रहती है, उसकी आंखों के सामने घूस ली जा रही है, एक मैजिस्ट्रेट के सामने ली जा रही है, वह कैसे मजबूर होती है ? सरकार से ऐसा मालूम होता है जैसे उस मैजिस्ट्रेट ने सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है और घूस देना लेना बराबर जारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह समझते थे कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारा न्याय प्रशासन भी स्वतन्त्र होगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी जो पब्लिक प्रोसीक्युटर का आफिस है, उस में पी० पी०, ए० पी० पी० जितने होते हैं वह कलेक्टर के और लीगल रिमेम्ब्रेंसर के अधीन होते हैं। वह अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि किस प्रकार

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अभियुक्त को सजा करायें। यह नहीं समझते कि उनके साथ जो केस हो उसका सही रिप्रेजेन्टेशन करें, उसमें सही मानों में सरकार का प्रतिनिधित्व न्यायालय के अन्दर करें, बल्कि अपना फर्ज समझते हैं कि इसमें अधिक सजा हो और जरूर हो, चाहे वह अपराधी हो या न हो, क्योंकि उसी पर उनकी तरक्की और उन्नति निर्भर होती है। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से इंग्लैन्ड के अन्दर इसके लिए अलग से डायरेक्टोरेट होता है, पब्लिक प्रासिक्युशन का, वह बिलकुल स्वतंत्र हुआ करता है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में एक स्वतंत्र पब्लिक प्रासिक्युशन का डायरेक्टोरेट होना चाहिए ताकि उनके केसेज का सही प्रतिनिधित्व हो सके।

दूसरा सुझाव मैं आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के बारे में निवेदन करूंगा कि सरकार रुपये बचाने के प्रलोभन में न पड़े और इनको शीघ्र समाप्त कर दे। हमारे यहां इन्हें अंधेरी मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, कहीं अनाड़ी मैजिस्ट्रेट भी कहे जाते हैं। जैसा कि कल माननीय दुबे जी ने उदाहरण दिया था कि योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नियुक्त किया जाता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि :—

"Honorary Magistracies are distributed to the supporters of the Government during election, as a dead fox is thrown to the hounds after a day's run."

प्रोफेसर लास्की ने जो आनरेरी मजिस्ट्रेट्स के बारे में कहा था वह आज सत्य मालूम होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा सुझाव मेरा यह है कि न्याय आज भी मंहगा है, काफी देर होती है और जब देर होती है तो न्याय का कुछ अर्थ नहीं होता है "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" आज यह कहावत बिलकुल चरितार्थ होती है। माननीय मन्त्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हाई कोर्ट में बहुत से मुकदमे अर्से से पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोअर कोर्टस् में भी पड़े हुए हैं। अन्डर ट्रायल्स कैदियों की तादाद दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। उन के मुकदमें सालों से पड़े हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

बेल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह एक जरूरी चीज है जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है, तब तक अभियुक्त दोषी नहीं होता है। लेकिन बेल लेने में काफी देर होती है। इससे घूसखोरी का काफी मौका पी० पी० आफिस में है। मुझे ताज्जुब हुआ कि मन्त्री महोदय ने अपनी मजबूरी ही नहीं दिखायी, बल्कि उसको ठीक नहीं समझा और बताया कि एक्जीक्युटिव से जुडिशियरी को अलग कर दिया गया तो क्राइम बढ़ेंगे। यदि क्राइम रोकने का यह तरीका है तो मजस्ट्रेट की मिलिटरी कोर्ट बना दी जाय तो नहीं बढ़ेंगे। आज बनारस में माननीय राजनारायण जी को १५ महीने की सजा होती है, एक मूर्ति के मामले में। हमें तो वह दिन याद आता है जब ब्रिटिश जमाने में पंडित जवाहरलाल जी को एक मामूली स्पीच गोरखपुर में देने पर तीन वर्ष की सजा हुई थी। इसी तरह से मजिस्ट्रेट समझता है कि हर मुकदमे में सजा करनी चाहिए। इसलिए कि वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिए जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से अलग कर दिया जाय। इसके साथ ही साथ उनको हाई कोर्ट के अन्डर में रखा जाय, ताकि वह स्वतंत्र रूप से न्याय कर सकें।

आज राजनीतिक बन्दी अपने को ब्रिटिश काल से भी ज्यादा भयभीत पाता है। वह समझता है कि उसको सजा होनी निश्चित है क्योंकि सरकार उस को सजा देने के लिए तुली हुई है। मजिस्ट्रेट वही करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहेगा। इस लिए आज लोगों में बड़ा भय है। आज न्याय प्रशासन में न्याय बड़ा मंहगा पड़ रहा है और असुविधाजनक हो रहा है। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो हमारे यहां जुडिशियरी एक्जीक्युटिव से स्वतंत्र होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा न्याय विभाग एक पेइंग डिपार्टमेंट है। जस्टिस वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि १९४७ में करीब ४७ लाख रुपये की बचत थी, १९४८ में ५०,१४,९५२ रुपये की बचत थी और १९४९ में ५५,५७,८२० रुपये की बचत थी। इधर की क्या दशा है मैं नहीं बतला सकता हूं। ऐसी दशा में जब कि यह एक पेइंग डिपार्टमेंट है तो मुवक्किलों की तकलीफ का ध्यान रखा जाना चाहिए। न्याय ऐसा होना चाहिए जिस में लोगों को सस्ता सही और जल्दी न्याय मिल सके।

*श्री शिवराजबहादुर——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि मैं नहीं समझता कि कौन सी बात का जवाब दूं। जो बातें मैंने अर्ज की हैं वही करीब-करीब मन्त्री महोदय ने तस्लीम की हैं और अन्य स्पीकरों ने भी कही हैं। मैंने तो उनके सामने ऐसी तजवीज रखी जिससे लाखों रुपये की बचत हो। मैं तो सिर्फ एक रुपये की कटौती का सवाल पेश कर रहा हूं और शायद वे इसको कबूल करेंगे।

जहां तक दिक्कतों का सवाल है, बहुत सी दिक्कतें आप के सामने हैं। जरूरत इस बात की है कि इस देश में जिसे हम रामराज्य कहना चाहते हैं न्याय की ऐसी स्थापना कर दें, ऐसा माहौल पैदा कर दें कि जैसा मैंने इससे पहले निवेदन किया था कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ कर चरवाहों ने फैसला कर दिया था, उसी तरह से जो आज इन्साफ की कुर्सी पर बैठे उसमें इन्साफ करने की अक्ल पैदा हो जाय। आज हमारे काम में एफीशियेंसी नहीं है। बहुत से मैजिस्ट्रेट्स बढ़ाये जा रहे हैं। और जजेज भी बढ़ाये जा रहे हैं। मन्त्री जी ने अपनी तकरीर में यही कहा कि दो जजेज का इजाफा किया है, लेकिन मेरे सामने जो मेमोरेन्डम है उसमें तीन का तजकिरा है कि तीन बढ़ाये जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि तीन से काम न चले तो आप और बढ़ा लीजिये लेकिन इन्साफ तो हो। आज इन्साफ की जो शक्ल है उससे आदमी मुतमईन नहीं है।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि खास तौर से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन्स होते हैं, उनमें लोगों को बड़ी दिक्कत पैदा होती है। इसलिए हर जिले में कम से कम ५ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुकर्रर कर दिया जाय जो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन रख सकें ताकि पब्लिक ओपिनियन की भी कद्र हो सके। इस प्रजातंत्र के युग में पब्लिक ओपिनियन की बहुत ज्यादा कद्र होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर एक ही चीज हम अपने सूबे में कर सकें कि इन्साफ सही हो और उसके लिए हम मशहूर हो जायं, तो हमारी बहुत सी दिक्कतें हल हो जायंगी। इंसाफ के साथ-साथ सच्चाई भी हो, सदाकत भी हो। इसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारे आफिसर्स के दिमाग में भी कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि वे एक पुरानी मशीनरी के जमाने के हैं। उनको चाहिए कि वे जमाने के साथ अपने को मोड़ लें।

अब लाल बत्ती हो गयी है, मैं ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा क्योंकि पहले जब मैं बोलने खड़ा हुआ था तब भी मुझे पता नहीं चल पाया था कि कब मेरा समय समाप्त हो गया लेकिन आपोजीशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको महसूस करते हुए मैं यही अर्ज करूंगा कि आज हमें अपने देश की तामीर के लिए जरूरी है कि हम सच्चे इन्साफ की स्थापना कर सकें ताकि सारे देश में हमारे प्रदेश का नाम हो।

*न्याय उप मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव हमारे सामने रखे। जहां तक उन बातों का सम्बन्ध है जिनका कि जिक्र माननीय मन्त्री जी ने शुरू में किया था और जिनको एक प्रकार से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया, मेरा खयाल है कि उनको दोहराना व्यर्थ होगा। कुछ बातें जो कि यहां खास तौर से दोहराई गयीं उनका सम्बन्ध अदालतों की जो आज इमारतें हैं, उनसे है, आनरेरी मजिस्ट्रेट्स के सम्बन्ध में अब क्या किया जाय, जो जूडिशियरी और एक्जीक्युटिव के सेपरेशन का प्रश्न है वह और एक आम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सवाल करप्शन वाला, इन चीजों से है। इसके अलावा कुछ खास-खास बातें भी सदन के सामने आयीं। जहां तक अदालतों की इमारतों का प्रश्न है, वांचू कमेटी की रिपोर्ट भी यहां पढ़ी गयी और इसके सम्बन्ध में न कभी दो रायें पहले थीं और न अब हैं कि बहुत सी जगहों पर इमारतें अच्छी नहीं हैं और सरकार भी चाहती है कि यदि धन मिल सके तो जल्दी से जल्दी उन इमारतों को अच्छा किया जाय वह चाहे आगरे की बात हो या किसी और स्थान की हो। यह तो सही है कि यदि अच्छी इमारतें हों तो न्याय का जहां तक प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है उसके साथ यह प्रश्न अवश्य जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जजेज के आवासगृहों का जिक्र किया गया है। सरकार को यह बात ज्ञात है कि बहुत से स्थानों पर जज साहबान को आवासगृह नहीं मिले और वे काफी कठिनाई में रहे और कुछ स्थानों के बारे में तो मैं यह भी कह सकता हूं कि एकाध स्थान पर तो कुछ समय तक उचित आवासगृहों की कमी के कारण अदालतें कार्य नहीं कर सकीं ऐसा भी सरकार को ज्ञान है। सब के लिए धन पाया जा सके और सब के लिए आवासगृह बनाये जा सकें, या अच्छी अदालतों की इमारतें बन सकें यह सरकार की इच्छा है, लेकिन मुझे तो कभी-कभी खयाल होता है कि यदि आवासगृह बनें और अदालतों की इमारतें अच्छी बनें तो बहुत सम्भव है कि यह विरोध होने लगे कि इन सब चीजों में रुपया खर्च हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव--इसके लिए कोई नहीं कह सकता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--खैर, आज मुझे खुशी है कि हमको तसल्ली दी जा रही है कि ऐसा नहीं है और जब कभी भी यह प्रश्न आयगा और यदि माननीय सदस्य उपस्थित रहे तो मुझे भी मौका होगा कि उनका ध्यान उस ओर जरूर आकर्षित करूं।

जहां तक आनरेरी मजिस्ट्रेट्स का प्रश्न है एक सुझाव यह आया कि उनको आनरेरियम दिया जाय। मैं खयाल करता हूं कि चाहे आप उसका नाम आनरेरियम दीजिये, या तनख्वाह या भत्ता, दीजिये, लेकिन एक प्रकार से स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट्स और आनरेरियम वाले मजिस्ट्रेट्स में बहुत कम अन्तर रहेगा। यह प्रश्न सरकार के सामने बहुत गम्भीरता के साथ रहा है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिन से इस प्रस्ताव को सरकार ने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है और आगे के लिए वह यह समझती है कि अभी वह समय नहीं आया है जब कि आनरेरी मजिस्ट्रेट्स को बिलकुल इस प्रदेश में हम न रखें, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो छोटे किस्म के होते हैं या हमारे तनख्वाह पाने वाले मजिस्ट्रेट्स के यहां ज्यादा होते हैं, उन सबका निपटारा आनरेरी मजिस्ट्रेट्स के यहां बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। हमारे मित्र सीताराम जी ने अभी वालन्टरी मजिस्ट्रेट्स का जिक्र किया था। क्या हश्र होगा इसका मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत सम्भव है कि देश में तीन चौथाई आदमी वालन्टरी मजिस्ट्रेट्स बनने की इच्छा करें, लेकिन जहां तक आनरेरी मजिस्ट्रेट्स का प्रश्न है सरकार ने एक बहुत लम्बा परिपत्र यहां से भेजा है कि आया आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है या नहीं, या किस व्यक्ति को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया जाय और उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए। यह सारा काम हमने उस कमेटी के सुपुर्द कर दिया है जो कि जिले-जिले में इस कार्य के लिए है। इस लिए मैं अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन करूंगा कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स जो आज मुकर्रर किया जाता है उसके सम्बन्ध में सरकार की नीति अत्यन्त जनतांत्रिक है और जो लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स को मुकर्रर करते हैं वह उनकी आवश्यकता और इस योग्य हैं या नहीं उस पर विचार करके तब सरकार से सिफारिश करते हैं और उसके अनुसार उन लोगों को नियुक्त किया जाता है। जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में यह विधान में निश्चित आदेश है कि यह कार्य किया जाय। हमारे यहां नीति रूप में इसको स्वीकार किया गया है। यह कार्य हमने किया भी है और उसमें कुछ कठिनाइयां आई हैं। उनमें से एक यह भी है कि आज हम को ए०डी०एम० (जे०) मुकर्रर करने के लिये उपयुक्त

आदमी नहीं मिल रहे हैं और कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं कि जिनका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया। आज कहा जाता है कि कोर्ट्स से जो अपराधी हैं छूट जाता है, न्याय का हनन होता है, आदि कितनी ही बातें कही जाती हैं, उनके होते हुये मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इसके लिये कटिबद्ध हैं लेकिन इसको हम कितनी जल्दी पूरा कर सकेंगे यह कहना बहुत कठिन है ।

ए०डी०एम० (जे०) का सम्बन्ध डी०एम० से न रह कर हाई कोर्ट से रहना चाहिये, आदि इस प्रकार की बहुत सी बातें इस सदन के सामने आई और पहले भी आ चुकी हैं। हमारे मित्र चंद्रजीत जी ने पुराने विवादों का जिक्र किया जो इस सदन में हो चुके हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह विवाद भी कई बार हो चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है। ए०डी०एम० (जे०) डी० एम० के सबार्डिनेट हैं अपनी रैंक के अनुसार लेकिन वह उसके आधीन रहते हुये अपने जुडिशयल काम में उसका कोई आदेश स्वीकार करते हैं यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं इसके विपरीत यह कहने की धृष्टता करूंगा कि उनके जुडिशियल वर्क में उनका अपना स्थान है और जहां पर सेपरेशन किया गया है वहां वह स्वेच्छानुसार ही कार्य करते हैं।

एक और प्रश्न उठाया गया। वह हरिश्चन्द्र जी ने उठाया और उसे हमारे दूसरे मित्रों ने दूसरे ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता है तो उसको यह खयाल रहता है कि उसको सजा जरूर होगी और यदि वह जज के कोर्ट में जाता है तो, ऐसा मैं समझा कि वह यह सोचता है कि वह छूट जायगा अथवा उसके साथ न्याय होगा। न्याय में तो छूटना और सजा पाना दोनों हैं और यदि न्याय के माने केवल छूट जाना ही लगाये जाते हैं तो मैं नम्रता पूर्वक उसका विरोध करूंगा। यदि कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में इस भावना से जाता है कि मैं सजा पाऊंगा तो मैं उसकी इस भावना के विरोध में हूं। यदि सारे मुकदमों को देखा जाय तो आप पायेंगे कि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से भी काफी आदमी मुक्ति पाते हैं और यह कि सभी आदमियों को वहां सजा हो जाती है, ऐसा मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं और न ऐसा हमारे इस माननीय सदन के सदस्य ही स्वीकार करने के लिये गंभीरता से तैयार होंगे।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—ऐसा मेरा आशय भी नहीं था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जैसा कि रिटायर्ड जज साहब ने कहा, उनका आशय भी ऐसा नहीं था यह जान कर मुझे प्रसन्नता हुई। जुर्म करने के बाद व्यक्ति को भय भी लगता है। वह छूट जाय यह दूसरी बात है ।

मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहता था। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि आज जितने राजनीतिक अपराधी हैं उन सबके सम्बन्ध में यह निश्चित सा है कि उनको सजा होगी। मैं कैसे कहूं, श्रीमन्। केवल इतना स्मरण दिला सकता हूं कि इन्हीं पिछले वर्षों में उन सभी व्यक्तियों ने जिन्होंने पी०एस०पी० के झंडे के नीचे आन्दोलन चलाया था आबपाशी की दरों के विरुद्ध, मैं आज यह कह सकता हूं कि एक माननीय न्यायालय की आज्ञानुसार इस सरकार को झुकना पड़ा। तो आज यह कहना कि सब के विरुद्ध ऐसी बातें हो गयी हैं, मैं यह खयाल करता हूं कि माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में विचार करेंगे ।

माननीय राजनारायण की सजा का जिकर आया और कहा गया कि जिस मूर्ति को हटाने में उनको सजा दी गयी उसको सरकार ने हटाया, क्योंकि सरकार आज यह विचार करती है कि उन मूर्तियों के रहने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु क्या इसके लिये आज भी यह सम्भव है कि कोई व्यक्ति एक मजमुआ नाजायज बनाकर उन मूर्तियों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करे और उन मूर्तियों को तोड़-फोड़ दे और मारपीट भी हो या इस प्रकार की कोई घटना हो जिस में कम से कम अदालत की ओर से ऐसा खयाल किया जाय या ऐसा

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

विचार किया जाय जिसमें बलप्रयोग कुछ किया गया और इसके लिये कुछ न किया जाय? उनको जो दंड दिया गया वह भारतीय दंड विधि की धारा ४२७ और १४९ के अनुसार दिया गया है जिनमें इन दोनों बातों का उल्लेख है। तो मेरा तात्पर्य इस चीज के कहने का यह है कि न्याय के प्रति आज कोई अरुचि पैदा हो गयी हो या न्याय को जो इस देश में पहले परम्परा थी उनमें अन्तर आ गया है या न्याय के प्रति जनता के हृदय में दूसरा भाव पैदा हो गया है, मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है बल्कि इसके विपरीत है। इतना तो आज कहा ही जा सकता है जैसा कि मेरे मित्र माननीय हरिश्चन्द्र जी ने कहा कि जनतन्त्र प्रणाली में जिस प्रकार के न्याय की हम आकांक्षा कर सकते हैं उस न्याय का रूप अब भी हमको देखने को मिलता है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है बात कुछ ऐसी है जिसका जिक्र बहुत बार होता है और प्रत्येक तरीके का होता है। उसके सम्बन्ध में मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो है या हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें हों जिनमें भ्रष्टाचार को स्थान मिलता है लेकिन इसको आप कितना विधिविधान के द्वारा दूर कर सकते हैं। आज जो विवाद इस मांग के सम्बन्ध में हुआ है उस मांग के विवाद में उसका कितना स्थान है यह मैं इस माननीय सदन के विचार करने के लिये छोड़ता हूं।

एक खास चीज का जिक्र आया जिसमें कहा गया कि डी०डी०सी० के सम्बन्ध में खर्चा बढ़ाया गया है। अगर मुझे सही याद है तो शायद ३५ हजार रुपये का जिक्र किया गया था। बात सही है लेकिन इस सम्बन्ध में सीधी सी बात यह है कि बहुत सारे मुकदमे दीवानी में आज सरकार की ओर से चलाये जाते हैं और बहुत से मुकदमों में सरकार को मुद्दालय के रूप में जाना पड़ता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि उन मुकदमों की अच्छी पैरवी हो। उन मुकदमों में उचित न्याय मिल सके और उचित राय मिल सके। उनके सम्बन्ध में सरकार को पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसलिये डी०डी०सी० की व्यवस्था है बल्कि उनके नीचे कुछ रिटेनर भी हम रख रहे हैं जिससे उनकी राय ली जा सके और सरकार जिन मुकदमों में प्रतिवादी होती है उनमें अच्छी पैरवी हो सके, जोन मिल का जिक्र तो मैं नहीं करना चाहता था लेकिन चूंकि यहां उसके बारे में कहा गया इसलिये इतना ही कहूंगा कि वहां की हालत का बहुत कुछ सम्बन्ध वहां के आपसी झगड़ों और अर्थ व्यवस्था से था। कुछ स्टे आर्डर्स जरूर हुये लेकिन वे ऐसे हुये जिनसे उस पर कोई खास असर नहीं है। यह सही नहीं है कि आगरे के जजशिप के कम्पांउन्ड को डेवलपमेंट बोर्ड को दिया जा रहा है। आगरे के डिस्ट्रिक्ट जज के आवास गृह का कम्पाउन्ड करीब २५ बीघे का है और उसका कुछ हिस्सा जो इस समय बेकार है किसी काम में लाया जाय, केवल यह प्रश्न है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस साधारण मांग को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५ की धनराशि में १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,३९,१९,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों तथा बोर्डों के नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं दो एक सूचनायें देना चाहता हूं, एकाध मिनट अधिक हो जाय तो मैं समझता हूं कि आप उसके लिये सहमत होंगे।

मेरे पास फिर विभिन्न दलों की ओर से यह निवेदन आया है कि कुछ कमेटियों से, जिनके नाम ये हैं, वित्त समिति, इंटर एजूकेशन बोर्ड, रुड़की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी, राज्य मद्य निषेध बोर्ड, लेखा समिति, और प्राक्कलन समिति, नाम वापस लेने की तिथि बढ़ा दी जाय। यह तीसरा मौका है और मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न दलों के सचेतकों ने अपना कर्तव्य ठीक से पालन नहीं किया है। मैं अन्तिम रूप से २४ तारीख को ३ बजे तक समय बढ़ाता हूं लेकिन फिर ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—२४ तारीख के अगर पहले कर दें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह जिस समय आप लोगों ने दस्तखत किया था उस समय सोच लेना था। अब मैं नियत कर चुका हूं।

अब हम उठते हैं और २० तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर मंगलवार, २० अगस्त, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ अगस्त, १९५७।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

अधिकारियों को दी गई सजा का विवरण

अधिकारी का पद	संख्या	सजा का विवरण
सब-इंस्पेक्टर	३	इनमें से दो की चरित्रावली में दुष्चरित्र टिप्पणी अंकित की गई और एक की चरित्रावली में उनको दी गई मामूली सजा का उल्लेख किया गया ।
हेड कांस्टेबिल	१	वेतन में कमी की गई ।
कांस्टेबिल	३	दो के वेतन में कमी की गई और एक की चरित्रावली में दुष्चरित्र टिप्पणी अंकित की गई ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४९ पर)

जिला गोरखपुर के थाने निचलौल तथा कोठीमार के अन्तर्गत १९५७ में हुई चोरियों और डकैतियों का विवरण—

क्र० सं०	नाम थाना	नाम अपराध	दर्ज हुई	पता लगा
१—	निचलौल	चोरी	१४	३
		डकैती	३	२
२—	कोठीमार	चोरी	१४	४
		डकैती	१	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४९ पर)

घटना का विवरण

बेनिया पार्क में आयोजित पुलिस दंगल के तीसरे दिन आखिरी मुठभेड़ दारासिंह तथा एक विदेशी पहलवान "बैरन हैस्की" में थी। हैस्की बार-बार "फाउल" कर रहे थे, जिससे जनता उत्तेजित हो उठी। अन्त में "रेफरी" ने उनको अयोग्य (disqualified) घोषित कर दिया और दारासिंह को विजेता मान लिया। उत्तेजित जनता खुशी के मारे दारा सिंह को करीब से देखने के लिये धक्के देकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी। इससे एक भगदौड़ शुरू हो गई और आगे की पंक्तियों के बैठे हुये लोगों को दब जाने से बचाने के लिये पुलिस वाले बढ़ती हुई भीड़ को हाथों द्वारा रोकने का प्रयत्न करने लगे। इस सिलसिले में उन्हें कहीं-कहीं अपने बेटन का भी प्रयोग करना पड़ गया। इसी बीच में हीरालाल नामक एक व्यक्ति श्री बी०बी० सिंह, डी०एस० पी० जो आगे की पंक्ति से लोगों को रोक रहे थे, के साथ भिड़ गये। उन्हें बचाने के लिये अतिरिक्त एस०पी० तथा कुछ सिपाहियों ने आकर दो चार डंडे मार कर हीरालाल को काबू में किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। श्री गणेशदत्त दुबे नाम के एक और व्यक्ति को भी जो जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तार किया गया। उसके उपरान्त कोई विशेष बात नहीं हुई।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५३ पर)

ललितपुर डिवीजन जिला झांसी में १ अप्रैल, ५६ से ३१ मार्च, ५७ तक हुई डकैतियों का विवरण

क्रम-सं०	नाम जगह	नाम थाना	डाकों की संख्या	नकद रुपया व माल जो लूटा गया	डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों की संख्या
१	बमहोरी खुर्द	मड़ावरा	१	१,६१४ रु० नकद जेवर, बंदूक	
२	लिढोरा	,,	१	१,५९,६२५ रु० नकद जेवर बन्दूक	
३	घुखारा	,,	१	१०,००० रु० नकद कपड़ा व जेवरात	
४	उलदाना खुर्द	,,	१	२४० रु० जेवर नकद	
५	मल्लोनी लोध	वार	१	१,२७,९५० रु०	
६	गुढ़िया	,,	१	१,००,७५० रु० नकद जेवर	
७	पटना	नारहट	१	१,२०० रु० जेवर नकद	
८	गोना	,,	१	८,००० रु० नकद जेवर	
९	बिरधा	ललितपुर	१	१,२३६ रु० नकद जेवर	
१०	ललितपुर और सागर की सड़क १३।। मील पर	,,	१	२४५ रु० और ४१६ रु० का कपड़ा, जेवर	
११	मल्लोनी	जाखलोन	१	रु० ५९० नकद जेवर	

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघठन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ ।

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ प्रवारित किया था, उत्तर प्रदेश अध्यादेश १, १९५७ ।

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ की धारा ११ का संशोधन ।

२--हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ११ की उपधारा (१) में--

(१) अंक "४" के स्थान पर अंक "१२" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय ; तथा

(२) शब्द "अपनी स्थापना के दिनांक से ४ मास के भीतर" तथा तत्पश्चात् आने वाले शब्द "धारा ७ में विनिर्दिष्ट" के बीच में शब्द "अथवा ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ की धारा १२ का संशोधन ।

३--मूल अधिनियम की धारा १२ में--

(१) शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय ; तथा

(२) शब्द "ऐसी बढ़ायी हुई अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर दे" के स्थान पर शब्द "ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश १, १९५७ का निरसन ।

४--हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू०पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो । यू०पी०ऐक्ट संख्या १, १९०४ ।

उद्देश्य

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम की धारा ११ के अनुसार अन्तरिम मंडल को चार मास के भीतर सम्मेलन की प्रथम नियमावली निर्मित करनी थी तथा नियमावली के आलेख्य को राज्य सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजना था और राज्य सरकार इस पर विचार करने के पश्चात् इसे संशोधनों सहित अथवा रहित अनुमोदित कर सकती थी। अधिनियम की धारा १२ के अधीन अन्तरिम मण्डल को (राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित) नियमावली के उपबन्धों के अनुसार ६ मास के भीतर स्थायी समिति का प्रथम निर्वाचन करना था। अन्तरिम मंडल ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुये एक रिट-प्रार्थना-पत्र हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था तथा हाई कोर्ट द्वारा एक समादेश (infunction) जारी किया गया था जिसमें राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन कोई भी कार्यवाही करने से (जिसके अन्तर्गत अन्तरिम मंडल द्वारा निर्मित की जाने वाली नियमावली का अनुमोदन भी है) प्रतिषिद किया गया था। चूंकि धारा ११ तथा १२ के अधीन निर्दिष्ट अवधियां समाप्त हो चुकी थीं, इसलिये मंडल द्वारा अग्रेतर कार्यवाही (further action) नहीं की जा सकी। अवधियों को बढ़ाने के प्रयोजन से दिनांक २६ जून, १९५७ को गवर्नर द्वारा एक अध्यादेश प्रचरित किया गया था।

यह अध्यादेश ३० अगस्त, १९५७ को प्रभाव शून्य हो जायगा और इसके उपबन्धों को स्थायी आधार देने के निमित्त यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री।

पी० एल० यू० पी० ए० पी० १०१ एल० ए०—१९५७—७९६।